खण्ड-294, अंक-1
बुधवार, 29 पौष, शक संवत् 1893
(19 जनवरी, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 294 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १९ जनवरी, १९७२

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५८

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वरदयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल , श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी,
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगल, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन, सिंह श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्रसिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम वाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर
(उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपालसिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह कुंवर, श्री

धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त बंद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री
(उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेत्राम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पन्नालाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारीदेवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर , श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक , श्री
बचनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला मालदा)

बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महीरजध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथसिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजा राम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरणत्रिपाटी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री

रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पांडेय, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफि खां, श्री
रिआसत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री

वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्तिदेवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शोनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री

श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, अन्सारी श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, राम श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम , श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य, सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 19 जनवरी, 1972

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

देवाल--सुयालकोट मोटर मार्ग (चमोली) के निर्माण के फलस्वरूप क्षति

** 1--श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, चमोली में देवाल से समाल कोट तक वन विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्ग से किन-किन ग्रामवासियों की कितनी भूमि क्षति-ग्रस्त हुई ? क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त क्षति-ग्रस्त लोगों को मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

देवाल सुआलकोट मोटर मार्ग में वर्ष 1969-70 और 1970-71 में बनने वाली सड़क से कोई भूमि क्षतिग्रस्त नहीं हुई । केवल ग्राम केल और तलोर की कुछ भूमि पर मलबा गिरा जो कि स्वाभाविक और अपरिहार्य था पर उस मोटर मार्ग बनाने वाल ठेकेदार द्वारा हटवा दिया गया। मुआवजा दन का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मलवा ठकेदार द्वारा हटवा दिया गया ।

श्री शेर सिंह दानू--
क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम केल और तल्लोर के किन-किन लोगों के खेत से मलवा हटाया गया और किस ठेकेदार न हटाया और गया इस मलबा हटान का एकस्ट्रा पेमन्ट ठेकेदार को हुआ है ?

श्री गुलाब सिंह--
मान्यवर, यह मलवा हटाने की बात तो एस्टीमेट में ही थी, एक्सस्ट्रा पेमेन्ट कोई नहीं हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--
क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य की सूचना को सही मान कर कि मलवा अभी तक पड़ा है, हटा नहीं है, इस बात की किसी उच्च अधिकारी से जांच करायेंगे और इस बात की भी जांच कराएंगे कि जमीन को क्षति हुई है और यदि हुई है तो कितनी हुई है और उसकी क्षति पूर्ति करायेंगे ?

श्री गुलाब सिंह--
हमारी सूचना के अनुसार मलबा हटा दिया गया है, लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अवश्य इसकी जानकारी करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
क्षति पूर्ति करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--
वह तो कह दिया कि जानकारी करेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--
क्षति पूर्ति की बात नहीं कहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--
क्षति होगी तब तो पूर्ति होगी ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मलबा जो हटाया गया उसमें कितना व्यय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--
वह तो ठेकेदार ने किया ।

श्री मैनेजर सिंह--
खर्च कितना हुआ ?

श्री गुलाब सिंह--
मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा, मलबा हटाने का काम एस्टीमेट में ही था । वह ठेकेदार ने हटा दिया ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--
क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मलबा हटाया गया वह हटा कर कहां रखा गया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—:

क्या मंत्री जी मेरी इस सूचना को सही मान कर कि अभी तक मलबा हटा नहीं है, किसी उच्च अधिकारी द्वारा या स्वयं इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री इन्द्र मणि (जिला टिहरी-गढवाल)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतान की कृपा करेंगे कि कितने किसानों के खेतों में मलबा पड़ा था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री राम कुमार शास्त्री—

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का तो उत्तर मिला ही नहीं । मैंने पूछा कि जो मलबा हटाया गया वह हटाकर कहां रखा गया ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, वह मलबा खेतों से हटा दिया गया, दूसरी जगह पर रख दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो अटकल का जबाव है ।

श्री ए० सी० ग्राईस (आंग्ल भारतीय नामांकित)—

मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि ठेकेदार ने मलबा हटा दिया । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ठेकेदार ने मलबा हटा दिया तो क्या किसी ने पूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट को साइन किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

असल में सवाल यह है कि जैसा कि माननीय सदस्य श्री नित्यानन्द स्वामी ने कहा कि यह बात ठीक नहीं है तो इसकी जांच करायी जाये । इस पर वन मंत्री ने यह कहा कि उसकी जांच करायेंगे और अगर क्षति हुई है तो क्षतिपूर्ति की जायेगी । अब आगे सवाल की कोई गुंजायश नहीं रह जाती है ।

खिर्सू ब्लाक, जिला गढ़वाल के एक ग्राम सेवक की वेतन वृद्धि

**2—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गढ़वाल के खिर्सू ब्लाक के एक ग्राम सेवक को 1958–59 से अभी तक कोई वेतन वृद्धि नहीं दी गई, जिसके कारण उस ग्राम सेवक का मानसिक सन्तुलन खराब हो रहा है ? यदि हां, तो वेतन-वृद्धि व अन्य वैतनिक वृद्धियां न देने का क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

खिर्सू ब्लाक, जिला गढ़वाल के एक ग्राम सेवक श्री श्रीधर प्रसाद भनगाई की जो 1972 में उत्तरकाशी से स्थानान्तरित होकर आय थ, अभी वेतन वृद्धियां नहीं दी जा सकी हैं ।

वेतन वृद्धियां मुख्यत: श्री मनगाई की सेवापुस्तिका के अभाव, में जो पूर्व प्रविष्टियों सहित उनकी नौगांव ब्लाक उत्तरकाशी व भूमि संरक्षण विभाग में की गई पुरानी सेवा अवधियों के बारे में जिला उत्तरकाशी से प्रतीक्षित है, देना सम्भव नहीं हुआ है ।

मामले को शीघ्र निपटाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

सन् 1959 से लेकर अब तक जो ग्राम सेवक को इतनी हानि उठानी पड़ी है उसके बिलम्ब के क्या-क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया सन् 1962 में नौगांव जिला उत्तर काशी से यह ग्राम सेवक खिर्सू जिला गढ़वाल में स्थानान्तरित हुये थे । ये सन् 1959 में कुछ समय तक भूमि संरक्षण विभाग में भी रहे थे । उनकी सेवा पुस्तिका भूमि संरक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक के पास भेजी गई । वहां से उन की सेवा पुस्तिका जल्दी से नहीं लौटी । जब वह वहां से लौटी तो उसको पुन: नौगांव भेजना पड़ा । नौगांव विकास खण्ड से वह अब तक प्राप्त नहीं हुई है । इस संबंध में शासन ने एक परिपत्र जिलाधीशों और आयुक्तों को भेज दिया है कि इस तरह के जितने भी मामले हैं उनको तुरन्त निबटा दिया जाये और बिलम्ब न हो । अगर किसी की सेवापुस्तिका नहीं मिल रही है तो उसकी नया बना दिया जाये ताकि किसी कर्मचारी को बिलम्ब के कारण कष्ट न हो ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार की जानकारी में यह बात आयी कि इस मामले में अनावश्यक बिलम्ब हुई है और एक सरकारी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से कष्ट उठाना पड़ रहा है तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस अनावश्यक बिलम्ब के लिए कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये ? अगर हां, तो उस संबंध में क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का निश्चय किया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

मान्यवर, इस सेवा पुस्तिका का संबंध सामुदायिक विकास खंड, नौगांव, जिला उत्तरकाशी और ,अतिरिक्त निदेशक कृषि विभाग से था । दोनों के बीच में यह सेवा पुस्तिका भेजी जाती रही । किसी ने अधूरी उसमें प्रविष्टि की और किसी ने वैसे ही उस को खिर्सू भेज दिया और फिर उसको खिर्सू से भेजना पड़ा । दोष किसी का नहीं है लकिन कहीं न कहीं इस में शिथिलता जरूर हुई है जिसके कारण इतना विलम्ब हुआ है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इसीलिए तो मैं यह जानना चाहता था, मेरा प्रश्न साफ नहीं हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष---

वे कह रहे हैं कि किसी का दोष नहीं है, लेकिन शिथिलता थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

शिथिलता को सरकार दोष नहीं मानती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने एक परिपत्र जारी करके विलम्बकारी कार्यवाही के विरुद्ध अधिकारियों को सतर्क किया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि यह कर्मचारी 2 साल के बाद सेवा निवृत हो जायेंगे और अब तक अस्थायी हैं ? क्या सरकार उन्हें सेवा निवृत होने से पहले स्थायी कर देगी और उनके वेतन वृद्धि के मामले को भी निपटा देगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

स्थायीकरण का मामला तो मेरे सामने नहीं है और उसके सम्बन्ध में पूरी सूचना भी नहीं है किन्तु जहां तक वेतन वृद्धि का सम्बन्ध है मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी जल्दी सम्भव होगा उतनी जल्दी इस ग्राम सेवक को वेतन वृद्धि दे दी जायगी।

बिजनौर की तीनों चीनी मिलों का तथाकथित बन्दी

**3--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि दिनांक 4 जनवरी, 1972 से बिजनौर की तीनों गन्ना मिलें अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों के हितो को ध्यान में रखते हुये मुख्य मन्त्री तत्काल मिलें चालू कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? मिल बन्द होने का क्या कारण है ?

मुख्य मन्त्री (श्री कपलापति त्रिपाठी)--

बिजनौर जिले की तीनों चीनी मिलें 4-1-72 से अनिश्चित काल के लिए बन्द नहीं हुई हैं।

इलाहाबाद के माघ मेले के अवसर पर राजकीय बसों की व्यवस्था

**4--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या सरकार इस वर्ष अर्द्धकुम्भी के मेले के अवसर पर व्यक्तिगत बसों को परमिट देने का विचार कर रही है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

इस वर्ष इलाहाबाद के माघ मेले के अवसर पर राष्ट्रीयकृत मार्गों के पूर्ण या आंशिक भाग में प्राइवेट बसों को स्टेज कैरिज परमिट देने का विचार नहीं है। यात्रियों को राजकीय रोडवेज की बसों से वहन करने की व्यवस्था की गयी है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

पहले जब प्रतापगढ़ के डी० एम० ने अयोध्या मेले के समय बसों के परमिट ईशू कर दिये थे उस समय माननीय परिवहन मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि प्राइवेट बसों को भी मेले के समय परमिट दिये जायेंगे, तो क्या इस बार माघ मेले पर भी परमिट प्राइवेट बसों को देने पर विचार मन्त्री जी करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

क्या आश्वासन दिया गया था यह तो याद नहीं है, लेकिन इस बार स्टेज कैरेज परमिट नहीं दिये गये हैं, जो कान्ट्रैक्ट परमिट होते हैं वे ही दिये गये हैं।

श्री रामगोपाल संड--

अमावश्या और मकर संक्रान्ति के मेले पर भी इलाहाबाद में इतनी भीड़ थी कि रोडवेज की बसें अपर्याप्त थीं और यात्रियों को बड़ी असुविधा हो रही थी। बसन्त पंचमी के दिन भी वहां बड़ी भीड़ रहती है और पूर्णमासी का मेला लगता है। तो जो लोग प्राइवेट बसों के लिए आवेदन-पत्र देंगे, क्या मन्त्री जी उन को अपनी बसें चलाने का परमिट देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

बसन्त पंचमी तो परसों है, यह कैसे हो सकता है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि माघ मेले के लिए कितनी अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो बसें चल रही हैं उन के अतिरिक्त 300 और बसों की व्यवस्था की गयी है ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार ने यह नीति बना ली है कि समस्त प्रदेश में आज भी मेले इत्यादि लगते हैं, कहीं पर भी ऐसी जगह जहां राजकीय वाहन चलते हैं, प्राइवेट बसों को परमिट नहीं दिये जायेंगे ?

श्री बलरामसिंह यादव—

जो राष्ट्रीयकृत या आंशिक राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं जहां पर कि राजकीय बसें चलती हैं वहां स्टेज कैरेज परमिट नहीं दिये जाते, वहां पर केवल कान्ट्रैक्ट परमिट ही दे सकते हैं ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

यह जो 300 बसों के परमिट दिये गये हैं यह किस आधार पर दिये गये हैं ? जिन्होंने पिछले वर्ष सप्लाई किया था क्या उनके क्लेम को भी आधार माना गया है या किस आधार पर दिये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

300 सरकारी बसें चलाने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री बलराम सिंह यादव—

प्राइवेट बसों को कोई परमिट नहीं दिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी जगह जहां पर कि मेले आदि में भीड़ बहुत हो जाती है और जहां राजकीय बसों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां पर प्राइवेट बसों को चलाने के लिए परमिट देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस मेले के लिए अभी तक कहीं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि वहां रोडवेज की जो बसें चल रही हैं वे अपर्याप्त हैं या यात्रियों को किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

खेड़ी ग्राम, ब्लाक मुरादनगर (मेरठ) के पास नाले पर पुल का प्रश्न

*1—श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या खेड़ी ग्राम (मेरठ) ब्लाक मुरादनगर के पास नाले पर पुल बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक यह पुल बन जाने की आशा की जा सकती है ?

सिंचाई उपमन्त्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं ।

प्रश्न का दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

इस नाले के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में मेरे और जनता के उन्हें जो पत्र मिले उनके उत्तर में उन्होंने जवाब दिया था कि निर्माण विचाराधीन है, तो अब किस कारण से वह निर्माण शासन के विचाराधीन नहीं है ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

यह नाला नेचुरल नाला है, इसलिए इस पर विभाग ने पुल बनाने से इन्कार कर दिया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

इस नाले पर पुल न होने के कारण 15–16 हजार किसानों का गन्ना उचित स्थान पर नहीं पहुंच पाता है, तो क्या इसकी महत्ता को देखते हुये मन्त्री जी इस पुल को बनवाने पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

यह नाला जिला परिषद् बनवा सकता है, क्योंकि यह उस के जूरिस्डिक्शन में आता है। सिंचाई विभाग इसको ठीक नहीं समझता है।

नलकूप उप खण्ड तृतीय (एटा) व नल कूप खण्ड–अलीगढ़ द्वितीय के वर्तमान अधिदर्शक के विरुद्ध जांच

*2—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नलकूप उप खंड तृतीय (एटा) नल कूप खण्ड—अलीगढ़ द्वितीय के वर्तमान अधिदर्शक के विरुद्ध सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, गबन एवं भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों से युक्त श्री हरीश कुमार, मैनगंज, एटा का दिनांक 22-10-71 का ज्ञापन एवं उसके साथ प्रश्नकर्ता का दिनांक 19-11-71 की टिप्पणी का कोई पत्र सरकार को मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बीरबहादुर सिंह—

विभागाध्यक्ष को जांच कराने के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आरोप-पत्र किस तिथि को प्राप्त हुआ और जांच के आदेश किस तिथि को निर्गत किये गये ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

आदेश शासन को 29-11-71 को प्राप्त हुये हैं और उसके बाद जांच करने के लिए दे दिया गया।

श्री कल्याण सिंह—

क्या जांच के पश्चात् जांच के परिणामों से इस सदन को मन्त्री जी ने अवगत करायेंगे ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामलखन)—

जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही होगी, अवश्य सदन को अवगत करा दिया जायगा।

आजमगढ़ उपक्षेत्र में रोडवेज बसों के टायर के अभाव में हानि

*3—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उपक्षेत्र आजमगढ़ के अन्तर्गत रोडवेज की से कितनी टायर के अभाव में गत माह अप्रैल से जून, 1971 तक कितने दिनों से खड़ी थीं और उन गाड़ियों के प्रयोग न होने के कारण सरकार को कुल कितन रुपय की घाटा हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव—

आजमगढ़ उपक्षेत्र के अन्तर्गत टायर के अभाव में गत माह अप्रैल से जून, 1971 तक आठ बसें जितने दिनों तक टायर के अभाव में खड़ी रहीं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	बस सं०	खड़े रहने की अवधि
1.	9540	1-4-71 से 12-4-71
2.	8576	6-6-71 से 30-6-71
3.	3364	18-5-71 से 30-6-71
4.	2162	20-5-71 से 26-5-71
5.	6865	3-6-71 से 30-6-71
6.	9103	6-6-71 से 17-6-71
7.	4202	27-6-71 से 30-6-71
8.	7553	17-6-71 से 30-6-71

उपर्युक्त बसों के प्रश्नगत अवधि में खड़े रहने के कारण सरकार को रुपए 1,521.32 पैसे की अनुमानित हानि हुई ।

श्री लालसा—

8-8 बसें इतने लम्बे समय तक टायर के अभाव में खड़ी रहीं और उनके फलस्वरूप घाटा बहुत कम दिखाया गया है, तो टायर के अभाव का क्या कारण है और इस घाटे का जिम्मेदार कौन है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह बात सबको विदित है कि कुछ दिनों से टायरों का अभाव चल रहा है । यहां पर डनलप कम्पनी सप्लाई करता है यानी गोरखपुर रीजन में । उसे प्राप्त करने के लिए सारे प्रयास किये गये गोरखपुर रीजन के दफ्तर को लिखा गया, टेलीफोन से बात की गयी, लखनऊ में जो मैनेजर रहता है उससे और कम्पनी से कान्टेक्ट किया गया है । टायरों के तंगी की वजह से यह बसें खड़ी रहीं ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि डनलप टायर कम्पनी से गोरखपुर रीजन को टायर दिये जाते हैं । अपने प्रदेश ही में अन्य प्रकार की कम्पनियां हैं, क्या उनको उन्होंने सूचना दी कि टायरों का अभाव है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, ऐसा है कि अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग कम्पनियां सप्लाई करती हैं । गोरखपुर रीजन डनलप कम्पनी से खरीदती है । टायरों की तंगी की वजह से हर रीजन में परेशानी हुई और हर जगह कुछ न कुछ बसें खड़ी रहीं ।

श्री धर्मवीर—

जब 8 बसें इतने दिनों तक खड़ी रहीं तो उन के फलस्वरूप जो घाटा 15 सौ रुपये का दिखाया गया है वह बहुत ही कम मालूम पड़ता है । क्या मन्त्री जी पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि क्या वास्तव में 1,500 रुपये का ही नुकसान हुआ है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

इसको निकालने का अपना तरीका है, जितना खर्चा प्रति किलोमीटर प्रति बस के ऊपर होता है और जितनी आय प्रति किलोमीटर प्रति बस होती है, उसका डिफरेंस निकालते हैं। उसी के आधार पर यह घाटा निकाला जाता है और उसके आधार पर मुझे सूचना दी गयी है कि यह आय निकाली गयी है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या इस बात को देखते हुये कि बड़ी मात्रा में वर्तमान अवस्था में टायर और ट्यूब चोरी होते हैं इसलिए बहुत सी बसें खड़ी रहती हैं और सरकार को बड़ी हानि होती है कोई ऐसी सदन की कमेटी नियुक्त करने का आश्वासन दे रहे हैं, जो इस बात की जांच करे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दूसरा सवाल हो गया ?

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन टायरों की खराबी की जानकारी सबसे पहले विभाग को कब हुई और कितने दिनों बाद टायर मिले ?

श्री बलरामसिंह यादव—

यह काम तो विभाग ही करता है। लिहाजा विभाग को जब कमी होगी तब उसको मालूम हो ही जायेगा।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि वहां पर टायरों की ऐसी शिकायत मिली है कि वहां के जनरल मैनेजर ने पुराने टायरों को लगवा कर नये टायर बेचवा दिया है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

एटा जिले के विधान सभाई क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि और उनकी सिंचाई

*4—श्री नेतराम सिंह तथा श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिला के किस-किस विधान सभाई क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि कृषि योग्य है ? कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई राजकीय नलकूपों, नहरों, निजी नलकूपों तथा अन्य साधनों द्वारा की जाती है और कितनी-कितनी भूमि किस-किस विधान सभा क्षेत्र में असिंचित है ? असिंचित भूमि को सिंचित करने की सरकार की क्या योजना है और यह कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग

तालिका संलग्न है।

प्रश्न का द्वितीय भाग

एटा जिले को लाभान्वित करने के लिये निम्नलिखित मुख्य योजनायें प्रस्तावित है:—

(1) रामगंगा नदी योजना से इस जिले में कुछ नई नहरें निर्मित होंगी और वर्तमान नहरों पर सिंचाई सघनता बढ़ायी जायेगी। अनुमान है कि इस योजना के पूर्ण होने के फलस्वरूप एटा जिले की लगभग 41,000 एकड़ भूमि को सिंचाई लाभ प्राप्त होंगे। यह प्रायोजना वर्ष 1974–75 में पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

(2) वर्तमान वर्ष 1971-72 में एटा जिले में 25 राजकीय नलकूपों के बनने का प्रस्ताव है । अगले वर्षों में भी सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए इस जिले में यथासंभव नलकूप प्रदान किये जायेंगे ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 120 पर)

(प्रश्न 4 लेने पर भारतीय क्रांति दल के कई माननीय सदस्य खड़े हुए और साथ-साथ कुछ कहने लगे ।)

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से आप नहीं कह सकते । आपको कहने की इजाजत नहीं देता और आप लोग उद्दंड हैं । सवालों के जवाब में जो खड़े होते हैं उनको समय देता हूं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

आपसे रिक्वैस्ट करते हैं, आप देखते नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको नहीं देखेंगे हम सबको देखेंगे । इस तरह से आप समय नष्ट करते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(प्रश्न का लिखित उत्तर पढ़ा जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय नेता राम सिंह ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री नेतराम सिंह---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि.....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---

एक व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था की मांग अनुचित है ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

व्यवस्था आपको देनी चाहिये ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं बिल्कुल इजाजत नहीं देता । मैं व्यवस्था देता हूं कि आप बैठिये ।

श्री नेत राम सिंह---

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उत्तर में कहा गया है रामगंगा नदी योजना से 41 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई 1974-75 तक किये जाने की व्यवस्था है, इसमें जो नहरें निकाली जायेंगी यह नहरें कहां-कहां होकर और कैसे-कैसे निकाली जायेंगी ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री कल्याणसिंह—

यह रामगंगा नदी योजना से 1974–75 में केवल 41 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और आंकड़े देखने पर ज्ञात होगा कि एटा जिले में असिंचित क्षेत्रफल 2 लाख 78 हजार एकड़ के ऊपर है ? इतने अभाव को देखते हुए जिले की सिंचाई के लिये मास्टर प्लान की व्यवस्था करेंगे ताकि सारे जिले की भूमि की सिंचाई व्यवस्था हो सके ?

श्री रामलखन—

जैसे-जैसे सुविधायें मिलती जायंगी जिले की सिंचाई की व्यवस्था को करने के लिये प्रबन्ध किया जायगा ।

श्री नेतराम सिंह—

राम गंगा नहर से नहरें निकाली जायंगी और उसके लिये मास्टर प्लान बनाया जायगा तो क्या उसके लिये जिले के विधायकों की समिति बनाई जायगी और उनकी राय ली जायगी ?

श्री रामलखन—

कहां-कहां मायनर बनाना है इसको टेक्निकल आदमियों से एग्जामिन कराया जा सकता है । विधायकों की समिति बनाना आवश्यक नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र—

एटा जिले में अगले वर्ष जो 25 ट्यूबवेल लगाये जायेंगे तो उनमें अलीगंज तहसील में कितने ट्यूबवेल लगेंगे ?

श्री वीरबहादुर सिंह—

जो जिलों में चयन समिति होती है वह तय करता है कि ट्यूबवेल्स कहां-कहां लगेंगे और जहां वह तय करती है वहां ट्यूबवेल लगाये जाते हैं ।

गोरखपुर क्षेत्र में राजकीय बस कन्डक्टरों का निलम्बन

*5—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रीजन में 1969 से 30 सितम्बर, 1971 तक कितने राजकीय बस कन्डेक्टर (परिचालक) गलत कार्य करने हेतु सस्पेंड किये गये और प्रबन्धक, राजकीय रोडवेज ने नाजायज तरीके से बहाल कर दिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गोरखपुर क्षेत्र में इस अवधि में 98 बस कन्डक्टर निलम्बित किये गये । किसी कन्डक्टर के नाजायज तरीके से बहाल करने की सूचना शासन को नहीं है ।

बहेड़ी, जिला बरेली में मुन्डीया नबी बक्स मार्ग पर बने पुलों की लागत

*6—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहेड़ी जिला बरेली में जो सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुन्डीया नबी बक्स को जाती हैं उस पर बना हुआ पुल जो सैलाब से सन् 1969 में गिर गया था, कब बना और उस पर क्या लागत आयी थी ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

प्रश्नगत पुल का निर्माण 1956–57 में किया गया था । पुल का निर्माण सिंचाई विभाग न किया था । इसलिये लागत क संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

*7—श्री शफीक अहमद खां—

क्या उपरोक्त पुल सन् 1969 में गिर जाने के उपरान्त इसी जगह सन् 1970 में एक लकड़ी का पुल विभाग ने बनाया और बाद को भी उस पर मिट्टी वगैरह से मरम्मत होती रही ? यदि हां, तो इस पर क्या खर्चा हुआ और क्या सन् 1971 के सैलाब में वह भी टूट गया । इसके क्या कारण हैं और इसकी किस पर जिम्मेदारी है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां । इस अस्थायी लकड़ी के पुल के निर्माण पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 49,359 रुपये व्यय किए गये थे । 1971 की असाधारण व अप्रत्याशित वर्षा के कारण तेज पानी के बहाव से यह अस्थायी पुल 10 सितम्बर, 1971 को गिर गया था । पुल अभूतपूर्व बाढ़ के कारण गिरा इसलिये किसी अधिकारी का इसके गिरने के लिये जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शफीक अहमद खां—

क्या इस नाले के ऊपर गिर जाने वाले पुल के 1 मील के ऊपर एक दूसरा पुल बना हुआ है?

श्री राजबिहारी सिंह—

इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

जो सैलाब के कारण पुल ध्वस्त हो गये हैं उनके पुनर्निर्माण पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह सवाल अभी शासन के विचाराधीन नहीं है ।

गोरखपुर रीजन में कन्डक्टरों व बुकिंग क्लर्कों की नियुक्तियां

*8—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1970 से 31 अगस्त, 1971 तक गोरखपुर रीजन में रोडवेज में कितने बस कन्डक्टर व बुकिंग क्लर्क नियुक्त हुए और क्या यह भी सही है कि केवल एक ही गांव भोजा ठकरहा, थाना धनहा, सूबा बिहार के 7 कन्डक्टर इस अवधि में नियुक्त हुए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

1 जनवरी, 1970 से 31 अगस्त, 1971 तक गोरखपुर रीजन में 176 कन्डक्टर तथा 24 बुकिंग क्लर्क नियुक्त किये गये । उक्त अवधि में ग्राम मौजा ठकरहा, सूबा बिहार के 2 व्यक्ति कन्डक्टर के पद पर नियुक्त किये गये। इनकी नियुक्ति 1966-67 के हड़ताल के समय किये गये काम के आधार पर की गई ।

श्री रामधारी शास्त्री—

1966-67 में गोरखपुर रीजन में हड़ताल के सिलसिले में कितने लोगों ने इस तरह से काम किया और कितनों की उसमें नियुक्ति की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन जो दो व्यक्ति एम्प्लाय किये गय हैं इन्होंने उस समय हड़ताल में काम किया था और इसी के आधार पर उनकी नियुक्ति की गयी है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

जिस हड़ताल का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है उस हड़ताल के सिलसिले में काम करने वाले लोगों, कंडक्टरों को जनरल मैनेजर ने एक बार नहीं कई बार नोटिसेज दे कर बुलाया उनसे जमानत दाखिल करवाई और उन लोगों को कहा कि आप फलां तारीख पर आइये, आपकी नियुक्ति की जायगी लेकिन उसके बाद भी उनकी नियुक्ति न करके नये लोगों को रखने का कारण क्या है ?

श्री बलरामसिंह यादव---

मान्यवर, इस स्पेसिफिक क्वाइन्ट की तो मुझे जानकारी नहीं है किन्तु जैसे कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह की शिकायतें आई हैं । पिछले दिनों इसी सदन में किसी प्रश्न के उत्तर में मैंने आश्वासन दिया था कि उन सारी शिकायतों पर डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर को इन्क्वायरी के लिये नियुक्त किया गया है जो कि इन सारे मामलों पर छानबीन करके इस माह के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे दें । उनकी रिपोर्ट शासन को इसी माह प्रेषित होने की संभावना है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने रामलखन सिंह जी को बुलाया है । आप अपनी बात मंत्री जी को लिखकर दे दें ।

श्री रामलखन सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के जो जनरल मैनेजर हैं वे पिछली बार भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गये थे । उनकी सारी तनख्वाह कट जाती है और उन्हें केवल 160 रुपया तनख्वाह के रूप में मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस समय यह सवाल नहीं है ।

श्री सुखपाल पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जो नियुक्ति की गई है वह इम्प्लायमेंट इक्सचेंज द्वारा की गई है और मेरी सूचना को सही मानकर कि वहां पर प्रत्येक व्यक्ति से पांच-पांच सौ रुपये लेकर नियुक्ति हुई है, इसकी वे जांच करायेंगे ?

श्री बलरामसिंह यादव---

मान्यवर, यही सारे कंडेक्टर्स हैं जिनके बारे में जांच हो रही है ।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 176 कंडक्टर्स और 24 बुकिंग क्लार्क्स की नियुक्ति हुई है वह एक ही दिन नियुक्ति हुई है या दो-दो, चार-चार दिन अलग-अलग तिथियों को हुई है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, डिफरेंट डेट्स में ये नियुक्तियां हुई हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने उत्तर दिया है कि उन्हें इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं, माननीय सुखपाल पांडेय जी ने भी कहा है और मेरी भी जानकारी है, क्या वे पूरे प्रदेश में इस प्रश्न पर जांच करवायेंगे कि जो नियुक्तियां की गई हैं वे इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा की गई है या सीधी नियुक्तियां की गई है?

श्री बलरामसिंह यादव—

जहां-जहां से शिकायतें आती जायेंगी वहां-वहां निश्चित रूप से इन्क्वायरी करा दी जायेगी ।

श्री रामलाल भाई (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यदि एक ही जिले के एक ही गांव या शहर के 10 आदमी इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति करने में क्या अड़चनें हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव—

मान्यवर, यदि 10 आदमी एक ही जगह से इम्तिहान को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि जो सरकार के सामने शिकायतें हैं उस जनरल मैनेजर के काम के सिलसिले में यदि जब उनकी सर्विस का समय समाप्त हो रहा है और उनको एक्सटेंशन की आवश्यकता है तो क्या सरकार उनको एक्सटेंशन भी देने जा रही है?

श्री बलरामसिंह यादव—

मान्यवर, उनके एक्सटेंशन का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री महीलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जब शासन के यह आदेश हैं कि जो भी नियुक्तियां की जाया करें वे इम्प्लायमेंट एक्सचेंज के द्वारा ही की जाया करें । यदि इस तरह के आदेश हैं तो क्या वे इस बात की जांच करेंगे कि जिनकी सीधी नियुक्तियां की गई हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री बलरामसिंह यादव—

मान्यवर, अगर कोई शिकायत आयेगी तो उनकी हम जांच करा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री महीलाल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ..... (व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, ये लोग क्वेश्चन का सही जवाब नहीं देते हैं, उत्तर छिपा कर रखे रहते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

जब प्रश्न ही ऐसा है और विचार के लिये समय की मांग की जाय तो वह दूसरा ही प्रश्न हो जाता है। (घोर व्यवधान)

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, ये ऐसे मामले हैं जिनमें कितने ही रुपये घूस लेकर ये नियुक्तियां की जाती हैं ।

अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में रोडवेज की दुर्घटनाओं का विवरण तथा अन्तरिम सहायता

*9—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतावेंगे कि 1 जुलाई, 1971 से 31 अक्तूबर, 1971 तक राजकीय रोडवेज की कितनी यात्री बसें किन-किन तारीखों पर जिला अल्मोड़ा, नैनीताल व पिथौरागढ़ में दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हुईं और इन दुर्घटनाओं में कुल जनक्षति कितनी हुई और उन दुर्घटनाओं की क्या कोई जांच करायी गई ? यदि हां, तो इनकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस अवधि में अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में रोडवेज की दुर्घटनाओं का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है । चार दुर्घटनाओं को छोड़कर जिनमें केवल बस को मामूली क्षति पहुंची स्थानीय मैजिस्टीरियल जांच की कार्यवाही की गई है । इनमें से भीमताल जिला नैनीताल में हुई दिनांक 11-7-1971 की दुर्घटना के बारे में मैजिस्टीरियल जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इसके संबंध में प्राप्त मैजिस्टीरियल रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण, सड़क की खराबी तथा बस चालक द्वारा बस ठीक से न चलाया जाना बतलाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 121 पर)

श्री इन्द्रलाल—

आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि इस प्रश्न में इनकम्पलीट उत्तर मिला है । प्रश्न में मैंने स्पष्ट पूछा था कि कुछ जन-क्षति कितनी हुई ? साथ ही इसी भीमताल की बस दुर्घटना में आपने व्यवस्था दी थी कि जो नियम 51 में गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया उस पर दोबारा इंक्वायरी के आदेश कर दिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो अलग सवाल कीजियेगा । इस पर क्या प्रश्न करना है ?

श्री इन्द्रलाल—

इतनी अवधि के बाद जहां 17 एक्सीडेंट हुए तो एक ही रिपोर्ट प्राप्त हुई तो बाकी की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा की जाय?

श्री बलरामसिंह यादव—

कल दूसरी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है । यह जो प्रश्न पूछा गया था, इसके साथ जो पिथौरागढ़ में एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन एक्सीडेंट्स में जिन लोगों की जानें गयी हैं उनके परिवार वालों को कोई कम्पेंसेशन देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलरामसिंह यादव—

इनमें लगभग सभी लोगों के परिवार वालों को 1-1 हजार रुपये की अंतरिम सहायता दे दी गयी है।

श्री इन्द्रलाल--

जैसा कि भीमताल में 17 जानें गयीं, दूसरी दुर्घटना रामगढ़ में 5 जानें गयीं, इसके अलावा और 15 दुर्घटनाओं में कितनी ही जानें गयीं तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी धनराशि और कितने लोगों को दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बड़ा व्यापक सवाल किया है । आपके पास सूचना हो तो दे दें ।

श्री बलरामसिंह यादव--

पहली दुर्घटना जो 19-7-71 को हुई थी उसमें सभी मृतक लोगों के परिवारों को, 1 हजार रुपये के हिसाब से अन्तरिम सहायता दे दी गयी है जनरल मैनेजर रोडवेज के द्वारा। दूसरी दुर्घटना 14-7-71 को हुई । इनमें सभी परिवारों को मुआवजा देने का प्रबन्ध कर दिया गया है प्रधान प्रबन्धक के द्वारा आदेश दे दिये गये हैं । तीसरी दुर्घटना 27-10-71 को हुई, इसमें भी 1-1 हजार रुपये की अंतरिम सहायता दे दी गयी, लेकिन इस दुर्घटना में एक व्यक्ति पहचाना नहीं जा सका, उसके परिवार वालों को कोई सहायता नहीं दी जा सकी ।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--

उन्होंने कहा जो दुर्घटना में मरे हैं उनको 1 हजार की अन्तरिम सहायता दे दी गयी है, तो यह बतायेंगे कि उनको पूरा मुआवजा कितना दिया जायगा और कब तक दिया जायगा?

श्री बलरामसिंह यादव---

यह अन्तरिम सहायता देने का अधिकार जनरल मैनेजर को होता है । सहानुभूति के तौर पर विभाग 1 हजार रुपये की मृतक के हिसाब से दे देता है । इसके बाद ऐसा होता है कि एक समिति बनी हुई है। जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जनरल मैनेजर होता है जो 5 हजार रुपये तक कम्पेंसेशन देना तय करते हैं । इससे ज्यादा यदि देना होता है तो डिप्टी ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर, एल०आर० और एक फाइनेंस विभाग का अधिकारी होता है, यह लोग मिल कर 5 हजार रुपये से ऊपर कम्पेंसेशन देने के लिये तय करते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुरानी रोडवेज की बसेज पहाड़ी इलाकों में चलाई जाती हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव----

यह जो बसें थी बहुत पुरानी नहीं थीं । वैसे जहां तक पहाड़ी क्षेत्रों में बसें चलाने का संबंध है कुछ बसें पुरानी अवश्य थीं । लेकिन शासन ने निर्णय ले लिया है मुख्य मंत्री जी की आज्ञा से और वहां जो पुरानी बसें हैं, उनको रिप्लेस किया जा रहा है । नई बसें बहुत सी जगह भेजी जा रही हैं । इस संबंध में बहुत कुछ किया जा चुका है और आगे भी किया जा रहा है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्राइवेट गाड़ी में अगर कोई घटना होती है तो बीस हजार रुपये तक इंश्योरेंस कम्पनी मुआवजा देती है। इस सरकार ने 5 हजार रुपये तक मुआवजा देना किस नियम के आधार पर रखा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह जरूरी नहीं है कि पांच हजार तक ही मुआवजा दिया जाय । आगे भी दिया जा सकता है ।

गोंडा जिले में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*10—श्री श्रीरामसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 1970-71 में यात्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा विभागीय अधिकारियों के निरीक्षणों में कितने कर्मचारियों को नियम विरुद्ध कार्य करत पाया गया और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1970-71 में यात्रियों से कर्मचारियों के विरुद्ध 21 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनम से 5 कर्मचारियों को नियम विरुद्ध कार्य करते पाया गया। इन पांच कर्मचारियों को भविष्य के लिए चेतावनी दे दी गई है।

[१६ जनवरी, १६७२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में सिंचाई विभाग के भण्डारपालों का स्थायीकरण व सुविधाएं

*1—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कितने भंडारपाल कार्यरत हैं, और उन्हें स्थायीकरण की वे सब सुविधाय प्राप्त हैं जो कि अन्य वर्गों के कर्मचारियों को दी जाती हैं? यदि हां, तो अभी तक सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा कितने पद भंडारपालों के स्थाई घोषित किये गये हैं, कितने भंडारपाल स्थाई हैं तथा उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत भंडारपालों की अद्यावधि सं० 243 है। भंडारपालों का स्थायीकरण भी अन्य वर्ग के कर्मचारियों की भांति स्थायी पदों के स्वीकृत होने के उपरान्त किया जाता है।

शासन द्वारा स्वीकृत स्थाई पदों की सं० 13 हैं जिनमें से 5 भंडारपाल स्थायी घोषित किये जा चुके हैं तथा अन्य 8 स्थायी पदों पर स्थायीकरण की कायव ही की जा रही है। स्थायी भंडा रपालों को अन्य वर्गों के स्थायी कर्मचारियों की ही भांति पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश आदि की नियमानुकूल सुविधायें प्राप्त हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि 243 स्थान भंडारपाल के हैं जिसमें 13 स्थान स्थायी स्वीकृत हुय हैं और स्थायी हो चुके ह तो मैं जानना चाहता हूं कि स्थायी पदों को स्वीकृत करने के लिये सरकार की क्या नीति है?

श्री रामलखन—

जैसे-जैसे स्थायी पदों का सृजन होता जाता है उसके अनुसार कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है।

श्री रामगोपाल सण्ड—

श्रीमन्, मन्त्री जी ने बताया कि 243 आदमी काम कर रहे हैं। 13 स्थायी पद हैं और 5 स्थायी किये जा चुके हैं। क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि इतनी बड़ी संख्या म से अधिकांश को 31 मार्च, 1972 तक स्थायी कर देंगे?

श्री रामलखन---

ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी सेवायें 3 साल से अधिक हो गई हैं उनमें से 90 प्रतिशत स्थायी करन का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि 13 स्थान कब स्थायी किये गये और 5 की स्थायी नियुक्ति कब की गई ?

श्री बीरबहादुर सिंह---

इसके लिये पूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब उन्होंने सदन में घोषणा की है कि तीन साल सर्विस वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जायगा तो मैं उनको और छूट देना चाहता हूं कि 12 साल की सर्विस वाल जिन कर्मचारियों को रिट्रेंच कर दिया गया है उनको पुनः सेवा में लगाया जायेगा ?

श्री राम लखन---

जिन कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं थी, अगर उनको हटा दिया गया है, अगर कभी आवश्यकता हुई तो फिर उनको रख लिया जायगा।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि 200 से अधिक भंडारपालों में कितनों को स्थायी करने के लिये स्थायी स्थानों को क्रिएट कर दिया गया है ?

श्री रामलखन---

1971-72 में 86 लोगों के स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामगोपाल सण्ड---

243 लोगों में से कितने भंडारपाल ऐसे हैं जो पिछले पांच वर्षों से अधिक से कार्य कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो ब्योरे का सवाल है।

श्री रामगोपाल सण्ड---

क्या सिंचाई मन्त्री जी यह बतायेंगे कि 12 साल से अधिक के कितने भंडारपाल हैं, जिनको ओवरा या मिर्जापुर के आसपास से निकाल दिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह नया सवाल है।

श्री रामप्यारे---

जब माननीय मन्त्री जी 3 साल से अधिक के सब लोगों को स्थायी कर रहे हैं तो फिर इन लोगों को जिन्हें 12 साल की सर्विस के बाद भी निकाल दिया गया है, पुनः विभाग म रखगे ?

श्री रामलखन---

3 वर्ष से अधिक के वहां कर्मचारी स्थायी किये जायेंगे जिनके पदों को आगे चलने की सम्भावना हो ।

फैजाबाद विभागीय सेतु निर्माण इकाई के अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों का निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता तथा अभियंताओं के प्रयोग हेतु जीपें

*2--श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतावेंगे कि फैजाबाद विभागीय सेतु निर्माण इकाई के स्थानिक अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षक दिनांक 1 जनवरी, 69 से 30 सितम्बर, 1971 तक क्रमशः कितनी बार, कब-कब अपने कार्य स्थलों पर कार्य का निरीक्षण करने हेतु गये हैं तथा कितनी धनराशि यात्रा भत्ता के रूप म प्राप्त किया है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 122--132 पर)

*3--श्री सूरज लाल गुप्त--

क्या सार्बजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतावेंगे कि उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित डिवीजन में अभियन्ताओं के प्रयोग के लिये कुल कितनी जीपें तथा कारें हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह--

विभागीय निर्माण संगठन (सेतु) फैजाबाद में अभियन्ताओं के प्रयोग के लिए इस समय केवल 3 जीपें हैं।

श्री सूरजलाल गुप्त--

माननीय मन्त्री जी ने जो विवरण दिया है वह बहुत गलत दिया है। क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि बहुत से अभियन्ताओं ने फर्जी भत्ता बनाया है ?

श्री राजबिहारी सिंह--

सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य लिख कर भेजेंगे कि फलां फलां तारीख में फलां फलां इंजीनियर ने गलत काम किया, तो हम जांच करा लेंगे।

श्री सूरजलाल गुप्त--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे 1969-70 में कितनी जीप थी ?

श्री राज बिहारी सिंह--

एक जीप 1 जनवरी, 1969 से मई, 69 तक रही, 2 जून, 69 से अक्तूबर, 69 तक, फिर 5 नवम्बर, 69 से दिसम्बर, 69 तक और 3 जनवरी, 70 से 20 सितम्बर, तक रही ।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(दर्शक दीर्घा से कुछ पर्चे फेंके जाने और नारे लगाने पर)

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष जी, उधर कुछ ऊपर से फेंका गया है और गांधी जी व इन्दिरा गांधी जी की जय बोली गई, आप बतायें कि क्या फेंका गया है...उधर ही कुछ फेंका गया है हम आप की व्यवस्था चाहते ह कि यह इन्दिरा जी की जय उधर से कैसे यहां बोला जा रहा है ..।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके लिये मार्शल कार्यवाही करेंगे, आप बैठें।

श्री रामगोपाल सण्ड---

हमें बताया जाय कि किसके साथ अन्याय हुआ है क्यों पर्चे फेंके गये, किसने फेंके..

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इसमें तो श्रीमन, सरकार की जय मालूम होती है या मुख्य मन्त्री जी की जय ना। प्रधान मन्त्री की जय का लगाया जा रहा है .. (व्यवधान)

(ऊपर से फिर नारे लगाये गये)

श्री उपाध्यक्ष---

आप शान्त रहें और कार्यवाही चलने दें।

श्री रामगोपाल सण्ड---

किसके साथ अन्याय हुआ है, यह नारे क्यों लगाये जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

अभी नहीं, उन पर कार्यवाही होगी।

श्री रामगोपाल सण्ड---

वह नारे लगा रहे हैं आप के दरवाजे पर कोई पीड़ित आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर कोई पीड़ित हैं तो वे भी नियमानुसार ही आ सकते हैं।

प्रश्नोत्तर---(क्रमागत)

ओवरसियर, श्री ताराचन्द्र सिंह गौतम का गोरखपुर में अधिक ठहरना

*4.---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थिति)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रान्तीय खंड गोरखपुर में कितने ऐसे ओवरसियर हैं जिनकी नियुक्ति वहां 3 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी वहीं तैनात हैं और उनके नाम क्या हैं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री महमूद अली खां)---

केवल एक ओवरसियर ताराचन्द्र सिंह गौतम वहां तीन वर्ष से अधिक से तैनात हैं।

जनरल मैनेजर कानपुर के कार्यालय के क्लर्क एकाउन्टेंट और कोषाध्यक्ष

*5.---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर के जनरल मैनेजर व उप जनरल मैनेजर रोडवेज के कार्यालय में क्लर्क एवं कोषाध्यक्ष कौन-कौन हैं और वह अलग-अलग कितने वर्षों से वहीं नियुक्त ह और क्या यह सही है कि ये अधिकारियों के पक्षपात के कारण स्थानान्तरित नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण कब तक किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव---

जनरल मैनेजर, कानपुर के कार्यालय में 16 क्लर्क एकाउन्टेंट और कोषाध्यक्ष हैं। इनकी सूची जिसमें यह भी दिखाया गया है कि वे अपने स्थानों पर कितने वर्षों से हैं संलग्न है।

यह सही नहीं है कि कर्मचारियों का स्थानान्तरण पक्षपात के कारण नहीं किया गया। शासन के आदेशानुसार निम्न श्रेणी वाले सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः अपने जिले/डिवीजन से दूर नहीं किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 133—35 पर)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

यह जो 106 क्लर्क, अकाउन्टेंट और कोषाध्यक्ष हैं उनमें से 75, तीन साल से अधिक से और 23-23 साल से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं जिसके कारण मनमानी, अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो क्या ऐसे लोगों का स्थानान्तरण जल्द ही किया जायगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि शासन के ऐसे आदेश हैं कि जो अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका स्थानान्तरण अकारण न किया जाय परन्तु यदि माननीय सदस्य यह इंगित करेंगे और सरकार को सूचित करेंगे कि फलां कर्मचारी की शिकायतें हैं तो उस पर सरकार विचार करेगी और सही शिकायत होने पर स्थानान्तरण किया जायगा और दूसरी कार्यवाही की जायगी।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कर्मचारी हैं वह किस जिले के हैं? उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों का स्थानान्तरण साधारणतया अपने डिवीजन से दूर नहीं किया जाता तो क्या यह कर्मचारी उसी डिवीजन और जिले के हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी डिटेल्ड सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको इतने से सन्तोष नहीं है तो आप और सम्बन्धित सवाल कर लें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

यह डिवीजन और जिले के लोग हैं इसलिये उनका तबादला नहीं किया जाता है तो क्या डिवीजन से बाहर के लोगों का वह स्थानान्तरण करेंगे?

श्री बलराम सिंह यादव—

यदि ऐसे कर्मचारियों का कोई आवेदन-पत्र आयेगा तो उस पर अवश्य विचार किया जायगा।

श्री रामकिशोर शुक्ल—

क्या कोषाध्यक्ष भी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो नियम का सवाल है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने वेतन तक के लोगों को सरकार अल्प-वेतन भोगी कर्मचारी समझती है?

श्री बलराम सिंह यादव—

जो इन्सपक्टर ग्रेड से नीचे के लोग होते हैं उनको अल्प-वतन भोगी माना जाता है।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 1968-69, 1969-70 में सिंचाई की योजनाएं

*6--श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 1968-69 1969-70 में कुल कितनी सिंचाई की योजनायें शुरू की गई हैं और अब तक उनकी क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

वर्ष 1968-69 में एक वृहत सिंचाई, चार माध्यमिक सिंचाई, चार पर्वतीय जनपदों में पहाड़ी नहरों, 88 लघु डाल सिंचाई नहर प्रायोजनायें तथा तीन नलकूप प्रायोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया। इन प्रयोजनाओं में से तीन माध्यमिक तथा 74 लघु डाल सिंचाई प्रायोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और उनसे सिंचाई हो रही है। वृहत प्रायोजना पर कार्य चल रहा है और पंचम व षष्टम् पंचवर्षीय योजनाओं में पूर्ण होने का अनुमान है। शेष प्रायोजनाओं की वर्ष 1972-73 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

वर्ष 1969-70 में दो माध्यमिक सिंचाई, 85 लघु डाल सिंचाई तथा तीन नलकूप प्रयोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया। इन प्रायोजनाओं म से एक माध्यमिक प्रायोजना का कार्य 1971-72 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। दूसरी माध्यमिक प्रायोजना वर्ष 1974-75 तक पूर्ण होने का अनुमान है। लघु डाल सिंचाई प्रायोजनाओं में से 16 प्रायोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और शेष इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

जैसा माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 4 पवर्तीय जन पदों पर पहाड़ी नहरों का निर्माण किया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि वे 4 नहरें कौन-कौन हैं और किन-किन जनपदों में बनायी गयी हैं और उनकी क्या प्रगति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

ये नहरें टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अलमोड़ा और नैनीताल जिलों में बनायी जा रही हैं। उनकी लम्बाई 38 मील है और 26 लाख 11 हजार की योजना है।

श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में कितनी सिंचाई की योजनायें हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो नया सवाल है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री इन्द्रमणि---

इन नहरों के क्या-क्या नाम हैं ? कौन-कौन सी योजनायें आप बना रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

एक लम्बी लिस्ट है। इसको पढ़ने के लिए समय चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जिला टिहरी गढ़वाल की जो योजना प्रस्तावित है, उसके पूरे होने की कब तक आशा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

इसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। 20 प्रतिशत केवल शेष है।

झूलाघाट, जिला पिथौरागढ़ के समीप रोडवेज बस की दुर्घटना सम्बन्धित अन्तरिम सहायता

*7--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज की कोई बस झूलाघाट जिला पिथौरागढ़ के समीप 27 अक्तूबर, 1971 को खड्ड में गिर गई ? जिसके फलस्वरूप 14 यात्री तत्काल मर गये और अनेक घायल हुए ? यदि हां, तो दुर्घटना के कारण बस का पुराना होना था ? और क्या राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को कोई आर्थिक सहायता दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। बस सं० यू० एस० आर० 3771, दिनांक 27 अक्तूबर, 1971 को पिथौरागढ़ से झूलाघाट जाते समय क्रमशः 9 बजे प्रातः झूलाघाट से लगभग एक कीलोमीटर पहले खड्ड में गिर गई। इस दुर्घटना में 14 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 17 घायल हुये। दुर्घटना ग्रस्त बस पुरानी नहीं थी। इस दुर्घटना की न्यायिक जांच हो रही है। सरकार ने 13 मृतकों के परिवार वालों को 1000 रु० (एक हजार रु०) प्रति मृतक के परिवार के हिसाब से अन्तरिम आर्थिक सहायता दी है। एक मृत की पहचान न हो सकी, अतः उसके आश्रितों को अन्तरिम सहायता नहीं दी जा सकी।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यातायात की आवश्यकतानुसार बसें

*8--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जिन पर बसों की कमी के कारण यात्रियों को बहुत असुविधा है, निजी बसों के चलाने की परमिट देने की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, वो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यातायात की आवश्यकतानुसार बसें उपलब्ध की जाती हैं। इन मार्गों पर प्राइवेट बसों को परमिट देने का प्रश्न नहीं उठता ?

श्री रामगोपाल सण्ड--

श्रीमन्, इस बात को देखते हुए कि यह दुर्घटना बड़ी भयानक हुई है, 14 लोग मर चुके हैं, और 17 घायल हुए हैं, जिनमें कई अपंग हो गये हैं तो जो लोग अपंग हो गये हैं, अस्पतालों में दाखिल हो गये हैं, उनके परिवार वालों के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या किया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मेरे पास जो सूचना है वह केवल घायल होने वाले व्यक्तियों की है, अपंग होने वालों की कोई सूचना नहीं है।

श्री नित्यानंद स्वामी--

इस बात को देखते हुए कि पर्वतीय मार्गों में लगातार दुर्घटना हो रही हैं, माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे, सार्वजनिक निर्माण विभाग से मिलकर, कि उनके मार्गों को सुधारा जाय और वहां पर चलने वाली बसों की स्पीड को कन्ट्रोल कर पायें, ये 2-3 बातें वहां पर करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जैसा मैंने पहल भी कहा इस दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई हे और उससे विदित हुआ कि बस में कोई खराबी नहीं थी। मजिस्टीरियल इंक्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त हो

गयी है। इसमें सड़क की खराबी होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ बताया गया है। इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के आदेशानुसार यह प्राविधान कर दिया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन पर अच्छी से अच्छी बसें चलाई जायं। पहले वहां 4 लाख 80 हजार किलोमीटर वाली बसें चलती थीं, अब इसको रिड्यूस किया जा रहा है। साथ ही साथ 2-3 बातें और की जा रही हैं। एक यह कि जो पर्वतीय क्षेत्र पर ड्राइवर गाड़ियां चलायेंगे, वे 45 वर्ष से ज्यादा की उम्र के नहीं रहेंगे। साथ ही जो बसें पर्वतीय क्षेत्रों में चलेंगी उन बसों को, वर्कशाप से निकालने के बाद, अच्छी तरह से चेकिंग किया जायगा। इस प्रकार से विभाग द्वारा काफी सतर्कता बरती जा रही है।

श्रीनगर तुर्कीपुर बांध व बिड़ला बांध के टूटने की सूचना

*9--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वी जिलों में श्रीनगर तुर्कीपुर बांध तथा बिड़ला बांध में दरार पड़ने की सूचना इंजीनियरों ने सरकार को तत्काल नहीं भेजी? यदि हां, तो उन दोषी इंजीनियरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम लखन--

श्रीनगर-तुर्कीपार बांध अचानक टूट गया और इसकी सूचना इंजीनियरों ने सरकार को तत्काल दे दी। बिड़ला बांध सरकारी बांध नहीं है और इसका रख रखाव विभागीय इंजीनियर नहीं करते हैं।

सीतापुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियरों के विरुद्ध जांच

*10--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि वर्ष 1970 में सीतापुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियुक्त अधिशासी अभियन्ता श्री रामप्रकाश ने एक प्रतिवेदन सरकार को भेजा है जिसमें वहां के ओवरसियरों द्वारा सरकारी धन के गबन का जिक्र किया गया है। यदि हां, तो प्रतिवेदन क्या है और इसकी जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए?

श्री महमूद अली खां--

जी हां, प्रत्यावेदन में ओवरसियर द्वारा भवन तथा मार्ग सम्बन्धी कार्यों में की गयी त्रुटियों का उल्लेख है। मामले की आगे और तफसील से जांच की जा रही है।

यमुना जल विद्युत प्रायोजना के निर्माणार्थ ठेकेदार को भुगतान

*11--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यमुना परियोजना, देहरादून में कार्यरत हिन्दुस्तान कम्पनी को सिर्फ 3/4 हिस्सा सम्पन्न कार्य पर ही निर्धारित अनुमानित राशि 18 करोड़ 45 लाख रु0 का भुगतान कर दिया गया है जबकि अभी 1/4 हिस्सा बाकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम लखन--

यमुना जल विद्युत् प्रायोजना, चरण 2 भाग 1 के निर्माण कार्यों के ठेके के अन्तर्गत 31 अक्तूबर तक निर्मित कार्यों के लिये ठेके में निर्धारित विभिन्न आइटमों की दरों के अनुसार ठेकेदार को 18,46,51,062 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। ठेके के अन्तर्गत पूरे

नोट--तारांकित प्रश्न 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कार्यों की अन्तिम राशि ठेके में निर्धारित विभिन्न आइटमों की दरों के अनुसार अनुमानतः लगभग 22.00 करोड़ रुपये है। इस प्रकार अभी लगभग 3.44 करोड़ रुपये का काम होना शेष है। इस ठेके में विभिन्न आइटमों का भुगतान आइटम विशेष की निर्धारित दर के अनुसार किये जाने का प्राविधान है और उसी प्राविधान के अनुसार भुगतान किया जाता है। थोक रकम (लम्प सम) द्वारा भुगतान नहीं किया जाता। इस कारण अन्तरिम भुगतान तथा निर्मित कार्यों का परिमाण हमेशा तुलनात्मक एवं अनुरूप रहता है। इसलिये भुगतान की राशि सदैव ही कार्यों के अनुपात में रहती है।

बदायूं के सिंचाई (नलकूप) विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा अनियमितताएं

*12—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि प्रेस क्लब बदायूं के सेक्रेटरी महोदय ने दिनांक 10-10-71 को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा बदायूं के सिंचाई (नलकूप) विभाग बदायूं I के सहायक अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के विषय में सिंचाई मन्त्री व मुख्य सचिव तथा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग का ध्यान आकर्षित किया है? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं? तथा क्या सरकार उन्हें सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नलकूप मण्डल बरेली के अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत

*13—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सिंचाई मन्त्री को पता है कि नलकूप मंडल बरेली के अधीक्षण अभियन्ता ने प्रतिमाह दिसम्बर, 70 से अक्तूबर, 71 तक नलकूप खण्ड प्रथम, बदायूं द्वितीय, शाहजहांपुर व लिफ्ट उपखंड बरेली को कितने-कितने रुपयों के सप्लाई आर्डर किन-किन फर्मों को किए और क्या यह फर्म मंडल के खंडों में पंजीकृत है? तथा अधीक्षण अभियन्ता को प्रतिमाह कितने रुपयों के सप्लाई आर्डर करने की क्षमता है?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा गोंडा स्थित डिपो में राजकीय बसें

*14—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा गोंडा में कितनी-कितनी बसें प्रत्येक जिले को दी गई हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा गोंडा डिपो में जो इन जिलों में स्थित हैं निम्नलिखित संख्या में बसें उपलब्ध हैं:—

जनपद का नाम	दी गई बसों की संख्या
1—बस्ती	54
2—गोरखपुर	126
3—देवरिया	58
4—आजमगढ़	116
5—गोंडा	89
बसें ..	443

बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा गोंडा डिपो में खराब गाड़ियां तथा अयोध्या मेले में बस दुर्घटना

*15—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि 1-7-71 से बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा गोंडा जिले में 15-11-71 तक कितनी बसें खराब पड़ी हैं जिनको ठीक नहीं किया गया? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में अयोध्या मेले के अवसर पर कोई बस सड़क के नीचे गिर गई थी? यदि हां, तो कब गिरी थी और कब तक वहां पड़ी थी और न निकालने का क्या कारण था?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक 1-7-1971 से 15-11-1971 की अवधि में बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा गोंडा डिपो में कुल 10 गाड़ियां खराब पड़ी रही हैं जिनका विवरण निम्नवत है :—

1—बस्ती	.. .. ..	कोई नहीं
2—गोरखपुर	.. .. ..	3 बसें
3—देवरिया	.. .. ..	कोई नहीं
4—आजमगढ़	.. .. ..	कोई नहीं
5—गोंडा	.. .. ..	3 बसें मरम्मत हेतु तथा 4 बसें नीलाम हेतु खड़ी थीं।

अयोध्या मेले के अवसर पर गोरखपुर डिपो की बस सं0 7286 दिनांक 1 नवम्बर, 1971 को मगहर रेलवे क्रासिंग के पास सड़क के नीचे गिर गई थी। बस को गड्ढे से निकालने में कठिनाई थी। यह दिनांक 22 नवम्बर, 1971 को गड्ढे से निकाली जा सकी।

प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में कन्डक्टर व लिपिकों की परीक्षा के फलस्वरूप नियुक्तियों का ब्यौरा

*16—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवहन वाराणसी मंडल में दिनांक 24-10-71 को बस कन्डक्टर व लिपिक पद की जो परीक्षा हुई थी उसमें कुल कितने स्थान कन्डक्टर व लिपिक के भरे जाने थे और कितने भरे जा चुके हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

उत्तर प्रदेश रोडवेज के वाराणसी क्षेत्र में अक्तूबर 24, 1971 को कन्डक्टर व लिपिकों के पद पर भरती के लिये परीक्षा हुई। परीक्षा के आधार पर अभी कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं।

*17—श्री राम निहोर राय—

क्या परिवहन मन्त्री बतान की कृपा करेंगे कि उक्त परीक्षा में कन्डक्टर व लिपिक के चुनाव में अनुसूचित जाति के कितने प्रत्याशी थे और उन्हें किस अनुपात में लिया गया?

श्री बलराम सिंह यादव—

परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर ही यह निश्चित होगा।

जिला अलीगढ़ में कृषि योग्य भूमि की सिंचाई

*18—श्री कल्याणसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अलीगढ़ में कुल कितनी कृषि योग्य भूमि है ? उसमें से अलग-अलग कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई राजकीय नलकूपों, नहरों और निजी साधनों से की जाती है और अभी भी कितनी-कितनी भूमि ऐसी है जिसकी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है तथा सरकार ऐसी असिंचित भूमि की सिंचाई की व्यवस्था कब तक कर देगी ?

श्री राम लखन—

जिला अलीगढ़ की कुल कृषि योग्य भूमि 10,50,558 एकड़ है। इसमें से राजकीय नलकूपों तथा नहरों के कमान्ड में क्रमशः 2,91,827 एकड़ तथा 4,32,819 एकड़ अर्थात कुल 7,24,646 एकड़ है और राजकीय नलकूपों तथा नहरों के कमान्ड के बाहर अनुमानित 1,60,800 एकड़ क्षेत्र की निजी साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। इस प्रकार 1,65,112 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है।

असिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए राजकीय नलकूप रामगंगा परियोजना एवं भविष्य में टेहरी परियोजना से जल उपलब्ध किया जायेगा। किन्तु सिंचाई की व्यवस्था कब तक हो जायेगी इस बारे में कोई तारीख नहीं दी जा सकती। सिंचाई व्यवस्था में बराबर वृद्धि करते रहना ही एक निरन्तर कार्यक्रम है।

सिंचाई मण्डल (नलकूप विभाग) अलीगढ़ में राजकीय नलकूपों से हानि

*19—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिंचाई मंडल (नलकूप विभाग) अलीगढ़ में राजकीय नलकूपों की संख्या कितनी है और उनसे वर्ष 1970-71 में कुल कितनी हानि किन कारणों से हुई है तथा उससे बचने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री राम लखन—

नलकूप मंडल, अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 1970-71 में कुल 1345 राजकीय नलकूप थे। उनके यांत्रिक हाईडिल इत्यादि दोषों से बन्द होने के कारण वित्तीय वर्ष 1970-71 में कुल कितनी हानि हुई उनका अनुमान सम्भव नहीं है क्योंकि किसान दोष दूर होने पर सिंचाई कर लेते हैं। दोषों को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

यांत्रिक दोष :—

इस दोष से बचने के लिये नलकूपों की आवश्यक ओवर हालिंग की जाती है, मौके पर मरम्मत के लिये मोबाइल वर्कशाप की सहायता ली जाती है। कभी-कभी बोरहोल पम्पिंग सेटों के खराब होने पर सबमर्सिबिल सेट लगाये जाते हैं।

मोटर बर्निंग :—

इस दोष को दूर करने के लिये आटोमेटिक स्टार्टर तथा उचित प्रकार के फ्यूज बायर लगाये जाते हैं जिससे कम से कम मोटर जले। जले हुये मोटरों की रिवाइंडिंग का भी उचित प्रबंध किया जाता है।

सिविल दोष:—

(1) यह बांध बहुत ही कम होता है। जब कभी नाली टूट जाती है तो उसे ठीक करने के लिये कूप को बन्द करना पड़ता है।

(2) नलकूपों की पुरानी पक्की गूलों का जीर्णोद्धार कराने के लिये भी कूप को बन्द करना पड़ता है।

(3) निजी नलकूप के मालिकों द्वारा राजकीय गूलों को तोड़ने से भी नलकूप को बन्द करना पड़ता है।

हाइडिल रोस्टर व हाइडिल दोष:—

इन दोषों से सबसे अधिक हानि होती है जिसको कम करने के लिये हाइडिल विभाग को बार-बार लिखा जाता है।

जनपद गोरखपुर में कूप चालकों में हरिजनों की संख्या तथा उनकी पूर्ति

*20—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में इस समय कितने कूप चालक हैं और इनमें कितने प्रतिशत हरिजन हैं तथा कितने ऐसे कूप हैं जिन पर कूप चालक नहीं है और क्या इसकी पूर्ति हेतु 12 से 20 नवम्बर, 1971 के बीच कोई परीक्षा गोरखपुर ग्रुप (समुदाय) या अन्यत्र कहीं हुई है? यदि हां, तो कितने हरिजन एवं कितने अन्य लोग उत्तीर्ण हुए हैं?

श्री राम लखन—

कुल 282 नलकूप चालक गोरखपुर जनपद में कार्यरत हैं। 20 कृषि प्रसार निरीक्षक भी अपने अन्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त नलकूप चलाते हैं।

अनुसूचित जाति के कूप चालक 8 प्रतिशत हैं।

जनपद में इस समय 298 नलकूप चालक हैं। इन सभी पर कूप चालक अथवा कृषि प्रसार निरीक्षक कार्य कर रहे हैं।

पूर्ति हेतु प्रश्नगत अवधि में सामान्य परीक्षा कोई नहीं ली गई अपितु मार्च, 71 में चुने गये अभ्यर्थी नलकूप चालकों (कैन्डीडेट्स ट्यूबवेल आपरेटर) में से 11 चालकों को एक एक माह का नलकूप चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण देने के बाद 15 से 17 नवम्बर, 71 में इनकी परीक्षा ली गई जिसमें अनुसूचित जाति का कोई चालक उत्तीर्ण नहीं हुआ।

आगरा जिलों की असिंचित क्षेत्रों के सिंचन का प्रश्न

*21—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद) तथा श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा पश्चिम)—

क्या सरकार को मालूम है कि आगरा जिले का दो तिहाई क्षेत्र असिंचित है? यदि हां, तो इस दो तिहाई असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

*22—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद) तथा श्री हुकुम सिंह (जिला आगरा पश्चिम)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा परियोजना में आगरा नहर को बारह सौ क्यूसेक पानी मिलने की योजना थी और क्या सरकार पानी की मात्रा कम करने जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम लखन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सचिवालय क्वार्टरों के आवंटन से संबंधित नीति

*23—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या आर-2010/आर-एस0बी0-4-1957, दिनांक 18 अप्रैल, 1962 में सचिवालय क्वार्टरों के आवंटन के लिय जो नीतियां निर्धारित की गई हैं, क्या उन नीतियों के विपरीत सन्

1971 में उन लोगों को क्वार्टर्स एलाट किये गये हैं जिनका नाम क्रमानुसार सूची में नहीं आता है? यदि हां, तो किन विशेष परिस्थिति में ये एलाटमेंट किये गये?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। ऐसे तीन कर्मचारियों को उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्वार्टर आवंटित किये गये।

रमईपुर से साढ़ तक की सड़क को मेटल रोड बनाने का प्रश्न

*24—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में रमईपुर से मझावन होती हुई साढ़ तक जिला परिषद् की 7 किलोमीटर सड़क को मेटल रोड करने की कोई योजना निकट भविष्य में है? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री महमूद अली खां—

इस समय ऐसी कोई योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन नहीं है।

वाराणसी से प्रतापगढ़ आने-जाने से संबंधित बस सेवाएं

*25—श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि वाराणसी–प्रतापगढ़ के लिये 8 बजे दिन तथा प्रतापगढ़ से वाराणसी के लिये 3 बजे दिन 6 1/2 प्रतापगढ़ से वाराणसी एवं 2 बजे वाराणसी से प्रतापगढ़ चलने वाली बसें बन्द कर दी गयीं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार तत्काल उक्त बसों के पुनः चलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। इन सेवाओं को अलाभकर होने के कारण 8-12-71 से बन्द कर दिया गया था।

1 जनवरी, 1972 से इस मार्ग पर पुनः 1 अप व 1 डाउन सेवा चला दी गई है जो वाराणसी से प्रातः 8:30 बजे व प्रतापगढ़ से अपरान्ह 3 बजे चलती हैं।

श्री इन्द्रमणि शुक्ला ए० आर० टी० ओ० बरेली का निलम्बन

*26—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री शुक्ला ए० आर० टी० ओ० बरेली के निलम्बन आदेश दिनांक 6 जुलाई, 71 को पारित हुए? यदि हां, तो क्यों तथा निलम्बन आदेश किस तिथि में जारी हुये?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री इन्द्र मणि शुक्ला, ए० आर० टी० ओ० को निलम्बन के आदेश 16 जुलाई, 1971 को शासन के स्तर से जारी हुए। इनको इसलिए निलम्बित किया गया कि इनके विरुद्ध संकल्पित अनुशासनिक कार्यवाही के लिए जांच की जा रही है।

आर० टी० ओ० बरेली संभाग, श्री जी० एन० टंडन के विरुद्ध जांच

*27—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या यह सही है कि आर० टी० ओ० बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही थी, समाप्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो अभी तक क्या प्रगति हुई है? क्या हाल में उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की नई शिकायतें उन्हें प्राप्त हुई हैं?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिस समय श्री शुक्ला निलम्बित किये गये बांसली सम्भाग के आर०टी०ओ०, श्री जी० एन० टंडन थे। उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जिन आरोपों पर जांच की जा रही है और जांच की प्रगति सार्वजनिक हित में बताया नहीं जा सकता। इनके विरुद्ध कल्पित नाम से शिकायतें आई थीं जिनकी जांच की जा रही है।

बलरामपुर डिवीजन (जिला गोंडा) के निर्माणाधीन सड़कों के अधिदर्शकों के नाम व हेडक्वार्टर्स

*28—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा के सार्वजनिक निर्माण विभाग बलरामपुर डिवीजन में कुल कितनी सड़कों का निर्माण कार्य शासन द्वारा हो रहा है और उन पर कौन-कौन से अधिदर्शक कार्य देख रहे हैं और वहां के अधिदर्शकों के हेड क्वार्टर्स कहां कहां हैं?

श्री महमूद अली खां—

जनपद गोंडा में अस्थाई खंड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बलरामपुर के अधीन निम्न-लिखित सड़कों का निर्माण हो रहा है—

(1) ललिया बन-कटवा मार्ग,

(2) बेलहा-गोरा चौराहा मार्ग,

(3) इटियाथोक-श्रीनगर मार्ग

ललिया—बनकटवा मार्ग के कार्य की देखरेख श्री फजलुलहसन मेकरानी एवं श्री रामनयन पाठक अधिदर्शक कर रहे हैं।

बेलहा-गौरा चौराहा के मार्ग का निरीक्षण श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, अधिदर्शक कर रहे हैं।

इटियाथोक श्रीनगर मार्ग का निरीक्षण श्री हरिशचन्द्र पान्डे एवं सच्चिदानन्द पान्डे अधिदर्शक देख रहे हैं।

उक्त सभी अधिदर्शकों के हेडक्वार्टर्स बलरामपुर में हैं।

बलरामपुर डिवीजन (जिला गोंडा) के विभागीय गैर-रेगुलर बेलदार

*29—श्री डी० पी० बोरा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोंडा के बलरामपुर डिवीजन में विभाग में कार्य करने वाले उन बेलदारों की संख्या क्या है जो लगातार 3 वर्षों से कार्य करते हुए भी अभी तक रेगुलर नहीं किये गये हैं?

श्री महमूद अली खां—

ऐसा कोई बेलदार नहीं है।

रेनुकूट एवं मुईहवा स्थानों (जिला मिर्जापुर) के बीच अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

*30—श्री राम प्यारे—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान अलमुनियम कारपोरेशन लिमिटेड रेनुकूट, मिजोपुर द्वारा सकड़ों श्रमिकों तथा फैक्टरी के गार्डों द्वारा अवैध रूप से चोपन पिपरी रोड के रेनुकूट एवं मुरधवा नामक स्थान पर सड़क की भूमि पर कब्जा

कर लिया गया और काफी भूमि पर तार घेर कर कारपोरेशन की भूमि सीमा में सम्मिलित कर लिया गया ? यदि हां, तो विभाग ने उक्त कारपोरेशन के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

हिन्दुस्तान अल्मूनियम कारपोरेशन लिमिटेड, रेनुकूट, मिर्जापुर ने चोपन से पिपरी जाते हुए रानी लाली—पिपरी रोड पर किलोमीटर 15 में सड़क के दाहिनी ओर रेनुकूट एवं मुईहवा नामक स्थानों के बीच 398 मीटर लम्बी तथा 9 मीटर चौड़ी भूमि को कटीले तारों द्वारा घेर लिया है। विभाग द्वारा यू० पी० रोड साइड लैन्ड कन्ट्रोल ऐक्ट के अधीन इस अवैध कब्जे के हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

*31-32—श्री हरवंश प्रसाद—

[5 वें बुधवार के लिये स्थगित]

पगैहा नाले (जिला कानपुर) पर पुल के निर्माण का प्रश्न

*33—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के सरसौल ब्लाक के अन्तर्गत प्रेमपुर स्टेशन से पूरनपुर होते हुए रायपुर नर्बल के चालू मार्ग पर पड़ने वाले पगैहा नाले पर पुल बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो यह पुल कब तक बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है।

*34—श्री इन्द्रलाल—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को सिंचाई साधन उपलब्ध कराने हेतु सिंचाई आयोग का गठन तथा उसके सदस्यों के वेतन आदि का प्रश्न

*35—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के सभी पिछड़े क्षेत्रों में सिंचाई साधन 1974 तक उपलब्ध करा देने की कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो सरकार सिंचाई आयोग किस उद्देश्यों को लेकर दिसम्बर, 1971 में नियुक्त किया है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

प्रश्न का द्वितीय भाग—प्रदेश की सिंचाई संबंधी समस्याओं का अध्ययन, उपलब्ध जल संसाधनों का मूल्यांकन और सभी प्रयोजनों अर्थात् सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू, उपयोग पर सामान्य रूप से विचार कर के प्रदेश के लिये सिंचाई की मास्टर प्लान बनाने तथा सिंचाई संबंधी अन्य पहलुओं पर विचार एवं सुझाव के उद्देश्य से सिंचाई आयोग गठित किया जा रहा है।

*36—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सिंचाई आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष के वेतन एवं अन्य सुविधायें क्या ह और इस मद में कब कितना धन खच हुआ अथवा होना है ?

श्री राम लखन—

इस संबंध में कोई निश्चित सूचना इस समय दी जा सकना सम्भव नहीं है क्योंकि इस पर निणय लकर औपचारिक आदेश जारी किया जाना अभी शेष है।

अहरोरा बांध (मिर्जापुर) के खोलने से हानि के फलस्वरूप राहत कार्य का ब्यौरा

*37—श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत 4 अगस्त, 1971 को मिर्जापुर जिले में अहरोरा बांध को एकाएक खोलने से मिर्जापुर और वाराणसी जिले में कितना नुकसान हुआ और दोनों जिलों में राहत कार्य पर सरकार ने कितना रुपया खर्च किया ?

श्री राम लखन—

इस सम्पूर्ण क्षेत्र में भीषण वर्षा होने के कारण गरई नदी में बाढ़ आई और तीव्र वृष्टि के फलस्वरूप अत्यधिक पानी आने के कारण 3 व 4 अगस्त, 1971 की रात्रि में अहरोरा जलाशय से पानी का कुछ निकास भी करना पड़ा। इस बाढ़ से दोनों जिलों में हुये नुक्सान तथा सरकार द्वारा राहत कार्य पर किये गये खर्च का ब्योरा सलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 136 पर)

गरई नदी के संभावित बाढ़ के निवारणार्थ ड्रेनों की निर्माण योजना

*38—श्री शिवदास—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भविष्य में पुनः बाढ़ से क्षति न हो इसके लिये कोई उपाय करने जा रही है। यदि हां, तो वह क्या है?

श्री राम लखन—

गरई नदी का सर्वेक्षण कराया जा रहा है तथा इसमें जगह-जगह पर स्थानीय कृषकों द्वारा लगाये गये बांधों को हटाने और आवश्यक सुधार कराने का विचार है। साथ ही बाढ़ के निवारणार्थ ड्रेनों के निर्माण का भी विचार है और इसके लिय एक नया ड्रेनेज प्रखण्ड वाराणसी में खोला गया है।

*39-40—श्री सजीवन लाल—

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

सिंचाई विभाग द्वारा पम्पिग सेटों के क्रय हेतु निविदा एवं पूर्ति आदेश

1—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि 1971 में उनके विभाग ने एक हजार पम्पिग सेट खरीदने के लिये टेंडर मांगे थे ? उनमें किस-किस फर्म्स ने टेंडर दिये थे ? क्या भारत सरकार के प्रतिरक्षा विभाग के प्रतिष्ठान गार्डनरीज का भी टेंडर था?

श्री राम लखन—

इस विभाग द्वारा माह 1970 में 910 पंपिग सेटों को क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित किये गये थे। इस निविदा के लिये निम्नलिखित फर्मों ने अपने टेंडर दिये थ।

1—मेसर्स जानस्टन पम्प इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता,
2—मेसस ज्योति लिमिटेड, बड़ौदा,
3—मेसस गारडेन रीच वर्कशाप, कलकत्ता,
4—मेसर्स बोल्टाज लिमिटेड, लखनऊ,
5—मेसर्स चन्द्रा इर्जीनियरिंग, मेरठ,

6--इंडिया सप्लाईज, कानपुर,

7--मेसर्स डेल्टा इर्जीनियरिंग, मेरठ,

8--मेसर्स गीता आइरन ऐंड ब्रास वर्क्स,

9--मेसर्स बाटलीवाय ऐंड कम्पनी, कानपुर,

10--श्री विश्वकर्मा इर्जीनियरिंग वर्क्स, गुजरात,

11--मेसर्स एग्रो कन्ज्यूम डेवलपमेंट कारपोरेशन, कलकत्ता,

12--मेसर्स इन्डस्ट्रियल, एग्रीकल्चर इर्जीनियरिंग कम्पनी, बम्बई,

13--मेसर्स अशोका पम्प, मेरठ,

14--मेसर्स फ्लोराइट, बम्बई,

15--मेसर्स धीता पम्प सहारनपुर ।

भारत सरकार के प्रतिरक्षा विभाग के प्रतिष्ठान मेसर्स गार्डन रीच का भी टेंडर था ।

2--श्री वीरेंद्र वर्मा--

क्या सरकार ने इन पर कोई निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो आर्डर किसे दिया है ? क्या सरकार इन पंपिंग सेटों के लिये प्राप्त टेंडरों का तुलनात्मक मूल्य विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम लखन--

इस निविदा पर निर्णय शासन द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा लिया जा चुका है । उक्त कमेटी के निर्णयानुसार पूर्ति आदेश निम्नलिखित तीन फर्मों को दिया जा चुका है ।

1	मेसर्स गार्डेन रीच, कलकत्ता	601 पम्प
2	मेसर्स ज्योति लिमिटेड, बड़ौदा	232 पम्प
3	मेसर्स डेल्टा इंजीनियरिंग कम्पनी, मेरठ	77 पम्प
		कुल 910 पम्प

प्राप्त टेंडरों के तुलनात्मक मूल्य का विवरण बहुत ही विस्तृत है और उसकी एक ही प्रतिलिपि उपलब्ध है । अतः यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसे मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

3--श्री राम गोपाल सण्ड--

[5वें बुधवार के लिये स्थगित]

महराजपुर से ढोढी घाट (जिला कानपुर) मार्ग के निर्माण का प्रश्न

4--श्री उपेंद्रनाथ दीक्षित--

क्या सावजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में जी0टी0रोड पर महराजपुर से ढोढी घाट जिला परिषद् की सड़क को जनहित का ध्यान रखते हुए सरकार पक्का बनान की कृपा करेगी ?

श्री महमूद अली खां--

प्रश्नगत सड़क का निर्माण धनाभाव के कारण फिलहाल संभव नहीं है ।

राप्ती गोरा तट बन्ध बरही पार्थ तथा मदना रनहा नाले के बीच कटे स्थानों का सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

5--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के राप्ती गोरा नदी तट बंध बरही पार्थ का जिले के सिंचाई विभाग के अधिकारीगणों ने वर्ष 1970-71 क बीच कितनी बार कटे स्थान मदना से रनहा नाले का निरीक्षण किया है ?

श्री राम लखन--

राप्ती गोरा तट बन्ध बरही पार्थ तथा मदना रनहा नाले के बीच कटे स्थानों का ग्राम खरखुटा तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने वर्ष 1970-71 में 7 बार निरीक्षण किया ।

6--श्री डी० पी० बोरा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

फतेहपुर जिले में कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु राजकीय नलकूपों का निर्माण

7-- श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर) --

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फतेहपुर जिले में प्रदेशीय सिंचाई विभाग द्वारा 30 नवम्बर, 1971 तक की अवधि में कृषि की उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा हरित क्रान्ति को समुन्नत करने की दृष्टि से कितने राजकीय नलकूपों का निर्माण पूरा हो चुका है और वित्तीय वर्षान्त तक और कितने निर्मित कराये जाने की योजना है ?

श्री राम लखन--

प्रश्न का प्रथम भाग--फतेहपुर जिले में प्रदेशीय सिंचाई विभाग द्वारा 30 नवम्बर, 1971 तक की अवधि में कृषि उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा हरित क्रांति को समुन्नत करने की दृष्टि से 11 राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है जिनमें से 5 नलकूप चालू है तथा शेष के शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है । यह सब नलकूप गतवर्ष (1970-71) के अन्त तक छिद्रित कर दिये गये थे ।

प्रश्न का द्वितीय भाग--चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 के अन्त तक इस जिले में 20 राजकीय नलकूप निर्मित कराये जाने की योजना है। यह नलकूप अभी छिद्रित नहीं हुये हैं ।

8--श्री इन्द्रजीत--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिले में जितने राजकीय नलकूप निर्मित हुए हैं उनमें से जिले की बिन्दकी तहसील अन्तगत किन-किन ग्रामों में हैं ?

श्री राम लखन--

फतेहपुर जिले में जिन 11 राजकीय नलकूपों का छिद्रण हुआ है वह सभी बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत हैं, जिनका ग्राम वार ब्योरा निम्न प्रकार है:--

क्र०सं०	ग्राम का नाम	राजकीय नलकूप की संख्या तथा समूह	
1	रानीपुर	1	बिन्दकी
2	बड़ाहौर	1	बिन्दकी ग्रुप
3	अभयपुर	2	बिन्दकी ग्रुप
4	ओंग	3	,, ,,
5	गुधरौली प्रथम	4	,, ,,
6	गुधरौली द्वितीय	5	,, ,,
7	उपसौरा प्रथम	6	,, ,,
8	उपसौरा द्वितीय	7	,, ,,
9	चांदपुर प्रथम	8	,, ,,
10	चांदपुर द्वितीय	9	,, ,,
11	अमौसी	10	,, ,,

9--इन्द्रजीत--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिन्दकी तहसील के ग्राम सिजौली, खूंटाझाला गौरा, गोपालपुर, घघौरा, इटरा, मानेपुर, कंहिजरा, एत्मादपुर, पहाड़पुर, बड़िगवां आदि ग्रामों में जहां अब तक सिंचाई की कोई सुविधायें न उपलब्ध होने से कृषकों की स्थिति अत्यधिक दयनीय है, में भी राजकीय नलकूप लगाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री राम लखन--

शासन द्वारा नलकूपों का आवंटन प्रतिवर्ष जिले वार किया जाता है। जिले में कहां नलकूप बनाये जायेंगे यह राजकीय नलकूप चयन समिति तय करती है।

अधीक्षण अभियन्ता नलकूप विभाग-अलीगढ़ मंडल के कार्यालय में अनिर्णीत मामले

10--श्री कल्याण सिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता नलकूप विभाग अलीगढ़ सर्किल के के कार्यालय में दिनांक 20-4-70 से दिनांक 30-11-71 तक की अवधि में किस-किस चालक के केसों की अपीलों के मामले अनिर्णीत पड़े हैं और उन पर अभी तक निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त अपीलों का निर्णय कब तक कर दिया जायगा ?

श्री राम लखन--

इस मंडल म प्रश्तगत अवधि में नलकूप चालकों की अपीलों के 2 प्रकरण ऐसे हैं जिन पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा मका है। इनमें से एक श्री कैलाश चन्द्र का है जो उनके वेतन में कमी किये जाने के बारे में है। इसमें अधिशासी अभियंता नलकूप खंड (प्रथम) अलीगढ सेपत्र-व्यवहार हो रहा है और उनके प्रतिवेदन आने के बाद केस पर निणय लिया जावगा।

दूसरा अपील का प्रकरण श्री हरीश चन्द्र बुलन्दशहर से संबंधित है। इस कूप चालक की सेवायें समाप्त कर दी गई थीं उसने अपनी सेवाओं की समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है। इसलिये विभागीय अपील पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

नलकूप मण्डल अलीगढ़ के खण्डों में नलकूपों की संख्या तथा उनकी कार्यक्षमता

11--श्री कल्याण सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1968--69 और 1969--70 में अलीगढ़ सिंचाई मंडल (नलकूप विभाग) अलीगढ़ के किस-किस नलकूप-खण्ड म कितने-कितने राजकीय नलकूप थे ? उनमें से प्रत्येक नलकूप प्रति वर्ष कितने-कितने घंटे चालू रहा और कितने कितने घंटे बन्द रहा ?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम भाग---

नलकूप मंडल अलीगढ़ के प्रत्येक खण्ड में प्रान्तगत वर्षों में नलकूपों की संख्या का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

प्रश्न का द्वितीय भाग---

सूचना बहुत विस्तृत है अतः माननीय सदस्य इसे मेरे कक्ष में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 137 पर)

कानपुर–विधुना मार्ग पर स्थगित की गई बसों से हानि

12--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर चुन्नीगंज डिपो के कानपुर विधूना मार्ग पर दिनांक 10 जुलाई, 1970 से 10 जुलाई, 1971 तक कितनी संख्या में बसें स्थगित की गईं, इन स्थगित की गई बसों से कुल कितने कि0मी0 की कमी हुई और इससे परिवहन विभाग को लगभग कितनी हानि उठानी पड़ी।

श्री बलराम सिंह यादव---

दिनांक 10--7--70 से 10--7--71 तक की अवधि में कानपुर-विधूना मार्ग पर 7300 ट्रिप्स चलने चाहिये थे जिनमें से केवल 368 ट्रिप्स स्थगित हुए।

इन स्थगित की गई बसों से कुल 42688 किलोमीटर की कमी हुई जिससे विभाग को लगभग रु0 4268.80 पैसे की हानि हुई।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव, विधान सभा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1972 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 जनवरी, 1972 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 13 जनवरी, 1972 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनमति दिनांक 16 जनवरी, 1972 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1972 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

याचिका समिति (1971-72) का प्रथम प्रतिवेदन

श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचम उत्तर प्रदेश, विधान सभा की याचिका समिति (1971-72) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

पिठौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली जिलों में भोटिया तथा अन्य जातियों में असंतोष के संबंध में याचिका

श्री गोपाल दत्त ओझा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सीमान्त जिले पिठौरागढ़, उत्तर काशी एवं चमोली के चार ब्लाकों, धारचूला, मुनस्यारी, भटवारी तथा जोशीमठ में भोटिया जाति को भारत सरकार द्वारा जन जाति घोषित करने से समान स्थिति तथा समान आर्थिक ढांचे में रहने वाली अन्य जातियों में असन्तोष उत्पन्न होने के सम्बन्ध में श्री एस0 एस0 एस0 कमलापति, पिठौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

बस्ती जिले के आबकारी इन्सपेक्टर के विरुद्ध श्री सुखपाल पांडेय द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न जो माननीय सुखपाल पांडेय ने उठाने की सूचना दी, वह यह है कि मैं आपके माध्यम से माननीय महोदय का ध्यान काजी हुसैन मेंहदी, एक्साइज इन्सपेक्टर, सर्किल नम्बर 3, बांसी, जिला बस्ती जो किया है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जो शिकायत है उसको सदन में उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे। मैंने प्रश्न पूछा था जो सदन में 19 जुलाई, 1971 को आया था। उस सम्बन्ध में काजी हुसैन मेंहदी ने अपने अफसर आबकारी आयुक्त, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश तथा अन्य अधिकारी जिलाधीश बस्ती आदि को यह लिखा कि श्री जटा शंकर सिंह मुझे इस्तेमाल करते हैं। मैं विधान सभा में सवाल पूछूं उनके शब्द अंग्रेजी में निम्नांकित हैं। (संलग्न)†

किसी सदस्य को आदरणीय सदन के प्रति सेवाओं लगाना सदन का अवमान है। संलग्न पत्र देखने से स्पष्ट विशेषाधिकार की अवहेलना है। अतः आपसे अनुरोध है कि सदन के अवमान पर विचार किया जाय।

संलग्न पत्र अंग्रेजी में है उसे मैं पढ़ता नहीं हूं।

यह प्रश्न ऐसा है कि जिस पर सदन को विचार करना जरूरी हो जाता है कि माननीय सदस्य ने यहां कोई प्रश्न पूछा और किसी एक सर्किल इन्सपेक्टर ने एक पत्र लिखा। विभाग के किसी कर्मचारी ने आयुक्त को पत्र नहीं लिखा कि माननीय सुखपाल पांडेय को उन्हीं का कोई एक साथी इस्तेमाल करता है। यह बात पत्रावली में है। यह पत्र कैसे माननीय सुखपाल पान्डेय को मिला। कोई विशेषाधिकार का अवहेलना का प्रश्न कैसे बनता है और इसमें क्या कार्यवाही हो? तो मुझे आश्चर्य है, मुख्य मन्त्री भी हैं, कि कोई एक चिट्ठी कोई सर्किल इंसपेक्टर जब अपने विभाग के आयुक्त को लिखे तो उसकी प्रति माननीय सदस्य को कैसे मिल जाती है और माननीय सदस्य ने मेरे कक्ष में कहा कि उन्होंने जाकर जिलाधीश और आयुक्त से इसकी कापी ली.

---

†छापा नहीं गया।

††पढ़ा नहीं गया।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं लिखकर दे चुका हूं। लालू सिंह के माध्यम से मेरे पास सिफारिश पहुंच गई थी कि आप अपना सवाल वापिस करा लीजिये। हमने भी आयुक्त से बात की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस किस्म की चिट्ठी आई है। क्योंकि आयुक्त को लिखा है इसकी प्रतिलिपि नहीं मैंने नकल के लिए दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी थी। आपको उसको समझने में भ्रम हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल यह है कि अगर आपन दरख्वास्त दी और कोई सरकारी पत्रावली है उसमें से कोई चीज कोई आयुक्त देता है तो सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के काम करने के जो नियम हैं उनके अनुसार वे देते हैं या नहीं देते हैं? और फिर आप कहते हैं कि काजी हुसैन मेंहदी सरकारी अफसर हैं आबकारी के, उन्होंने अपने विभाग के आयुक्त को लिखा और जिलाधीश को लिखा कि विभाग में हमारे एक दुश्मन हैं जो माननीय सदस्य को सूचना देकर मेरे खिलाफ सवाल कराते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी को चिट्ठी लिखने का अधिकार है या नहीं? उसके खिलाफ कोई बात हो तो उसकी तरफ वह ध्यान आकृष्ट कर सकता है या नही? वह कहता है कि उसका प्रतिद्वन्दी उसके ट्रांसफर के लिये कहता है या उसको अनुशासित करने के लिये कहता है इस आधार पर है कि वह सवाल पुछवाता है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

आपने तो उसका भाष्य कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने भाष्य नहीं किया। आप कृपा करके सुन लें। सरकार म जो पत्रावली है उसम एक चिट्ठी है किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में। वह उन्हें किस प्रकार मिल गयी? दूसरा सवाल है कि क्या ऐसा अधिकार है कि उसके विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो वह अपने उच्च अधिकारी को रिप्रीजेंट कर सकता है अथवा नहीं।

श्री मैनेजर सिंह--

जो विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय सुखपाल पांडे ने उठाया है वह बिलकुल सही और दुरुस्त है। आप जो उसका भाष्य कर रहे थे तो ऐसा लगता था कि जैसे पुलिस किसी मामले की जांच करती है, उस तरह आप कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि वह पत्र चाहे जिस तरह प्राप्त हुआ, यदि वह पत्र सही नहीं है तो विभाग से सम्बन्धित मन्त्री कहें कि वह पत्र सही नहीं है और फाइल में नहीं है। चाहे वह पत्र किन्हीं सूत्रों से आया, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना देख सकते हैं कि वह पत्र जाली है या सत्य है। जब तक सम्बन्धित मन्त्री उसका खंडन नहीं करते तब तक वह प्रमाण माना जायगा क्योंकि माननीय सदस्य उसकी सत्यता को प्रमाणित कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इनको प्रभावित करने की कोशिश की, यह सवाल न उठायें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। यह जो इनकी सूचना है इसमें नहीं लिखा है।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। पूरी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

पहली बात ठीक है, हम पूछ लेंगे। लेकिन जो और बात कह रहे हैं वह इसमें नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह--

उसमें न होगी लेकिन अभी सुखपाल पांडे ने दो मिनट पहले निवेदन किया था और उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम भी लिया था जिसके माध्यम से प्रभाव डलवाया था। दूसरे यह है कि इस पत्र में उन्होंने इनकी नियत पर हमला किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

उस पर नहीं हमला हो रहा है।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष जी, चूंकि विधान सभा में हम बैठे हैं, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि कोई सदस्य प्रश्न उठाये तो हम बहुत टची होकर ले लेते हैं कि हम ने उठाया। यह बात बराबर सदन में होती है। जैसा आपने कहा कि किसी नीचे के अधिकारी और किसी दूसरे अधिकारी की आपस की वैमनस्यता है और उसमें किसी सदस्य को अपने काम में इस्तेमाल करने के लिये लिखा है तथा कमिश्नर और कलेक्टर को उसकी सूचना दी है। एक बात में समझता हूं कि होनी चाहिए कि अगर उस कर्मचारी ने लिखा है तो उसको इस बात का अधिकार है कि वह अपने अधिकारियों को ऊपर बता दे कि उसके खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है उसमें किसी एक कर्मचारी जो उसके समक्ष का और बराबर का है, वह किस प्रकार करवाता है।

मैं किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं और मैं इसके लिये क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं बराबर इस बात को सुनता रहा हूं, जब तक मैं शासन में रहा और उसके बाद भी, और जब भी कि मेम्बर्स को इस प्रकार इस्तेमाल करने की बात होती है। लोग क्व-शचन्स करवा देते हैं और क्ववशचन्स करने के बाद अपना दबाव डलवाते हैं और जब क्विशचन्स का समय आता है तो वह हट जाते हैं--चाहे वह इधर के सदस्य हों या उधर के। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें अपनी डिगनिटी को भी देखना चाहिए। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि कितनी ही बार क्ववशचन्स आने के बाद जब दबाव पड़ता है तो वह हट जाते हैं। और फिर शासक पार्टी की ओर का सदस्य रहे तो उसके पास दर्जनों मन्त्री की फौज है वह किसी को भी लिखकर दे सकता है कि ऐसी बात है। आखिरकार जब यह प्रश्न उठाये जाते हैं तो मन्त्री जी ही के पास जायेगा। तो शासक पार्टी और हमारे बीच एक कोड आफ कन्डक्ट होना चाहिये कि इस प्रकार के प्रश्न आम तौर से नहीं पूछे जाने चाहिये। ? ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी कर्मचारी का यहां प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन अक्सर यह बात कहने की हो जाती है। लोग मुझसे मिले जिसमें बड़े-बड़े आफिसर्स भी होते हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारे खिलाफ एसेम्बली में अपनी बात कह देते हैं और हमें अपने को डिफेंड करने को मौका नहीं मिलता। तो यह बात कि विशेषाधिकार का प्रश्न यह आपके ऊपर है, लेकिन मैं समझता हूं कि कर्मचारी की यह बात सही है कि बहुत से लोग या कर्मचारी सदस्यों को इस्तेमाल करते हैं और फिर यह भी बिलकुल सही है कि हमारे सामने जो कापी आई और उसको विधान सभा में पेश किया गया, तो इस बात को नहीं छिपाया जा सकता कि यह कापी उनके अधिकार में कैसे आई। ईमानदारी का तकाजा यह है कि उसको बतायें। यह बात हो नहीं सकती कि कहा जाय कि यह कागज हवा में उड़कर चला आया। निश्चित रूप से कोई न कोई कर्मचारी उसका राइवल इस बात को किया है। मेरी समझ में इसको, मन्त्री जी को दे दिया जाय और वह उसको ठीक कर लें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, जो आपने यहां विचार व्यक्त किया है उसके दो अंग हैं एक तो यह पत्र कैसे आया एक अधिकारी के पास से निकल दूसरे अधिकारी के पास। श्रीमन, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में यह जांच करें कि अमुक कागज कैसे एक अधिकारी के पास से निकल कर दूसरी जगह कैसे पहुंचा। प्रश्न तो यह है कि आपके पास पहुंची और सदस्य ने यह बात आपसे कहीं तो सदस्यों के हितों की रक्षा आपको करनी है। यह बात कि कंशचन्स होते हैं और बाद में दबाव पड़ता है यह दूसरी बात है। एक बात श्री मैनेजर सिंह ने अच्छी कही कि जब उस विभाग के मन्त्री जी यहां बैठे हुये हैं तो वह इस बात को कहें, क्योंकि सरकार अपने हर एक कर्मचारियों के लिये उत्तरदायी है। हमारे पांडे जी ने कहा कि उन्हें डिफेंड करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन उसका जो कृतित्व ऐक्शन है, उसकी ओर से सफाई देने के लिये यहां सरकार रहती है और वह उसी आधार पर यहां जवाब देती है और उसकी रक्षा करती है और उस अधिकारी की तरफ से वकील बनकर सामने खड़ी रहती है। लेकिन यह बात हर जगह लागू नहीं होती कि वह यहीं मौजूद है तो वह अपनी बात कैसे डिफेंड करें, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी दो भाग हैं।

दूसरी बात यह कि चूंकि अवसर आ गया है इसलिये मैं अपने मन की बात कह दूं। यह बात होती है कि जनहित में हम प्रश्न करते हैं या माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं। सब मेम्बरों के प्रश्न करने पर तो यह अपेक्षा नहीं रहती है और अच्छा हुआ जल्दी हमारे पांडे जी ने उसकी स्वीपिंग कर दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि जब हम प्रश्न करते हैं तो निश्चित रूप से उस प्रश्न का सरकार से सम्बन्ध होगा और निश्चित रूप से कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी उसमें इनवोल्व होता है और वह उसके पीछे हम पर नाना प्रकार से दबाव और असर डालता है। अतः मान्यवर, इसको आप अवश्य गहराई से देखें क्योंकि हमारे प्रश्न करने पर, हमारे कर्त्तव्य के निर्वहन करने पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। अतः मान्यवर, इस मामले पर आप गम्भीरता से अवश्य विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रागदर्शन के अनुसार तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता।

श्री सुखपाल पांडेय---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप हमारी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने सुन लिया। यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है और मैं इसे अस्वीकार करता हूं। अब आगे चलें।

श्री सुखपाल पांडेय---

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि मैंने जो प्रश्न किया था उसको वापिस लेने के लिये मेरे ऊपर दबाव डाला गया है। माननीय पान्डे जी वापिस ले चुके होंगे लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मैं प्रश्न वापिस लेने का आदी नहीं हूं।

एक सदस्य---

वह तो आगे चले गये हैं अब कैसे प्रश्न पूछेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है अब आगे चलें। कार्य सूची संख्या 8]।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत् वितरण के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

यमुना के पानी से जल विद्युत् उत्पन्न करने के प्रश्न पर सर्वप्रथम 1939 में विचार किया गया था और सबसे पहले वर्ष 1947 में तत्कालीन सिरमूर स्टेट के वित्त मन्त्री व उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के बीच हुई बातचीत के आधार पर एक "ड्राफ्ट एग्रीमेंट" तैयार हुआ। जिनके अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित सिरमूर स्टेट के क्षेत्र में पड़ने वाले विद्युत् गृहों से उत्पादित विद्युत् का तिहाई भाग लागत मूल्य पर इस रियासत को देना तय हुआ था। अनुबन्ध को अन्तिम रूप देने से पहले ही हिमाचल प्रदेश बन गया। तत्पश्चात् डा० ए० एन० खोसला, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल, सिंचाई तथा नेवीगेशन आयोग के सभापतित्व में पुनः बैठक की गई जिसके परिणामस्वरूप पुनरीक्षित मसविदा (ड्राफ्ट) तैयार किया गया। इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश को यमुना के प्रथम व द्वितीय चरण से उत्पादित विद्युत् क्षमता का 1/3 भाग मिलना था तथा जब तक द्वितीय चरण तैयार न हो प्रथम चरण की क्षमता का 20 प्रतिशत भाग मिलना था। यह समझौता निर्णायक स्थिति तक पहुंचा ही था कि 1968 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास तथा उस पर आने वाले व्यय बिजली की सप्लाई व सप्लाई न होने पर उसका मुआवजा, विस्थापित लोगों को रोजगार की गारन्टी इत्यादि बहुत सी मांगें समझौते के प्रश्न से सम्बद्ध कर दीं। इसके साथ-साथ उन्होंने हिमाचल प्रदेश के वनों से बहा कर भेजी जाने वाली लड़की के यातायात के बारे में भी इस प्रदेश द्वारा सुचारु व्यवस्था किये जाने की मांग प्रस्तुत की।

इस सम्बन्ध में 1968 तथा 1969 में शिमला व लखनऊ में तीन बार तथा 30 जुलाई, 1971 को दिल्ली में अधिकारियों के बीच बैठक हुई। जुलाई 31, 1971 को दिल्ली में दोनों प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों के बीच भी बैठक हुई जिसमें सब विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत बातचीत हुई और यह तय हुआ कि बिजली व उसके रेट के बारे में दोनों प्रदेशों के प्राविधिक अधिकारी मिल कर बात कर लें।

29 दिसम्बर, 1971 को दिल्ली में उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों के बीच पुनः बैठक हुई जिसमें तय हुआ कि हिमाचल प्रदेश को यमुना प्रथम तथा द्वितीय चरण से, वहां के विद्युत् गृहों में चालन तथा रख-रखाव पर खर्चे होने के बाद हुई बची बिजली का चौथा भाग मिलेगा।

(2) इस बिजली की कीमत अभी 5.24 पैसे प्रति यूनिट होगी (जो प्रथम चरण के बस-बार पर प्रति यूनिट उत्पादन लागत है)।

द्वितीय चरण तैयार हो जाने पर जो दोनों चरणों से उत्पादित बिजली पर आने वाली लागत होगी (Pooled Cost of generation), वह हिमांचल प्रदेश सरकार द्वारा देय होगी।

(3) चूंकि हिमांचल प्रदेश सरकार इस बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी अतः 31 मार्च, 1979 तक वह अपने हिस्से की बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को देती रहेगी और यदि उसके बाद भी वह विद्युत् शक्ति का उपयोग करने की स्थिति में न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार को वरीयता के आधार पर विद्युत् देती रहेगी।

(4) मद्रास व उड़ीसा के बीच मुचकुन्द परियोजना पर समझौता, वेणु गोपालन् समिति की संस्तुतियों एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त पावर इकोनामी समितिकी संस्तुतियों को दृष्टि में रखते हुए तथा इसका विचार करते हुए कि हिमाचल प्रदेश कुछ भी पूंजी इस योजना के लिए नहीं लगा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हिमांचल प्रदेश सरकार को यमुना प्रथम चरण सेउनके भाग की बिजली लेने के लिए 15-00 लाख रुपया प्रति वर्ष औपचारिक तौर पर समझौता

[श्री नारायणदत्त तिवारी]
होने की तिथि से देगी। 15 लाख रुपये की यह रकम इस आधार पर आंकी गई है कि यमुना प्रथम चरण की प्रजनन क्षमता 40 करोड़ यूनिट है जिसका चौथा भाग 10 करोड़ यूनिट होता है। इस करोड़ यूनिट से पूर्ति कम होने पर यह लागत भी उसी हिसाब से कम हो जावेगी।

(5) द्वितीय चरण तैयार हो जाने पर उससे उत्पन्न बिजली भी इसी आधार पर दी जावेगी परन्तु कास्टिंग उस पर पुनः की जायेगी।

(6) हिमांचल प्रदेश उत्तर प्रदेश को गिरी बाटा जल विद्युत् योजना से बिजली वरीयता के आधार पर देगा।

औपचारिक समझौते का आलेख्य दोनों प्रांतों के अधिकारिगण तैयार कर रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय वित्त मन्त्री बतायेंगे कि यमुना परियोजना में हम करीब 106 करोड़ से 110 करोड़ रु० व्यय कर चुके हैं और पूरी लागत उत्तर प्रदेश की है। यू० पी० में विद्युत् की कमी है। इन दोनों बातों को देखते हुए मन्त्री जी पुनः इस पर विचार करेंगे कि हमको अधिक बिजली मिले क्योंकि हमारा अधिक व्यय हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अब इसमें पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता। बहुत दिनों की बातचीत के बाद यह समझौता हुआ है और इसको कायम रखना ही प्रदेश के हित में होगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस वर्ष प्रदेश में बिजली की इतनी कमी है कि काश्तकारों को अपने खेतों में पानी के लिये भी बिजली नहीं मिल पा रही है। कहीं-कहीं तो बिजली की सप्लाई बिल्कुल ही खत्म हो गई है। लाखों एकड़ भूमि में सिंचाई नहीं हुई है और फसल मारी जायेगी। इसको देखते हुए कुछ और व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न तो दूसरा ही है। इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस समझौते के तीसरे और चौथे चरण में जब तक कि हिमांचल प्रदेश को बिजली की आवश्यकता नहीं है आप उनको रुपया दे रहे हैं। हमको विद्युत् की आवश्यकता है। क्या इस समझौते को इसके अन्तर्गत स्थायी नहीं बनाया जा सकता कि वह पानी दे रहे हैं तो रुपए से उसको कम्पेंसेट किया जा सके और हमको बिजली मिलती रहे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें यह महत्वपूर्ण बात लिखी है कि हिमांचल प्रदेश बिजली की बेचन में उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता देगा यानी हरियाणा और पंजाब से पहले हमको बिजली दी जायेगी। यह लांग टर्म एग्रीमेंट हो गया है। यदि स्वयं हिमांचल प्रदेश अपने यहां बिजली इस्तेमाल नहीं करता तो यू० पी० को वरीयता के आधार पर बिजली मिलती रहेगी।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अगर दूसरे स्टेट्स यू० पी० से उनको ज्यादा पैसा आफर करते हैं बिजली के लिए तब भी क्या वे यू० पी० को इन्हीं दामों पर बिजली देते रहेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एग्रीमेंट का यही आधार है कि यू० पी० को वरीयता दी जायेगी।

28 जुलाई 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के शोधन हेतु वक्तव्य †

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

श्रीमन्, जुलाई, 28, 1971 को सदन में श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा के द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 3 के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न श्री कल्पनाथ सिंह ने पूछा था। यह प्रश्न निम्नवत है :—

"श्री कल्पनाथ सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि फोरमैन वगैरह, जो वर्कशाप के इन्चार्ज होते हैं उनके कैरेक्टर रोल में एन्ट्री करने का अधिकार ए० जी० एम० को है, तो जिस स्थान पर फोरमैन नहीं, सर्विस मनेजर इन्चार्ज हैं उनके कैरेक्टर रोल में भी ए० जी० एम० को एन्ट्री करने का अधिकार है ?"

उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने यह बतलाया था कि "मुझे जहां तक जानकारी है, जैसा कि मुझे बताया गया है सर्विस मैनेजर के कैरेक्टर रोल की एन्ट्री भी लिखता है।"

इस सम्बन्ध में उत्तर देते समय पूरी सूचना उपलब्ध नहीं थी। मैंने सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की। वास्तव में, सर्विस मैनेजर के कैरेक्टर रोल में प्रविष्टि सहायक प्रधान प्रबन्धक द्वारा नहीं की जाती। सर्विस मैनेजर 600–1,250 रु० के वेतन-मान में एक राजपत्रित अधिकारी होता है। इस अधिकारी के कैरेक्टर रोल में उसके कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में वार्षिक प्रविष्टि परिवहन आयुक्त की संस्तुति पर शासन द्वारा की जाती है। 28 जुलाई, 1971 को इस प्रश्न से सम्बन्धित कार्यवाही में कृपया तदनुसार संशोधन कर लिया जाय।

श्री रियासत हुसेन द्वारा पूछे गये विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1971 के तीसरे बुधवार के प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर दिया गया था वह निम्न है :—

प्रश्न	उत्तर
3—क्या यातायात मन्त्री इस व्यवस्था पर विचार करेंगे कि प्रत्येक राजकीय रोडवेज डिपो की वर्कशाप को पूर्णतः सहायक महा-निरीक्षक के अधीन रहे ताकि वाहनों के यांत्रिक खराबी के विषय में सहायक महा-प्रबन्धक उत्तरदायी हो सकें ?	उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में 'सहायक, महानिरीक्षक' या 'सहायक, महाप्रबन्धक' का कोई पद नहीं है सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सहायक, प्रधान प्रबन्धक से है। राजकीय रोडवेज के डिपो वर्कशाप जूनियर/सीनियर फोरमैन के अधीन होते हैं तथा उन पर क्षेत्रीय से प्रबन्धक जो प्राविधिक अधिकारी होते हैं, का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सहायक प्रधान प्रबन्धक, रोडवेज की ट्रैफिक शाखा का कार्य देखते हैं और उनके अधीन डिपो वर्कशाप रखने से वर्कशाप की कार्य क्षमता बढ़ने की सम्भावना है।

†28 जुलाई, 1971 की कार्यवाही में तद्नुसार संशोधित किया गया।

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना—(क्रमागत)

श्री रामगोपाल सड—

श्रीमन्, उधर कुछ पर्चे फेंके गये हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि इलाहाबाद होमियोपैथिक कालज के तीन छात्र गिरफ्तार कर लिये गये हैं। वह कालेज लगभग तीन महीने से बन्द है। इलाहाबाद में बड़ी अव्यवस्था चल रही है, तो मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी या स्वास्थ्य मन्त्री जी इस विषय में वक्तव्य दें कि आखिर यह होम्योपैथिक कालज क्यों बन्द है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना कर्तव्य समाप्त हो जाय और विधान सभा और इसके सदस्यों की महिमा समाप्त हो जाय और बाहर से पर्चे फेंक कर काम चलाया जाय। यदि आप बन्द नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री रामगोपाल संड—

वह न हमारे यहां ठहरे हैं और न मैं उनको जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह का प्रदर्शन हुआ है यहां और अभी उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आयी है। ऐसे कृत्यों के प्रति हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिये। जितना भी आप ने कहा है वह कुछ नहीं लिया जायेगा, क्योंकि यह प्रवृत्ति हम उचित नहीं समझते हैं। आप यहां सदस्य हैं।

श्री रामगोपाल संड—

आप गलत समझ रहे हैं। वह विद्यार्थी जो पकड़े गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

पकड़े गये हैं तो कार्रवाई होगी।

श्री रामगोपाल संड—

आप न्याय नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप के साथ न्याय कर रहा हूं। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। जो प्रदर्शन हुआ है उसके तत्काल बाद जबकि उसकी रिपोर्ट भी हमको अभी तक नहीं मिली है, इस तरह की बात उठाना अनुचित ही नहीं है सर्वथा अवांछनीय है। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि विधान सभा चले या न चले। उस दिन जो लड़कों ने किया था उनको छोड़ दिया गया था क्योंकि जिसने कराया था वह तो पीछे था और दूसरों को उकसा दिया।

(व्यवधान)

यह सस्ती और निकृष्ट लोकप्रियता प्राप्त करने का ढंग है और मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अगर आप ऐसा समझते थ कि महत्वपूण विषय है तो आप खड़े होकर कहते कि हम विधान सभा नहीं चलने देंगे। शायद पर्चे फेंकने की आवश्यकता नहीं ही पड़ती। लेकिन जब पच फेंके गय तो उसकी हिमायत क्यों ?

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत माननीय शिवसम्पत्ति शर्मा ने यह सूचना दी है : जालौन में पुलिस की निष्क्रियता के फलस्वरूप डाकुओं द्वारा छः व्यक्तियों को उठा ले जाना तथा माननीय सदस्य को भी मार डालने की धमकी देना। मैंने इसे मुख्य मन्त्री जी को आवश्यक कार्यार्थ भेज दिया और निवेदन किया कि जो भी कार्यवाही की जाय उसकी सूचना मुझे भी दें। अब और कोई अवसर नहीं है कि इससे अधिक और कोई कार्यवाही की जाय।

श्री शिव सम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)—

श्रीमन्, यह परिस्थिति करीब तीन महीने से लगातार चल रही है। हर महीने आठ-दस आदमी उठाये जाते हैं। पिछले महीने छः आदमियों को उठा लिया गया। हम ने पुलिस वालों से कहा, मीटिंग में भी कहा। मेरे पास तार आया है। बीस हजार रुपया मुझे मारने के लिए मिला है। कहते हैं पचास हजार रुपया आप दीजिए नहीं तो मार डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप यह सूचना मुख्य मन्त्री जी को दे दें। अगर आपका मतलब कार्य से है तो इसको प्रकाश में न लाकर यह सूचना आप मुख्य मन्त्री जी को दे सकते थे। लेकिन मालूम पड़ता है कि आप विधान सभा में कहना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं...

श्री शिव सम्पत्ति शर्मा—

मैं इसलिए कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

आप आसन ग्रहण करें। आप का यह कहना कि तीन महीने से यह मामला चल रहा है मेरे इस निर्णय को पुष्ट करता है कि यह अविलम्बनीय महत्व का मामला नहीं है...

श्री शिव सम्पत्ति शर्मा—

मैंने अखबार की कटिंग रखी है। छः आदमियों को उठा ले गये।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर मैं इस को वक्तव्य के लिए स्वीकार करता तो शायद उसके लिए समय न मिलता। इसलिए मैंने अपनी तरफ से जितनी अधिकतम कार्यवाही हो सकती थी, इसके महत्व को देखते हुए, वह कर दी।

अब शेष जो सूचनाएं हैं वे भी अस्वीकृत हुई हैं। 15 प्रतिशत वृद्धि का जो सवाल है वह अधिनियम का मामला है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, एक गलतफहमी थी कि इसका विधेयक आ चुका है। मेरा निवेदन यह है कि रोडवेज ने किराये में 15 प्रतिशत की जो वृद्धि की है उसका अधिकार सरकार को भले ही हो लेकिन इस वृद्धि से लाखों लोग प्रभावित होंगे। तो इस को तो चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं सोचें कि आप यह अधिकार सरकार को दे चुके। यह आपको पहले ही सोचना चाहिये था कि अधिकार देना चाहिये या नहीं। अब उनको अधिकार मिल गया और उस अधिकार के अन्तर्गत उन्होंने यह कर दिया तो अब क्या हो ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, मैंने कल भी कहा था कि लॉ ऐन्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए सरकार को लाठी-चार्ज का अधिकार है लेकिन अगर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग हो तो वह चर्चा का विषय यहां बनता है।

श्री उपाध्यक्ष---

कहां लिखा है कि सरकार को लाटी चार्ज का अधिकार है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्दर है ।

श्री उपाध्यक्ष---

उसमें निम्नतम शक्ति प्रयोग (मिनीमम फोर्स) लिखा है । अधिकार नहीं है, कर्त्तव्य के क्रम में निम्नतम शक्ति का प्रयोग है । जैसे अध्यक्ष को भी आपने शक्ति दी है । जो अधिकार आपने अध्यक्ष को दिया है वह शायद दुनिया में किसी को नहीं होगा । लेकिन उसका प्रयोग नहीं ही के बराबर होता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

श्रीमन्, आप तो सर्वशक्ति सम्पन्न हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप यह कह कर अपने दायित्व से बरी नहीं हो सकते हैं कि जो अधिकार सरकार को आपने दिया है वह उसका प्रयोग न करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वह उसका मिसयूज कर रहे हैं ।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)---

श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हू । माननीय स्वामी जी आपके साथ व्यंगात्मक बातें कर रहे हैं । माननीय स्वामी जी ने जो बात कही है कि आप तो सर्वशक्ति सम्पन्न हैं, यह आपके साथ इतना ज्यादा मजाक हो गया कि हमको यह सहन नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

हमारे में और नेता विरोधी दल में बड़ा अन्तर है । माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने जो कहा वह सत्य के आधार पर कहा है ।

श्री हरि नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

जसा आपन कहा अधिकार तो सरकार को अवश्य मिला है लेकिन अधिकार के यह माने नहीं हैं कि अगर पीनल कोड में फांसी की सजा दी जा सकती है तो सब को फांसी ही दी जाए। अधिकार है 15 पर्सेन्ट तक बढ़ाने का मगर इन्होंने तो एकदम से 15 पर्सेन्ट बढ़ा दिया। बंगाल में 1 पैसा बस का किराया बढ़ा था और सारे बंगाल में आग लग गई थी। ये 15 परसेन्ट किराया बढ़ाकर क्या प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं । इसको आप चर्चा का विषय अवश्य बनाइये वर्ना बड़ी भारी परेशानी पैदा हो जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने जितनी गुरु बात कही फिर उसे चर्चा में परिणत कराना चाहते हैं। वह आन्दोलन का कारण बन सकता है ।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)---

बोलने के उपक्रम में . . .

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 51 में जो सूचनाएं देते हैं उन्हें अपरान्ह में लिया जाता है अभी तो काम रोको प्रस्ताव ही लिये जाते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मैंने नियम 56 में सूचना दी थी और आपको बताया भी था कि इस प्रश्न की गंभीरता क्या है। खीरी जिले में मुख्य मंत्री जी गये थ। वहां पर नागरिक परिषद् की मीटिंग का आयोजन किया गया था। नागरिक परिषद् की ओर से एक थली उसी मीटिंग में उनको भट की गई थी और फिर वहीं पर पार्टी का प्रचार शुरू हो गया। आप देखें कि कितना गंभीर सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न गंभीर था लेकिन इतना हल्का कर दिया है कि मेरे लिए वह स्वीकार करने योग्य नहीं रह गया है। मैं पढ़े देता हूं, सुन लें।

किन्तु खेद का विषय है कि मुख्य मत्री जी की सभा में जिसकी अध्यक्षता नागरिक परिषद् के अध्यक्ष कर रहे थे एक ऐसा पत्र मूक अभिनन्दन पत्र पढ़ा गया। इसका क्या मतलब है ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

उसी में ये सारी अनर्गल भाषा लिखी गई है।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

मूकवाला ब्रेकैट में है। अभिनन्दन-पत्र का नाम है मूक अभिनन्दन ग्रन्थ। उसका संलग्न है।

श्री उपाध्यक्ष —

वह हमारे पास नहीं है।

श्री करन सिंह (जिला खीरी)--

बोलने के उपक्रम में...

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से तमाशा थोड़े ही है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मैंने गन्ने क दाम के विषय में काम रोको प्रस्ताव दिया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश म गन्ने की कीमत 9.50 रु0 प्रति क्विंटल है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 व 12 रु0 है। कल मुख्य मंत्री जी न उद्योगपतियों को बुलाकर वार्तालाप कर लिया जबकि कल से हड़ताल शुरू होन वाली थी। देवरिया जिले के किसान हड़ताल करने के इच्छुक हैं। मेरा आपसे निवदन है कि आप उस पर विचार कर लें नहीं तो हम कल से हड़ताल में जुट जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष --

गन्ने के सबंध म सरकारी नीति का स्पष्टीकरण हो गया है और उसके पश्चात अब इस पर चर्चा का कोई अवसर नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल--

चीनी के दाम बराबर बढ़ रहे हैं जब कि गन्ने के दाम वही हैं। इस पर कोई नीति निर्धारित हुई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष --

सरकार इस बारे में काफी यहां पर कह चुकी है।

श्री बंशीधर पाण्डेय--

हमन वह पत्र आपके पास भेजा है....

श्री उपाध्यक्ष—

म उसे अपने कक्ष में देखूंगा । (व्यवधान)

एक सदस्य—

एक प्रस्ताव महत्वपूर्ण हमने दिया था...

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

हमारे प्रस्ताव का क्या हुआ । आखिर किस तरह से हम अपनी बात कह...

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से नहीं कि जब चाह आप यहां कहने लग । क्या उसके लिये यही तरीका है ? यह गलत तरीका है । कल भी जब विधान परिषद् के सभापति महोदय के विरुद्ध आप कहने लगे, जिसे मैं नहीं चाहता था, क्या वह ठीक था? आप जो कुछ लिख कर देंगे मैं उसे देखूंगा लेकिन इस तरह से कहने की मैं इजाजत नहीं दे सकता । (व्यवधान) आखिर सदन का जो फसला है, जो काय करने हैं वे कैसे पूरे होंगे ? अब समय कहां है ? (व्यवधान)

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

राजस्व मंत्री श्री (उदित नारायण शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा" "भारत का संविधान में किय जाने के लिय प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) क प्रतिबन्धात्मक खण्ड क अन्तगत आत हों, अनुसमर्थन करता है ।"

श्रीमन्, कछ ही समय पहले इस सम्मानित सदन ने अपने एक प्रस्ताव के द्वारा संसद क दोनों सदनों द्वारा पारित जो अनुच्छेद 368 में संशोधन आया था उसे स्वीकार किया था ... श्रीमन्, वह एक प्रारम्भिक आवश्यकता थी । पहल इस बात का बड़ा विवाद था कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकारों से सम्बन्धित प्राविधान हैं उनमें किस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है या नहीं और उस विवाद को पूर्णतः समाप्त करने के लिए वह 24 वां संशोधन श्रीमन्, के सामने यहां पर आया था, संसद ने उसे पास किया और अब उसने कानून का रूप ले लिया है । श्रीमन्, इस संशोधन के हो जाने के पश्चात् अब संविधान में संसद को इस बात का पूण अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान में जो दूसरे अनुच्छेद हैं, केवल उन्हीं में नहीं उनमें भी जो मूल अधिकारों से सम्बन्धित हैं, उनमें भी संशोधन कर सकती है। यह 25 वां संशोधन, जिसको संसद क दोनों सदनों ने पास किया है उसकी जो प्रतिलिपियां हैं मेरी समझ से सभी माननीय सदस्यों को मिल चुकी हैं,इसलिये मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं कि मैं उस विधेयक को यहां पर आपके सामने पढ़कर इस सदन का समय लूं ।

उसमें जो दो-तीन खास बात हैं, उनकी तरफ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं । श्रीमन्, जो संशोधन इस विधेयक द्वारा प्रस्तावित हैं उनको हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं । पहला, श्रीमन्, अनुच्छेद 31 के खण्ड (2) में शब्द 'प्रतिकर' के स्थान पर शब्द 'धनराशि' रखी गई है । इस खण्ड में इस बात की व्यवस्था की गई है कि धनराशि नगदी से भिन्न रूप म भी दी जा सकती है । दूसरा, अनुच्छेद 31 में एक नया खंड (2-ख) बढ़ाया गया है कि अनुच्छेद 19–1 क (च) की कोई बात ऐसी विधि पर प्रतिबन्ध के रूप में लागू

नहीं होंगी, और श्रीमन्, एक बात यह है कि एक अनुच्छेद 31–ग के रूप में अब और बढ़ाया गया है, जिसके अनुसार अनुच्छेद 14, 19 और 31 के कतिपय निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियो पर लागू नहीं होंगे। श्रीमन्, संकल्प में ये प्रस्तावित संशोधन ह।

जहां तक पहले और दूसरे का जिनका मैंने जिक्र किया, जो संविधान के अनुच्छेद 31 में प्रस्तावित संशोधन हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह थी, आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब अनुच्छेद 31 बनाया गया तो उसका प्रारम्भ से हीं यह अर्थ था कि किन्हीं प्रयोजनों के लिए लोगों की सम्पत्ति का अर्जन किया जा सकेगा और वह अर्जन जब किया जाएगा तो उसके लिए प्रतिकर के रूप में क्या दिया जाएगा इस बात के लिए भी हमारा शासन या जो हमारे लेजिसलेचर्स हैं वे तय कर सकेंगे। श्रीमन्, इसकी तरफ मैं ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि एक आलोचना इस सम्बन्ध में यह की जाती है कि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से, किसी की सम्पत्ति जब ली जा रही है उसके ऊपर उचित प्रतिकर दिया जा रहा है या नहीं इस बात का निर्णय देने का अधिकार निकाल लना उचित नहीं है।

इसके प्रारम्भ में यह अनुच्छेद जिस प्रकार से था, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संविधान का मंशा आरम्भ से हीं यह था कि जब हम सम्पत्ति का इस प्रकार अर्जन करेंगे तो जो प्रतिकर स्वरूप में दिया जायगा उसको कोई अदालतें तय नहीं करेंगी बल्कि शासन तय करेगा और जो लेजिसलेचर्स ह वह तय करेंग।

श्रीमन्, इसके अनुसार शासन द्वारा जब कार्य किये गये तो उनके औचित्य को यदाकदा हमारे उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। यह कहा गया कि यह संसद के अधिकार क्षेत्र के बाहर है जो उन्होंने किया है।

मैंने निवेदन किया कि मंशा आरम्भ से हीं संविधान का यह था कि इस प्रकार के कार्य न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर रखे जायंगे। लेकिन जिस प्रकार की पिछली शब्दावलियां आयीं, उनको देखते हुए समय-समय पर उच्च न्ययालयों और खास तौर से सर्वोच्च न्यायालय न यह निणय दिया कि इन प्रकार की शब्दावली के होते हुए इन बातों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं रखा जा सकता। लगभग 1955 के करीब पहला निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का स्टेट आफ बेस्ट बंगाल बनाम बेला बनर्जी का था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जिस प्रकार अनुच्छेद 31 लिखा हुआ है, उसके अनुसार उसमें उस शब्दावली के रहते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जो प्रतिकर दिया गया है वह वाजिब है या नहीं और इसके औचित्य के ऊपर न्यायालय विचार कर सकता है या नहीं, न्यायालय के कार्यक्षेत्र के अन्दर वह है या नहीं इन शब्दों के रहते हुए यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने निणय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह उसके औचित्य को देखें और इस बात का निर्णय दे कि जो प्रतिकर दिया गया है वह वाजिब है या नहीं। अर्थात् उनका निर्णय यह हुआ कि इस के बारे में फैसला देने का अधिकार न्यायालय के कार्यक्षेत्र में अनुच्छेद 31 के अनुसार भी है। इसलिये सबसे पहले आवश्यकता इस बात की हुई कि जो संविधान का आरम्भ से मंशा था कि एसे मामलों को न्यायालय के कार्य क्षेत्र की परिधि से बाहर रखा जायगा उसका मंशा सही रूप से व्यक्त नहीं हुआ। इस लिये संविधान में संशोधन की पहली आवश्यकता पड़ी। वह संशोधन हमारे सामने चौथे संशोधन के रूप में लगभग 1955 में आया।

उस संशोधन के जरिये अनुच्छेद 31 को इस प्रकार संशोधित किया गया, उसमें यह बढ़ा दिया गया "किसी ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उस विधि द्वारा उपबन्धित प्रतिकर पर्याप्त नहीं है।" चौथ अमेंडमेंट के पहले ये

[श्री उदित नारायण शर्मा]

शब्द इस अनुच्छद में नहीं थे । इस अमेंडमेंट के जरिये जो शब्द जोड़ दिये गये इससे यह स्पष्ट हो गया कि संविधान की मंशा इस संशोधन के पहले यदि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी तो इस संशोधन के बाद स्पष्ट हो गयी कि जो प्रतिकर लगाया जायगा वह पर्याप्त है या नहीं इस बात का निर्णय न्यायालय के कार्य क्षेत्र के अधिकार से बाहर होगा ।

यह स्पष्ट होने के पश्चात् हमारे यहां एक दूसरा केस हुआ, शांतिप्रसाद का. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस संशोधन के हो जाने के पश्चात् अब न्यायालय के कार्य क्षेत्र के अन्दर यह नहीं है । उनके अधिकार क्षेत्र से यह बात बाहर है कि वह इस बात को तय कर सके कि किसी सम्पत्ति के अर्जन के लिये जो प्रतिकर मुकर्रर किया गया है वह ठीक है या नहीं है । उसके हो जाने के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं रह गई थी लेकिन इसके बाद जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का केस सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हुआ और उस पर जो निर्णय हुआ तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि बावजूद चौथे अमेंडमेंट के होने के जब तक आप प्रतिकर शब्द का प्रयोग करते हैं तब तक न्यायालय को अधिकार रह सकेगा कि वह इस बात को देखे कि जो प्रतिकर आप देना चाहते हैं वह वास्तव में प्रतिकर है भी या नहीं है और उसमें उन्होंने यह कहा कि वह प्रतिकर को तब प्रतिकर मानेंगे जब कि उसे जस्ट इक्विवलेंट की संज्ञा दी जा सकेगी । यदि जस्ट इक्विवेलेंट प्रतिकर नहीं दिया गया है तो वह प्रतिकर नहीं माना जायगा ।

जब तक प्रतिकर शब्द जिसको कम्पेनसेशन कहते हैं अनुच्छेद 31 में मौजूद है उस वक्त तक न्यायालय को यह अधिकार रहेगा कि वह यह तय करें कि वास्तव में वह प्रतिकर दिया जा रहा है या नहीं । उसी में आगे चल कर यह भी निर्णय दिया है जैसा कि सम्मानित सदस्यों को मालूम भी होगा कि प्रतिकर दो प्रकार से दिया जाया करता था । एक तो हम प्रतिकर कैश में दे सकते हैं । दूसरा तरीका यह रहता है कि हम बांड्स के रूप में भी रुपया देते आये हैं । उसमें उन्होंने यह निर्णय दिया कि यदि नकद से अन्यथा प्रतिकर का रूप होगा तो वह प्रतिकर इस तरह से दिया जाय कि कम न होने पाये यानी उसका सूद भी दिया जाना चाहिये ।

इस तरह से ये दो दिक्कतें हमारे सामने आईं । ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हुआ हमारे लिये और कोई दूसरा चारा भी नहीं रहा । शांति प्रसाद के केस के रहते हुये कि बैंक्स के राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ उसे शिरोधार्य करते । उस फैसले को शिरोधार्य करते हुये यह आवश्यक हुआ कि हमारी जो मंशा है उसको पूरा करने के लिये हम संविधान को इस तरह से संशोधित करें जिसमें यह जो एक बाधा हमारे सामने आया करती है वह दूर हो सके । इसकी वजह से संविधान की जो मंशा है वह पूरी नहीं हो पाती है लिहाजा उसका निराकरण करना आवश्यक था जिसके लिये यह संशोधन किया गया जिसके जरिये से पहली बात यह की गयी कि इस अनुच्छेद 31 में जो पहले शब्द प्रतिकर इस्तेमाल किया गया था उसको हटा कर उसकी जगह हमने केवल धनराशि रखा है और उसी तरह से, दूसरा संशोधन यह रखा है कि धनराशि नकदी से भिन्न रूप में भी दी जा सकती है । यह प्राविधान भी पहले नहीं था ।

इस तरह से आप देखेंगे कि आरम्भ से जो संविधान की मंशा थी जिसकी तरफ हम अपनी आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था को ले जाना चाहते थे उसको प्राप्त करने के लिये जिस प्रकार के कानून बनाने की हमें आवश्यकता पड़ती है उनको पूरा करने में जो बाधायें हमको समय-समय पर पड़ी हैं उनका अतिक्रमण करने के लिये एवं उनको निरस्त करने के लिये, आगे बढ़ सकने के लिये ये दो संशोधन बहुत ही आवश्यक थे ।

श्रीमन्, दूसरा जो आपके सामने है वह अनुच्छेद 31 है जिसमें कि एक नया खंड 2 बढ़ा दिया गया है । इसमें यह दिया हुआ है । ये जो बाद के दो संशोधन हैं उनके बारे में यह निवेदन कर दूं कि संविधान में जिस प्रकार आज तक अनुच्छेद बने हुये हैं और उनमें जो प्राविधान दिये हुये हैं उनके अनुसार आइंदा किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पैदा हो जायेगी । अपनी तरफ से भी इसके अतिरिक्त हमने प्राविधान किये हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टु बी अन्डर सेफ साइड । इस प्रकार अनुच्छेद 19 में मूल अधिकारों को देखते हुये अनुच्छेद 19 के "च" में दिया हुआ है कि सभी नागरिकों को संपत्ति के अर्जन, धारण और वहन का अधिकार होगा । श्रीमन्, यदि यह बना रहता है तो फिर जब कानून का इंटरप्रिटेशन किया जायेगा तो उस समय इसके रहते हुये यह प्रश्न पैदा होगा कि जब तक यह प्राविधान बना हुआ है और इसे भी नहीं बदला गया है जब तक अनुच्छेद 31 को जिस प्रकार से हम संशोधित करना चाहते हैं और जैसी कि हमारी मन्शा इसको संशोधित करने की है, वह हमको हासिल नहीं हो सकती । इसलिये इस बात की आवश्यकता हुयी कि हम यह कहें कि अनुच्छेद 31 में एक खंड और बढ़ा दिया जाय जिसके अनुसार इस प्रकार की विधि के ऊपर अनुच्छेद 19 'च' लागू होगा ।

इसके बाद जो तीसरा संशोधन है वह यह है कि हमने इस विधेयक के जरिये से संसद ने अनुच्छेद 31 में खंड "2" एक नया अनुच्छेद 31"ग" के रूप में जोड़ा है जिसके अनुसार अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 में दिये गये मूल अधिकारों के प्राविधान अनुच्छेद 39 (ख) व 39(ग) में दिये हुये नीति निर्देश न तत्वों की प्राप्ति हेतु बनाये गये विधि को लागू नहीं होंगे ।

श्रीमन्, अनुच्छेद 14, 15 और 19 को आप देखेंगे तो एकाएक हमारे दिल में यह बात आयेगी कि अनुच्छेद तो ऐसा है कि सब को समानता का अधिकार दिया गया है···

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इसका कहां हनन हो रहा है ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं कि अनुच्छेद 14 में क्वालिटी बिफोर ली है । अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। श्रीमन्, इसमें बड़े महत्वपूर्ण और मूलभूत अधिकार दिये हुए हैं और उनको देखते हुए आरम्भ में यदि हम जरा सा सतर्क न रहें तो हमारे दिमाग में यह बात आ सकती है कि जो बहुत ही मूलभूत अधिकार हैं उनका अपहरण हो रहा है ।

श्रीमन्, हमें यह ध्यान रखना चाहिये । अनुच्छेद 15 विधि से संबंध रखता है और 14 विधि के समक्ष समता से और 19 संपत्ति रखने के अधिकार से संबंधित है, और दूसरे प्रकार के अधिकार से । इन सबको और जब 19 को देखेंगे तो उसमें वाक स्वतंत्रता की है और शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का भी है । तो इसके बाद यह आलोचना करने की कोशिश की जायगी कि यह तो ऐसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार हैं जिनको छीनना ही नहीं चाहिये । लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि इनका उसी हदतक अपहरण होगा या संकुचित किया जायगा जिस हद तक हमारे अनुच्छेद 39 (ख) (ग) में दिये नीति निर्धारण तत्वों की पूर्ति में सहायक होंगे ।

39--इस प्रकार है--उसके (ख) और (ग) को आप देखें--

"39--राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से--

(ख) समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो,

[श्री उदित नारायण शर्मा]

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केंद्रण न हो,"

तो ये दोनों संपत्ति से संबंध रखते हैं । हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी न हो कि केंद्रीयकरण लोगों के हाथ में हो सके जिससे और लोगों का शोषण हो सके, इसलिये हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे इसकी हमसे आकांक्षा करते हैं । इसलिये इनसे संबंधित जितने हम कानून बनायेंगे और उसमें 14, 15 और 19 के स्वतंत्र रूप की वजह से जो व्यवधान पैदा हो सकते हैं वह जहां तक संपत्ति से संबंधित है वह अमान्य हो जायेंगे, अर्थात् 14, 15 और 19 भी जहां तक उनका अधिकार संपत्ति के संबंध में है केवल वहीं तक इस संशोधन के जरिये से अमान्य होंगे, इसके आगे और कुछ नहीं । तो इस तरीके से संपत्ति के अर्जन का जो अधिकार सामाजिक और हमारी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये मान लिया गया है, जो आवश्यक हो चुका है केवल उसकी पूर्ति की दृष्टि से यह संशोधन शुरू से आखिर तक लाया गया है । जिस समय 24वें संशोधन के ऊपर इस सदन में विचार हो रहा था उस समय हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा था कि संपत्ति के बारे में जो भी कानून और संशोधन लायेंगे उनका सब लोग स्वागत करेंगे, उसी उद्देश्य से आज यह संशोधन लाये जा रहे हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि इसका सब लोग स्वागत करेंगे ।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव राजस्व मंत्री जी की तरफ से पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो कुछ माननीय मंत्री जी ने फरमाया है, चूंकि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं इसलिये तफसील में जाने की जरूरत नहीं समझता मैं दूसरी दृष्टि से कहना चाहता हूं और वह यह है कि यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अनुच्छेद 39 में दिये हुये हैं (ख) राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसे संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो,

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केंद्रण न हो,

(b) That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good,

(c) That the operation o the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment,

हमारे कांस्टीट्यूशन में शुरू से ही प्रावीजन्स दिये हुये हैं तो सवाल यह है कि इन प्रावीजन्स का अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ जब कि 22 साल कांस्टीट्यूशन को निफाज में आये हो गये । इसमें लिखा है कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण नहीं होगा, थोड़े से आदमियों के हाथ में धन नहीं आयेगा बल्कि इस तरह से तक्सीम किया जायेगा जिससे सर्व साधारण का भला हो सके । यह नई बात नहीं है । जो कुछ हमने अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में सीखा है वही अल्फाज वही स्प्रिट और वही धारणा है । लेकिन क्या हुआ है । हुआ यह है बजाय इसके कि उस समय जो आर्थिक शक्ति केंद्रित थी उसका विकेंद्रीकरण होता, डिसेंट्रलाइजेशन होता, इक्वलली डिस्ट्रिब्यूशन होता उसके बजाय उल्टे डायरेक्शन में अर्थ व्यवस्था ले जाई गई । मसलन हमारे यहां वैसे 15 पूंजीपति हैं लेकिन उनमें से दो बहुत बड़े हैं बिड़ला और टाटा ।

1951 में अंग्रेज के जाने के बाद उनके पास 25 करोड़ रुपया था । लेकिन 63–64 में पंडित जवाहरलाल नहरू के समय में साढ़े चार अरब हो गया और मौजूदा प्रधान मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के जमाने में 7 अरब हो गया है। यही हाल टाटा का हुआ है । सबका यही हाल हुआ है । अंग्रेजों के जमाने में इनकी जितनी सम्पत्ति थी उसके मुकाबले में दस गुनी, बीस गुनी और तीस गुनी सम्पत्ति इकट्ठी हो गई है । अगर इस वक्त के सर्वसाधारण की आय में और बड़े-बड़े पूंजीपति की आय में 1 रुपया और 25 रुपया का अनुपात था लेकिन आज वह अनुपात 1 रुपया और 700 रुपया हो गया है । यह क्यों मुमकिन हुआ, यह सब कुछ पहले भी था । महात्मा जी का जो कुछ कहना था उसको हमने उनसे सुना, अखबारों में पढ़ा और यंग इंडिया में उनके जो लेख निकलते थे, उन सब में उसके बारे में था ।

दूसरी बात यह है कि महात्मा जी को तो लोगों ने दकियानूसी करार दे दिया क्योंकि उन्होंने गांधीवाद की जगह समाजवाद रखना उचित समझा । पहले सोशलिस्टिक पैटर्न रखा और अब सोशलिज्म हो गया और महात्मा गांधी की शिक्षाओं को रिएक्शनरी बताया गया । और जो सोशलिज्म हुआ वह आपके सामने है और यह हमारे लीडरों और उस गवर्नमेंट के द्वारा हुआ, जिनके हाथ में सत्ता थी । उसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों के जमाने में बड़े-बड़े उद्योगपतियों के विरुद्ध जो बात अखरती थी वह अखरनी भी बन्द हो गयी । जबान से बात कुछ कहते रहे और अमल कुछ करते रहे । जैसा मैंने कल कहा था मैंने एक न्यूज आयटम 20-21 के फाइनेंशियल एक्सपर्ट में जो एक एकोनामिक वीकली है, पढ़ा । अप्रैल से सितम्बर तक 6 महीने में 157 लाइसेंस दिये गये और मोनोपली के खिलाफ जो ऐक्ट बना है, उसके बाद भी दिये गये । फिर क्या गारन्टी है कि यह कानून पास भी हो जाय और आर्टिकल 39(बी) और (सी) पर अमल न हो।

जहां तक जमीन का ताल्लुक है आंध्र और महाराष्ट्र में मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टरों के पास 500, 1100, 2700 एकड़ तक जमीन मौजूद है और अगर माननीय मुख्य मंत्री होते तो 1-2 सवाल मैं उनसे भी करता, उनकी गैरहाजिरी में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्म के नाम पर हमारे यहां भी सोशलिस्ट लीडरों के नाम काफी जमीन है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून बदल जायगा, चोला बदल जायगा, लेकिन इस कानून के द्वारा वह मन किस प्रकार से बदलेगा । कबीर का कोई पद है, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है उसका अर्थ यह है कि रंग तो बदला लकिन मन न बदला। उससे क्या लाभ होगा ।

महात्मा गांधी ने दूसरी राउन्ड टेबिल कांफरेंस में मुआविजे के बारे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पूरा मुआवजा अगर बड़े लोगों को दिया जायगा तब तो यही तर्क लगेगा कि रोहन से लेकर सोहन को दे दिया गया । गरीब जनता से रुपया लेकर मालदारों को दे दिया गया । बड़े लोगों को पूरा मुआवजा नहीं दिया जा सकता है । यह बात आज की नहीं, सोशलिस्ट लीडरों की नहीं, हमारे लीडरों के लीडर राष्ट्रपिता की थी जो सोशलिस्ट तो नहीं लेकिन सीधी सादी बात गरीबों की कहता था और यह बात उन्होंने सन् 32 में कही थी कि पूरा कम्पेनसेशन नहीं दिया जायगा । उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इस से कुछ लोगों को तकलीफ होगी लेकिन उन के साथ हमारी हमदर्दी है पर पूरा मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता । एक प्रकार से इस संशोधन के द्वारा केवल वही चीज कहने जा रहा हूं जो हमारे राष्ट्रपिता ने आज से 40 साल पहले कही थी । बस मैं इसका स्वागत करता हूं और श्री उदित नारायण शर्मा का, गवर्नमेंट का और दूसरे लोगों का कि जिन्होंने इसे पेश किया उन सब को मैं इस संबंध में मैं बधाई देता हूं । मुआवजे की बात मैंने कही, उस का इंटरप्रिटेशन यह हुआ कि यह जो शब्द कम्पेनसेशन है उसके अमाउन्ट को कोर्ट तय नहीं कर सकेगा इसलिये चूंकि कम्पेनसेशन शब्द ऐसा है कि यह देखन का अधिकार है कि वह पूरा मार्केट वेल्यू है या नहीं । लेकिन इस से आर्टिकिल 39 का प्राविजो बकार हो गया और जो भी अमाउन्ट रखा जाय वह ठीक ही समझा जाय और उस पर आपत्ति न हो ।

[श्री चरण सिंह]

एक जरा सी बात मैं कहूंगा कि उस पर अगर्चे मेरा आग्रह नहीं है और इस संबंध में जैसा कि श्री सीतलवाद तथा ला कमीशन ने भी कहा है कि यह जो अनुच्छेद 19 क लिए दिया हुआ है खंड 3 में कि बावजूद इसके कि जो कुछ भी अनुच्छेद 14,19 और 21 में लिखा हो तो अनुच्छेद 39 के उप-अनुच्छेद (ख) (ग) की मनशा को पूरा करने के लिये जो मस-विदा आयेगा उसको कोट क्वेश्चन कर सकेगा । यह ठीक है कि लकिन मेरी शंका यह होती है कि आर्टिकिल 19 में जो सात फ़रीडम के बुनियादी हकूक हर नागरिक के गिनाय गये हैं वह इस प्रकार है :

"सब नागरिकों को वाक्-स्वातन्त्रय और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य क्षत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत राज्य-क्षेत्र क किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का अधिकार होगा ।"

हैं तो यह सातों महत्वपूर्ण लेकिन य पहला जो वाक्-स्वातंत्र्य का है कि हर व्यक्ति व्यक्ति को फ्रीडम आफ आफ स्पीच और एक्सप्रेशन होगी इस का बहुत अधिक महत्व है और इसीलिय हमारे संविधान बनाने वालों ने इसको पहला स्थान दिया है यह जो अनुच्छेद 39 के क्लाज बी0 व सी0 के मातहत कानून बनेगा उसका वास्ता इस अनुच्छेद 19 के (ख) (च) से तो हो सकता है क्योंकि यह पहले से हैं लेकिन वह भी इसके अन्दर आ जाते हैं । उसके ऊपर यह दिया है जिसे पेड प्राइस शिड्यूल या क्या कहत हैं, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो वहां ऐसा एक्सट्रीम व्यू लिया गया और एक फार-फलेज्ड इंटरप्रिटशन हुआ कि इस से लोगों के वाक- स्वातंत्रय में अन्तर आ जायगा और इसी लिय सेंट्रल गवनमेंट की ओर से कहा जाता है कि इस को लाने की जरूरत पड़ी ।

आर्टिकिल 19 जितना है उस सब को यह कर दिया गया कि इस की बिना पर कोई सवाल नहीं उठ सकता कि इस के किसी खंड के यह खिलाफ जाता है । मंशा तो ठीक है । मैं उसकी कद्र करता हूं लेकिन साथ ही यह भी ख्याल रखना है कि कहीं और कोई सरकार आ जाय या कोई दूसरा प्रधान मंत्री हो जाय जो इसका एब्यूज कर सकता है, यह संभावनाय इसमें हैं । इसीलिये श्री सीतल वाद साहब न यह सुझाव दिया था कि यह आर्टिकिल 39 के (बी) और (सी) की मंशा को पूरा करता है या नहीं करता । इसके लिये अदालत में जाने का अधिकार होना चाहिये था । एक तो यह कहते हैं कि स्टेट को यह अधिकार नहीं होना चाहिये । नेशनल स्केल पर (बी) (सी) में गवर्नमेंट आफ इंडिया को अधिकार होना चाहिये । हो सकता है कि स्टेट लिस्ट में हो इसलिये 39(बी) और (सी) में स्टट को भी अधिकार है । लेकिन स्टेट में इस प्रकार का टेलेंट या एक्सपीरियेंस है या नहीं कि कानून इसकी ठीक मंशा के मुताबिक बना सकें ।

हम सब लोग लेजिस्लेचर के मेम्बर्स हैं लेकिन हमें यह मानना पड़े कि छोटी-छोटी 3 स्टेट्स बनने जा रही हैं, त्रिपुरा, मनिपुर वगैरह और उनमें यह एक्सपीरियेंस है कि वे इस तरह के कानून बनायें और एब्युज नहीं होगा । केवल यह डिक्लरेशन करना काफी नहीं है "That it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on the ground that it does not give effect to such policy" यह घोषणा कर दी । कानून में लिखा दिया और शायद बयान भी दे दिया गया । कोर्ट का स्थान नहीं रखा । कम से कम आर्टिकल 39(बी) और (सी) को जस्टिसिएबिल बना दिया जाता । ला कमीशन ने भी अपन सुझाव में दिया था और श्री स तल वाड साहब ने भी अपने भाषण म कहा था । यह स्टेट को अधिकार नहीं देना चाहिय और अगर

देते हैं तो यह भी अधिकार होना चाहिये कि जो भी परसन इन्टैरेस्टेड हो वह इसे कोर्ट में ले जाय, यदि यह मान लिया जाता तो अच्छा था । इन शब्दों के साथ जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने आज जो प्रस्ताव रखा है, हृदय से और सिद्धांत रूप से मैं उसका समर्थन करता हूं । लेकिन उन्हीं की पार्टी वालों में जो संभावनायें व्यक्त की हैं, जसा कि नेता विरोधी दल ने भी कहा, उन बातों की ओर भी हमें ध्यान देना होगा कि जब भारत का संविधान बना था उसके निर्माताओं ने जो मंशा रखी थी, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं यह कोई स्टेटिक रूप से न बना रहे ।

लकिन मान्यवर, आज यह भी रिएक्शनरी, जैसा अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, आज जो मोस्ट रिएक्शनरी थे, जो आज उन बैंचों पर और पार्लियामेंट में हैं, जो यहां पर हैं अधिकांश ओवरनाइट प्रोग्रेसिव हो गये और जो प्रोग्रेसिव थे, जो उन सीटों पर हैं, वे रिएक्शनरी करार दिए जाते हैं और ये कहते हैं कि मैसिव मैंडेट मानता हूं। क्षमा करेंगे उस तरफ के वे लोग जो कांग्रेस के मैसिव मैन्डेट में सोचत नहीं थे । जो कभी उस तरफ नहीं थे जब कांग्रेस का मैसिब मैन्डेट 52, 57 में 62 में और 67 में था । वह आज हमें मैसिव मैन्डेट को शिक्षा देते हैं । आप कहां थे उस जमाने में ।

आप देखिय पार्लियामेंट में द आर होल्डिंग दि डेस्टिनी आफ नेशन । कमलापति त्रिपाठी नहीं लेने जा रहे हैं । द्वारिका प्रसाद मिश्र नहीं लेने जा रहे हैं । ब्रह्मानन्द रेड्डी नहीं लेने जा रहे हैं, सुखाडिया नहीं लेने जा रहे हैं, पडित उदितनारायण शर्मा नहीं लने जा रहे हैं। मान्यवर, आज जो ला मिनिस्ट्री है जिन्होंने यह पेश किया है गोखले साहब उन्होंने चौबीसवें संशोधन बिल पर कहा था । उसके पहले उन्होंने कहा था कि जजेज की तनख्वाह 3500 रुपये से ज्यादा होनी चाहिये । इस पर उन्होंने रेजिगनेशन दिया था । मैं चैलेंज करता हूं । अगर यह बात झूठ हो । जो 3500 रुपये की तनख्वाह को कम कह रहे हैं और इस्तीफा देने की बात करते हैं । आज पार्लियामेंट में ऐसे लोगों ने जो जिन्दगी भर प्रोग्रेसिव रहे हैं जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को इस लड़ाई म प्राप्त किया है, संविधान सभा में बैठकर संविधान दिया है वे आज इस बात को कह रहे हैं कि नहीं टल सकता है । ये रिएक्शनरीज हैं । ठीक है । यह हिटलर भी कहा करता था । हर एक प्रशासक जिसके हाथ में सत्ता है आप जो कह देंगे वह मान लेंगे । लेकिन आप स्टेटिक बातों को कहते हैं ।

आप 24 वें, 25 वें संशोधन को पढ़िये । ला मिनिस्ट्री इज सपोर्टेड बाई फोर वैटरेंस । गोखले साहब पेश करते हैं, कुमार मंगलम् सिद्धार्थ शंकर रे ये दोनों सपोर्ट म बैठे रहते हैं, 24,25,26,27 28 जितने संशोधन इनके जमाने में होंगे उसको चार ला मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं । मैं धन्यबाद देता हूं आपको कि आपने कम से कम अपने बल पर पेश किया । पंडित जी आपने यहां पर मिनिस्टर की हैसियत से बात की है। जब आप ला-बार में जायेंगे तो कोई भी ला का जानने वाला आदमी नहीं कहेगा मैं मानता हूं ये पावर्स जो आप ले रहे हैं यह जो एक्जीक्यूटिव होती है, एक्जीक्यूटिव को पावर चाहे जितना लना हो ले लीजिये लेकिन रूल आफ ला इज दि एसेंस आफ डमोक्रेसी । यहां डैमाक्रेसी नहीं है। जहां पर आई वहां पर यह मा यता प्राप्त हो जाती है । रूल आफ ला होगा तब रूल आफ ला में उसकी कोई डेमोक्रसी नहीं रहती है । आज आप क्या कर रहे हैं, वे लोग डमोक्रेट-सोशलिस्ट नहीं हैं । डमोक्रसी माइनस सोशलिज्म म वह डमोक्रसी माइनस करके कौन सा समाजवाद आयेगा ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

मैं अभी आपको बताता हूं सब मैसिव बातें समझ जायेंगे । लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप इस बात को कहते ह कि फंडामेंटल राइट है । मैं पढ़ रहा था इसम और मुझ बड़ी हैरत हुई कि फंडामेटल राइट में क्या-क्या बातें हैं । पूरी 19 धारा इनएफक्टिव हो जायेगी और इस धारा में है क्या । फ्रीडम आफ स्पीच एक्सप्रेशन टु असम्बल एट नो प्लेस विदाउट आर्म्स टु फार्म असोसिएशन ऐंड यूनियन मूव फ्रीली थ्रू आउट दि टैरिटरी आफ इंडिया, टु रिसाइड ऐंड सेटिल इन एनी पार्ट आफ दि टैरीटरी आफ इंडिया । छठवां है---टु एक्वायर आर टु होल्ड दि राइट टु प्रापर्टी ऐंड प्रेक्टिस एनी प्रोफेशन ऐंड टु कैरी आन एनी आकुपेशन ट्रेड ऐंड बिजिनेस । आपने उस पूरी धारा को इनएफैक्टिव बना दिया है ।

मैं पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ रहा था । उसमें गोखले साहब, सिद्धार्थ शंकर रे, मोहन कुमार मंगल आदि चार आदमी हैं, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दीजिये, उनको सब बोलने का अधिकार है, वे जो बोलेंगी, वह सब ठीक है, वे कांग्रेस में रही ह, मुझको कोई तकलीफ नहीं है । लेकिन कुमारमंगलम, सिद्धार्थशंकर रे और जस्टिस गोखले का कहां से कांग्रेस में जन्म हो गया । अगर कमलापति त्रिपाठी किसी बात को कहेंगे तो मैं अपना सिर झुका लूंगा । वे बुजुर्ग हैं, पूज्य हैं । वे सन् 20 में जेल गये, मैं सन् 42 में आया । वे उस पार्टी में थे । लेकिन ये लोग उनमें से थे जो कहते थ वी विल रैंक द कांस्टीट्यूशन फ्राम विदिन । आप सारी चीजों को काटने जा रहे हैं । आप हंसियेगा नहीं । मैं आपसे बहुत ज्यादा टिकट बांटने का काम देख चुका हूं । ब्हिप का कारण जो हो रहा है उसे आप भोगते होंगे, हम भी उसके भुक्तभोगी रहे हैं ।

आप इस बात को कहते हैं कि यह सारा कांस्टीट्यूशन दिया हुआ है, सरदार पटेल इज द कांसोलीडेटर आफ इंडिया । आज अगर आप जो कांग्रेस में रहे हैं उनको और भी कुछ कहें तो मैं मान लूं लेकिन जिनका कांग्रेस से वास्ता ही नहीं रहा और जो जन्म भर गाली देते रहे उनकी भी एस्केप पकड़कर हिम्मत हो गयी कि पटेल को कहें कि यह सारी चीजें बुर्जवा की थी, उन्हें तमीज नहीं थी । ऐसे सारे लोगों को धक्का दे कर जनता निकालेगी और वह दिन दूर नहीं । वी विल बेट फार दैट ।

आज आप सारी चीजें काट रहे हैं, फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम टु असेम्बल । मैं आपसे कहता हूं गवर्नमेंट ही सारी वोटिंग करवाये । अमरिका में सारा चुनाव सरकार करवाती है । मोहन धारिया, जो कि यंगस्टर स्पोक्समेन आफ सोशलिज्म हैं, ने अपनी स्पीच में कहा है । जो पार्टीज नेशनल लेबुल पर मान्यता प्राप्त हैं उनके कैन्डीडेट्स का खर्चा सरकार करे अगर आप इसको मानें तो मैं भी इससे एग्री करता हूं । मैं कहां पीछे हूं । आपको नाज है कि सोशलिज्म ला रहे हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि भुट्टो इज थाउजेंड टाइम्स मोर सोशलिस्ट दैन इंदिरा । भुट्टो ने ओवरनाइट 22 फैमीलीज की सम्पत्ति को जब्त कर लिया । कल उधर से ही एक सदस्य ने कहा कि देश की सारी पूंजी 75 पूंजीपतियों के हाथ में है । मैं उनकी स्पीच को आपको निकलवाकर दे दूंगा जो कि आपकी बेंचेज से ही दी गयी थीं ।

पं० उदित नारायण जी बुजुर्ग हैं, पंडित हैं, अनुभवी हैं लेकिन एक छोटे आदमी के नाते उनकी इंफारमेशन के लिये कह दूं कि एक ईस्टर्न इकानोमिस्ट का लेख पढ़ लें। हिन्दुस्तान में चालाकी चल रही है और उस चालाकी के साथ एक्वायर करते हैं तो उन्हें धन्यवाद और ऐसे लोगों को धन्यबाद दिया जाय जो हिन्दुस्तान की सम्पत्ति को लेने की बात कर रहे हैं । दुनिया के पिछड़े हुये देशों, लैटिन अमेरिका, मेक्सिको, ईरान, ईराक, हेल्साल्वासी को राज्य में पूंजीपतियों को फैक्टरी लगाने का अधिकार देना शुरू कर दिया ह । बिड़ला की 795 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ले और 150 करोड़ का लाइसेन्स अन्डर डेवलपमेंन्ट कंट्रीज के बीच

में दें दें। और उसके बाद आप कहते हैं कि इनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया। आप हर कार्यक्रम बनाते चले जायं और हर पूंजीपति इस कार्यक्रम का स्वागत करेगा। जयपुरिया को क्या है, वह मिडिल ईस्ट चले जायेंगे, इथोपिया चले जायेंगे, वहां जाकर स्थापित कर लेंगे।

अभी मोहन जी से बात हुई है। उनको भी ईराक और ईरान में कहीं दे दिया गया है और 745 करोड़ के बजाय आप 1000 करोड़ का दे दीजिये तो क्या है, वहां जाकर वह वहां के नागरिक बन जायेंगे और अपना राज्य बना लेंगे और अगर भारत आना पड़ा तो लौट कर चले आयेंगे और नागरिकता छोड़नी पड़ी तो छोड़ देंगे। तो मान्यवर, जो आप कहते हैं एक्सचायर करने की बात तो मुझसे अच्छा तो लाइयर्स सोच लेंगे, लेकिन मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते कहता हूं कि राजस्व मंत्री जी आप इसको पढ़ लीजिये और जैसा अभी श्री कृष्णमोहन का बयान है जो कि एक रेडीकल और अच्छे नेता कहे जाते हैं उन्होंने कहा है कि कम्पेन्सेशन और एमाउन्ट में क्या अन्तर है, उन्होंने कहा है कि एमाउन्ट तो किसी परपज के लिये जिसको आप लाना चाहते हैं उस परपज के अगेंस्ट देंगे और आप चाहें जितने भी संशोधन पास कर लीजिये. लेकिन कोर्ट्स जाने से किसी को रोका नहीं जा सकता।

अभी एक कांग्रेस(आर) के एम०पी० ने कहा है कि जितना चाहें आप एमेंडमेंट की फाइलों का बोझ अपने सिर पर रखते चले जाइये, लेकिन इससे पब्लिक का कोई लाभ होने वाला नहीं है चाहें आप 365 न सही 395, जितनी भी धारायें हों, उनका आप अमेंडमेंट कर दीजिये चाहें आप सबको बदल डालिये, लेकिन उस कार्यक्रम को आप कर नहीं पायेंगे। जहां "एमाउन्ट" शब्द आया, वहीं उसका मतलब "कम्पेनसेशन" होगा लिटरल वर्ड में और वहीं कोर्ट का जूरिशडिक्शन होगा और कोर्ट का जूरिशडिक्शन काटने के लिये आप चाहें जितना ही एमेंडमेंट करते जाइये। मान्यवर, इस रूल आफ ला में आप पावर लेते हैं और जब आप पावर लेते हैं तो उसमें वर्णित अधिकारों के विरुद्ध जब आप उसका उपयोग करते हैं वहीं कोर्टस के गेट खुले हुय हैं और कोर्टस को अधिकार है कि वह उसको इंटरप्रेट करे।

लेजिस्लेशन से आपको पावर डेलीगेट की जाती है, लेकिन जहां उस पावर के अगेंस्ट जायेंगे, तो भी कोर्ट में जाने के हर किसी को अधिकार है, चाहें आप हर ऐक्ट में कोर्ट मे जाने के लिये "बार" कर दीजिये। मैं भी शासक दल में रहा हूं और मैंने भी कई बिल पाइलेट करवाये हैं और हर बिल में कोर्ट में जाने की मनाही है, लेकिन हर चीज कोर्ट में जा सकती है चाहें आप फंडामेंटल राइट की धारा 19 को कितना ही इनएफेक्टिव कर दीजिये। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आप और केन्द्रीय सरकार के मंत्री खुले आम पार्लियामेंट में बैठकर जजों को इस तरह से बड़े ही रिफाइंड वे में शुद्ध तरीके में गाली दे लेते हैं और उनको बुर्जुआ दबा हुआ और गिरा हुआ और वैस्टेड इंट्रेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कह लेते हैं, लेकिन मैं एक बात कहूं कि जितने लाइयर्स मेम्बर्स और मिनिस्टर जो लाइयर्स रह चुके हैं, दिल से बिलकुल ही सपोर्ट नहीं करते होंगे।

एक्जीक्यूटिव की पावर्स के अगेंस्ट अगर जुडीशरी में जाने की इजाजत न हो तो डिक्टेटरशिप की परिभाषा के लिये क्या कहा जा सकता है—चीफ मार्शल ला और एडमिनिस्ट्रेटर भुट्टो में और पंडित उदित नारायण शर्मा में कोई भेद नहीं होगा अगर ऐसा होता है। आप इस आगस्ट हाउस में बैठकर पावर लेते हैं और जो पावर डेलीगेटेड होती है उसी से आप राज्य संचालन करते हैं और जब आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो कोर्ट में हर आदमी को जाने का अधिकार होता है और कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है।

अमेंडमेंट करिये, इसमें इनेबिलिंग क्लाज लाने की बात करिये। आप इसके लिये तैयार नहीं हैं। आप करते हैं तो कर दें वरना इट विलबी बेटर टू एबालियश दी कोर्ट्स। यह अच्छा होगा कि कोर्ट्स को एबालिश कर दें और सारे मिनिस्टर्स जुडीशियरी लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव सब फंक्शंस आप करें तो मुझ चिन्ता नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जब

[श्री बंशीधर पांडेय]

आप सारे अधिकार धीरे-धीरे काटते जायेंगे जैसे मुजीबुर्रहमान के बंगला देश मे काटे गये थे, वहां तो चीफ मार्शल ला एडिमिनिस्ट्रेटर सन् 58 में आया था तो आप भी काट दीजिये जितने काटना चाहें, सब का समर्थन होगा । आप कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसीपिल्स के ऊपर लाना चाहते हैं फंडामेंटल राइट्स से ।

मैं कहता हूं कि आप जोड़े होते, जैसा आप ने कहा कि हम एमाउन्ट देंगे । एमाउन्ट मैंने देखा है इस हाउस में । शुगर फैक्टरी में आप ने एमाउन्ट दिया था वह हाई कोर्ट में चले गये और जब लौट कर आये तो स्टे हो गया । तो जो एमाउन्ट होता है किसी को एक करोड़, किसी को दस लाख और किसी को 25 लाख । तो यह आपके जजमेंट के ऊपर है । यह जस्टिस नहीं है कि जिसको चाहेंगे देंगे और गरीब आदमियों को और बात कह दें । ठीक है कि यह गवर्नमेंट आफ इंडिया तय करेगी तो फिर प्रोपर्टी की सीलिंग करें अर्बन की जो भी सीलिंग हो । सीलिंग की बात मैं आपकी मानता हूं । आप इस सिद्धांत को मानते हैं कि मिनिमम बेसिक नीड है लाइफ के लिये । यह सीलिंग की परिभाषा में आता है कि जो सामान्य जरूरत से ज्यादा हो । इसलिये सीलिंग को आप मानते हैं अदरवाइज क्या जरूरत है । सब भूमि गोपाल की यह विनोबा जी ने कहा था । सब भूमि गोपाल की से मतलब है गवर्नमेंट की ।

जब आप सीलिंग का सिद्धांत स्वीकार करते हैं तो सीलिंग में जो प्रापर्टी गरीब की होगी वह जायगी और उसको आप वैसे ही ले लेंगे । लेकिन जिसकी हजारों एकड़ है उसको लीजिये । बिड़ला जी का भवन, मान्यवर जहां महात्मा गांधी मरे थे वहां आपने 55 लाख कम्पेनशेशन दिया । एक गरीब को आप देंगे 55 लाख । बिड़ला के पास तो करोड़ों मकान हैं । जहां फादर आफ दि नेशन की डैथ हुयी थी उसको आप वैसे ही एक्वायर कर सकते थे लेकिन आप उनके दबाव में आ सकते थे क्यों उनकी बिरादरी की संख्या 75 है । अतः उनको देने में कभी गड़बड़ नहीं होगी लेकिन अगर आप धुरऊ चमार या किसी दूसरे गरीब आदमी की भूमि लेंगे तो उसको आप टालेंगे, उसको आप कैसे देंगे क्योंकि वह पब्लिक काज के लिये है और आप कहेंगे कि उसको दो रुपये दे दीजिये । नहीं तो अगर आप सीलिंग की परिभाषा मानते हैं तो विद इन सीलिंग और आउट आफ सीलिंग गारंटी करनी पड़ेगी कि विद इन सीलिंग के बाद पब्लिक पर्पज के लिये एक्वायर की जायगी तो उस जमीन का उसको आप कम्पेनसेशन देंगे ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

वह तो संविधान में मौजूद है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

संविधान तो आप काटते चले जा रहे हैं यह मेरा एप्रीहेंशन है और जो पहले से मौजूद है उसके लिये धन्यवाद, मगर हमारी बात नहीं चलेगी । मैं यह कह रहा हूं कि आपने आश्वासन दिया था उस पर आप करें तो मैं सन्तुष्ट हूंगा । आप ने जो आश्वासन दिया है तो उसको आप कनवे कर दीजिये । उसको कर दीजिये मान्यवर फंडामेंटल राइट्स प्रापर्टी का । यह मैंने पहले कहा था और इस बात से मैं बिलकुल इत्तफाक करता हूं और वह तो आपके इकोनोमिक्स की परिभाषा में आता है कि लैंड, एयर, रोशनी, पानी, हवा सब नेचर की प्रोडक्ट, है, कैसे नहीं सीलिंग होनी चाहिये । कोई इसमें मतभेद नहीं है अगर आप बार-बार यह कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसीपिल्स के ऊपर करना है । अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसीपिल्स पर जोर देंगे तो फिर हर बालिग को काम, और हर बेघर को मकान और हर बूढ़े को पेंशन देना आपके लिय लाजमी होगा । तो यह आप जोड़ दीजिये कि एवरी बडी हैज ए राइट टु वर्क ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

वह तो मौजूद है ।

श्री बंशी धर पांडेय--

वह नहीं है । अगर है तो आप कहिये कि एवरी बडी हैज दी राइट टू वर्क । हर बालिग को काम और राइट टू वर्क यह नहीं लिखा हुआ है ।

हर एक बालिग को काम करने का अधिकार है और वह उसको मिलना चाहिये और अगर उसको काम नहीं दे सकेंगे तो उसको उसके बराबर कम्पेनसेशन मिलना चाहिये ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह तो कान्सटीट्यूशन में दिया है।

श्री बंशीधर पांडेय--

बेकार को काम और हरएक बूढ़े को पेंशन परन्तु यह तो कभी नहीं दिया जाता है । फाइटर आफ दी फ्रीडम को भी यह पेंशन नहीं मिल पाती है । इन सभी बातों को इस सरकार को देखना होगा । अभी मैं एक गांव में गया था । वहां के सभी किसान कहने लग कि भाई हरएक आदमी की नजर किसान की जमीन पर ही लगी रहती है और यह उस समय होता है जबकि यहां पर भी और संसद में भी किसानों के 95 प्रतिशत प्रतिनिधि चुन कर भेजे जाते हैं । जब किसान की भूमि की कोई प्राइस तय होने को होती है तब तो सारी किसानों की वकालत दूर हो जाती है और उसको उसके हक से महरूम कर दिया जाता है । आप दावा तो करते हैं कि हम गरीबों का हक उनको देंगे, गरीबी को हटा देंगे । आज घोषणा पत्र में भी यही आया है कि हम गरीबी को हटा देंगे लेकिन क्या यही गरीबी को हटाने की बातें हैं जो हो रही हैं ।

मुझको एक किस्सा याद आ गया । जब मैं विद्यार्थी था और पढ़ता था । उस समय जब मैं कभी रेल में यात्रा करने जाता था तो अक्सर भीड़ काफी हुआ करती थी । जिस डिब्बे के सामने मैं जाता लोग कह देते कि भाई यहां पर कोई जगह नहीं है आगे जाओ । भीतर वाले अन्दर घुसने ही नहीं देते थे । किसी प्रकार से अगर मैं कोई स्थान पा लेता तो मेरी भी वही प्रवृत्ति हो जाती थी और अगर कोई यात्री उस डिब्बे में आना चाहता तो मैं भी उससे कहने लगता कि भाई आगे इंजन के पास वाले डिब्बे में जाओ वहां पर काफी खाली जगह है । यही स्थिति आपकी भी हो गई है । कल माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा था कि हर एक चीज महंगी हो गई लेकिन दल बदलू की कीमत सस्ती हो गई है । जिस किसी को देखो वह दल बदल रहा है । यह तो किसी चीज की यूटीलिटी नहीं बल्कि डिसयूटिलिटी हो गई है । आपतो ला आफ डिमनिशिंग यूटीलिटी की तरह से काम कर रहे हैं । पहली रोटी की कीमत सबसे ज्यादा, फिर उससे कम और होते-होते अन्त में कुछ भी नहीं । यही हालत आपकी चल रही है । यह गवर्नमेंट इसी पर काम कर रही है ।

तुलसी दास जी का एक दोहा है :--

उपजहिं एक संग जग माहीं ।
जलज जोंक जिमि गुण बिल गांहीं ।।

हम और आप दोनों ही एक ही प्रकार से उत्पन्न हुये हैं परन्तु आप जोंक की तरह से कार्य कर रहे हैं । आपने जोंक का स्वभाव स्वीकार कर लिया और हम लोग जलज के समान बठे हैं । आपको जलज के समान अपना स्वभाव बनाना चाहिये । एक चीज को दूर करने के लिय सारे फंडामेंटल राइट्स को इनइफेक्टिव करने की क्या जरूरत थी । दौलताबाद से दिल्ली और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी । आप तो केवल यही कह देते कि इसी को हमें इनएफेक्टिव बनाये दे रहे हैं और बाकी सब धारायें बनी हुयी हैं ।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

अभी एमर्जेंसी बनी हुई है । आप उसमें भी 28 वां संशोधन पेश करने जा रहे थे कि इंडिया के एक पार्ट में एमर्जेंसी हो । नशन को कौन बिगाड़ रहा है ? पाकिस्तान की लड़ाई हुई, सारा नशन एक साथ था । यही चाहिये भी कि सारा नेशन एक साथ चले, एक साथ सुख, दुख, दर्द का अनुभव करे । लेकिन आप यह चाहते हैं कि सारा राष्ट्र एक साथ न खड़ा हो, जहां लड़ाई हो वहीं प्रांत खड़ा हो । पंजाब के बार्डर पर लड़ाई हो तो पंजाब में एमर्जेंसी करना चाहते हैं अमेंड कर के और उत्तर प्रदेश को अपने उन भाइयों से अलग करना चाहते हैं । यह इनकी बुरी मंशा है । बंगाल में ठीक नहीं पड़ेगा तो कहेंगे कि वहां दस साल तक एमर्जेंसी रहेगी ।

इस प्रकार की बातें करके आप नेशनलिज्म की भावना स्वयं खत्म करने जा रहे हैं । और शर्मा जी, आप हमको उपदेश देते हैं लेकिन आपका उपदेश डी० एम० के० के नेता करुणा-निधि पर क्यों नहीं लगता । उनके आगे जा कर ये भीगी बिल्ली हो जाते हैं जब वह कहते हैं सेपरेट स्टैंडर्ड, स्टेट आटोनामी । जब ये चीजें पाकिस्तान में धीरे-धीरे डिनाई हो गयीं तो मुजीबुर्रहमान का जन्म हुआ । अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बनी रहती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज पाकिस्तान का ब्राइफरकेशन नहीं हो सकता था क्योंकि मुजीबुर्रहमान के गुरु एच० एस० सुहरावर्दी प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे । लेकिन जब वहां की सरकार ने सारा सिस्टम डिनाई कर दिया और कांस्टीट्यूशन को भी स्क्रैप कर दिया श्री इस्कंदर मिर्जा ने तो अयूब साहब एक शाम को चढ़ बैठे कि जिस कांस्टीट्यूशन के मातहत आप बैठे थे जब वह नहीं रहा तो मुझको आने दीजिये, मैं मिलिटरी डिक्टेटर हूं । इसलिये जो बैटरन कांग्रेस वाले उधर मौजूद हैं उनको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं बड़ी श्रद्धा के साथ और हाथ जोड़ कर कि इस तरफ तो बच भी गये हैं लेकिन उस तरफ जो चार बिरादरी वाले बैठे हैं गोखले, चन्द्रजीत यादव, नन्दनी सतपथी और मोहन कुमार मंगलम– दि कम्युनिस्ट फैलो ट्रैवलर्स–ये छोड़ेंगे नहीं । सुखाड़िया साहब चले गये । सुखाड़िया प्लान नाम ही पड़ गया । शुक्ला, चीफ मिनिस्टर को टिकट ही नहीं तय है । ब्रह्मानन्द रेड्डी काट दिये गये ।

एक दिन मैं दिल्ली से आ रहा था । हमारी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी । उसी तारीख को प्राइम मिनिस्टर भी आने वाली थीं तो एक बड़ा भारी एम० पी० ज० का काफिला था । एक दल कहता था कि आप असेम्बली को तोड़ने क्यों नहीं देते, चुनाव हो जाने दीजिये । मैंने कहा कि बहुमत की सरकार आपकी है । यह भी चार्ज हो गया कि आपोजीशन चुनाव नहीं चाहता । हमारे ही नाम पर आप अपना चुनाव बचाना चाहते हैं । लेकिन करीब-करीब सभी नेताओं ने कह दिया कि चाहे जब चुनाव हो । बहुत से तरीके हैं इस शासन को बदलने के ।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए ।)

डेमोक्रेटिक तरीके से आप नहीं करेंगे तो भुट्टो तरीके से बदल दिये जायेंगे । मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बड़ी ताकत रखे हुए हों । बड़े-बड़े जनरल्स बदल दिये गये। इतिहास के विद्यार्थी नोट कर लें कि सिविल सत्ता को हटाकर तो मिलिटरी ने पावर अपने हाथ में ली है––कुछ देशों में यह बात जरूर हुई है कि मिलिटरी ने फिर जनता के चुने हुये लोगों को ताकत सौंप दी––लेकिन यह एक अकेली मिसाल है कि मिलिटरी के जनरल ने, चीफ मार्शल ला ऐडमिनिस्ट्रेटर ने, किसी सिविलियन आदमी को चीफ मार्शल ला ऐडमिनिस्ट्रेटर और अपने पद का भार सिपुर्द कर दिया हो । पाकिस्तान में भुट्टो को जो हुआ । आप कह सकते हैं कि उसकी मेजारिटी थी । वह मेजारिटी के नाते नहीं हुआ । डेमोक्रेटिक तरीके से वह पावर नहीं दी गयी है । तो आप उस से भी अधिक कितना करत जायेंगे ? अमेन्डमेन्ट पर अमेन्डमेन्ट । महाराज तिलक भी बुर्जुआ हो गय ? गांधी

जी जिन को अपना गुरू मानते थे । जिन्होंने कहा था कि स्वाराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे । गांधी जी ने भी जज के सामने कहा था कि तुम्हारे कानून के अन्दर जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो वह दे दो । छः वर्ष का मांडले जेल का उदाहरण लेकर दे दिया । श्रीमन्, आज ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि वह बुर्जुआ थे । जवाहरलाल जी, पटेल साहब ने कुछ कह दिया होगा । आज उन से भी बड़े नेता हो गये । श्रीमन्, आज यह लाइट इटसेल्फ नहीं है, बल्कि लाइटेड है कहीं से । यह कहते हैं कि वे लोग दबे हुये थे, नाऊ हियर इज ए लेडी, हियर इज ए नेता, जो इस कार्यक्रम को करेगा ।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि फन्डामेन्टल राइट्स में आप जहां काटना चाहते हैं तो प्रापर्टी के राइट को निकालिये, हम सौ फीसदी सपोर्ट करते हैं, हालांकि आपकी तरफ के आदमी ही हिचकेंगे । श्रीमन्, सीलिंग की जब बात आयी तो लोग मुझसे कहने लगे कि आप ने ठीक कहा कि अरबन और रूरल एक साथ आनी चाहिये । रूरल सीलिंग एक बार तो यहां हो गयी । दूसरी बार फिर हो रही है । किसान के 95 प्रतिशत प्रतिनिधि यहां बैठते हैं लेकिन थैंक्स टु सोशलिज्म ऐन्ड यंग टर्किज्म, यहां आकार भाई राजमंगल पांडेय जी भी भूल जाते हैं । अरबन का तो दिल्ली को दें और किसान का गला काटने का कार्यक्रम उत्तरप्र देश में ही कर लिया जाय ।

मैं कहता हूं कि जो भी सीलिंग आप करना चाहते हैं, हम सब सहमत हैं, लेकिन आप कृपा कर दुनिया को बेवकूफ मत बनाइये । आप क्यों चाहते हैं कि अरबन सीलिंग को वहां होना चाहिये । वहां माडल ला होना चाहिये तो रूरल का भी एक माडल ला बना दें । वह क्यों नहीं कर सकते ? क्योंकि उसका महाराष्ट्र, आन्ध्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तीव्र विरोध होगा । महाराष्ट्र में कोई मिनिस्टर नहीं है, एक-दो को छोड़कर, जिसके पास हजार-हजार एकड़ का फार्म न हो । उत्तर प्रदेश में एक-दो भले ही ऐसे हों, हमारे यहां ऐसे लोग नहीं हैं । लेकिन आप लैन्ड सीलिंग तो अलग -अलग करें, महाराष्ट्र में 80 एकड़ रखें और उत्तर प्रदेश में उसका चौथाई रखें--मैं तो आप से और एक एकड़ कम करने को तैयार हूं । जो आप चाहते होंगे उससे 1 एकड़ कम का मेरा प्रस्ताव रहेगा । मैं तो कह दूंगा कि उसके आगे भी एक-आध कदम और बढ़ा दीजिए । मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, मगर आप कहने में कुछ और हैं और प्रैक्टिस में कुछ और हैं ।

मैं आपको श्री कृष्णामेनन का, जो बड़े रैडिकल थे और यूनाइटेड नेशन्स में सब से बड़े वक्ता थे, अप्रिहेन्शन बताता हूं । यह लोक सभा डिबेट आन कांस्टीट्यूशन (25 अमेन्डमेन्ट) बिल, 1971 के पृष्ठ 94 पर है :—

Recently we had the instance of the Ruling Party entering the promises which were in the possession of somebody else. Two days after wards somebody came to see me. He was occupying a house as a statutory tenant. The landlord and his family went into his room, performing whatever they perform by way of protest, and he said that if Mrs. Gandhi could go to Jantar Mantar, why can't I go here.I am not exaggerating. These are different questions, and these people have no right. They are statutory tenants, they can live there.

श्री अधिष्ठाता—

इसका हिन्दी अनुवाद कर दें ।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

एक जगह थी जो किसी के कब्जे में थी । श्री कृष्णामेनन साहब ने कहा कि दो दिन बाद उन के पास कोई आदमी आय और उन्होंने कहा कि मकान किसके कब्जे में है । एक दूसरे आदमी न जा कर उस पर दखल कर लिया । जब प्रोटेस्ट किया गया तो उस आदमी ने,

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

जिसने कि अनधिकृत कब्जा किया था, कहा कि साहब मेरे लिए क्या बात करते हो--- जब मिसेज गांधी, एक पार्टी के लीडर और देश की प्रधान मन्त्री अनअथराइज्ड तरीके से जनतर मन्तर रोड पर असली कांग्रेस के भवन पर कब्जा कर सकती हैं तो फिर मेरे जाने में क्या अड़चन है ।

आज आप कम्पेन्सेशन की बात करते हैं । मैं शर्मा जी को याद दिलाऊं । वे तो खाली फर्ज अदायगी कर रहे हैं । इसलिए मैं उन से गुस्सा भी नहीं कर रहा हूं । इनका व्यवहार देख लीजिये, मैंने लैण्ड सीलिंग और अर्बन सीलिंग का उदाहरण दिया । उन्होंने जजेज को रिफाइन्ड तरीके से गाली देना शुरू कर दिया ! जब मैं यहां पर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ प्रश्न पूछूंगा तो कानून के अन्तर्गत जरूरी है कि वे उसको सजा दें जिसने कि गलती की है अदरवाइज उनकी ओर से इस हाउस में डिफेंड करें । यहां पर क्या है? मोहन कुमार मंगलम और सिद्धार्थ शंकर राय---फर्स्ट डिफेक्टर आफ इन्डिया । उन्होंने विधान बाबू के जमाने में 3 बार डिफेक्ट किया । वे तीन बार मिनिस्टर बने थे परन्तु डिफेक्ट कर गये । वे इन्डिया के फर्स्ट डिफेक्टर हैं और उन्होंने 4 बार कांग्रेस पार्टी से डिफेक्ट किया था । हो सकता है जस्टिस सुब्बा राव साहब ने गलती की हो । अगर उन्होंने गलती की थी तो उनको कह देते । क्या सारे जजों ने गलती की थी ? ये जजेज कहां से आये हैं ? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्टस के जज, डिस्ट्रिक्ट जज, स्माल काज कोर्ट के जज और सिविल जज---सब इसी सोसाइटी के अंग हैं और अगर मैं जोड़ने लगूं तो कितने ही इन्डिकेट के लोगों के रिश्तेदार होंगे । वे इसी फैमिली के अंग हैं और इसी सोसाइटी की प्रोडक्ट हैं ।

फन्डामेन्टल राइट्स के बारे में भी मैं इनका पर्दाफाश कर दूं । बड़ा जिहाद छेड़ा जा रहा है । ये पंचायतों को आर्गनाइज करेंगे । मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कहां-कहां इन्होंने उन की हत्या की है । इस इन्डिकेट की मेजारिटी पार्टी द्वारा जिला परिषदों को काट करके उनकी हत्या कर दी गयी है । डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो यह है नहीं । डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है डिमोक्रेसी क्रमिक विकास में धीरे-धीरे नीचे को जायेगी ।

माननीय, एक परिभाषा और है इसकी कि डेमोक्रेसी इज दि रूल आफ ला, यानी प्रजातंत्र कानून का राज्य है और इस में सत्ता नीचे से प्राप्त की जाती है । जो 518 सदस्य संसद के मेम्बर हैं वे सारे भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं । तो उन को पावर कहां से मिली ? कहते हैं कि पार्लियामेंट को सुप्रीम रहना चाहिये, मगर माननीय, आप जानते हैं सावरेन्टी पीपुल में है, सुप्रीमेसी संसद में है । आप सावरेन्टी को भी क्लेम कर सकते हैं, मगर वह थ्रू दि पीपुल आफ इन्डिया । क्या उसका मतलब यह है कि आप जुडिशियरी को हटा दें ? आज आप गरीबी हटाओ का नारा लगा कर संशोधन पर संशोधन करते चले जा रहे हैं । इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या गरीबी हटेगी ? शायद 27 संशोधन हो चुके हैं, 28वां रुक गया है, यह क्या है ? जरा सोचिये तो इस पर ?

अब मैं एकोनामिक प्वाइन्ट पर आता हूं । दिल्ली का 5,200 करोड़ का बजट है । आप का 600 करोड़ का है । देश की बेकारी दूर करने के लिए आपने एक त्वरित योजना चालू की है जिसके लिए आपने जिसके लिए केवल 50 करोड़ रुपया रखा है । इस से क्या गरीबी मिट पायेगी, बेकारी दूर होगी ? आज 30-35 लाख आदमी यू० पी० में बेकार हैं, पूरे भारत वर्ष में शायद 3 करोड़ के हैं । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस त्वरित योजना में, उत्तर प्रदेश में, बिलकुल नंगापन है, कुछ दम नहीं है । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, मन्त्री जी चाहें तो डिस्कशन भी 2 घंटे का करा दें । इसमें है क्या चीज ? जो कार्य आपने अपने बजट के अन्दर रखे हैं, जैसे नहरों की सफाई है, सड़कों की मरम्मत है, नयी सड़कें बनवाना है, आदि वही सब आपने इस त्वरित योजना में रख दिया । यह सब केवल प्रचार

के लिए ही किया जा रहा है । आज कहीं कमिश्नर साहब गये किसी चीज का उद्घाटन कर आये, कहीं डिप्टी कमिश्नर चले गये, क्योंकि आजकल वे ही लोग जा रहे हैं, आप लोग भी जाते हैं । श्रीमन्, जिले में 8–8 मन्त्री पहुंच रहे हैं उद्घाटन समारोह और शिलान्यास आदि करने के लिए और कभी-कभी ये बिना बुलाये पहुंच जाते हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

हमारे पान्डेय जी बहुत गुस्सा में बोल रहे हैं और काफी देर से बोल रहे हैं । उनका गुस्सा शायद इसलिए है कि उनका भाव शायद कुछ कम हो गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

गुस्सा मुझको नहीं आयेगा तो किसको आयेगा, जिसको हर भद्दे तरीके से काटने की बात हो रही है । मेरा गुस्सा तो सामने आ रहा है और आपका गुस्सा उसी लाबी में रहता है । सिर्फ हमारे और आपके गुस्से में यही अन्तर है । तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं त्वरित योजना बिलकुल पाखंड है, ढोंग है, असत्य है, वह योजना आपकी बिलकुल झूठी है, यह भारतीय जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है । डिपार्टमेंटल योजना को त्वरित योजना का नाम देकर आप जो काम जनता को बहलाने के लिए कर रहे हैं, वह बिलकुल धोखा है । त्वरित योजना में यदि 50 करोड़ रुपया खर्च भी हो जाए तो 3 करोड़ बेकारों के बीच में 50 यह खर्च किस हिसाब से आकर बैठेगा, इसे भी आप जरा सोच लें । यह तो कुछ हुआ नहीं । उस सीट पर मैं भी बैठकर जो कुछ कह दूंगा वह बात मान्य हो जाएगी, लेकिन फिजूलखर्ची और वाहियात बातें आज सिर्फ हो रही हैं । सेनाओं ने यदि जीत प्राप्त कर ली तो माला छीनकर इन्दिरा जी को पहनाई जा रही है । यह भी खूब रही ।

मान्यवर, यह संविधान का संशोधन करने जा रहे हैं, गरीबों की रीढ़ तो टूटती जा रही है । गरीबी क्या गरीब ही हटते जा रहे हैं । प्राइस इन्डेक्स बढ़ता जा रहा है । इसी को लेकर कल कर्मचारियों के बारे में बहस हो रही थी । नारायणदत्त तिवारी जब पिछली बार इस तरफ थे, तो नियम 51, 52 में सूचनायें रोज ही पेश किये रहते थे, किन्तु कल कर्मचारियों के बारे में कह रहे थे वह तो अजीब ही बात थी । उस सम्बन्ध में एक बिल्कुल किसी का उचित सुझाव था कि आप एक रेगुलर लाइन बना दीजिए, किसी जज को नियुक्त कर दीजिये जो घटती-बढ़ती मूल्य सूचकांक के आधार पर लिंकिंग वे पर करता चला जाये । इनका कार्यक्रम श्रीमन्, देखिये बिड़ला जी की सम्पत्ति पहले 482 करोड़ रुपये थी और अब वह 800 करोड़ के करीब हो गयी है । आप इस हाउस में बता दीजिये कि अगर किसी गरीब की बढ़ गयी हो । उनका धन ज्योमेट्रिकल फार्म में बढ़ रहा है और हमारा धन अर्थमेटिकल फार्म में भी नहीं बढ़ रहा है । किसी चपरासी, मजदूर का बढ़ा हो तो आप बताइये ।

कहते हैं कि लड़ाई के कारण प्राइसेज बढ़ गयीं । लड़ाई के कारण प्राइसेज बढ़ जाने का कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप का कोई सामान बाहर से न आता हो, जो लड़ाई के कारण रुक गया हो । हम भी इकानामिक्स के स्टूडेंट हैं । पांडेय जी, मैं फिर कहना चाहता हूं, कि दर्द और गुस्सा नहीं आयेगा तो आखिर चुन कर भेजे काहे के लिए हम गये हैं ? मैं कहता हूं कि आप उन के साथ न्याय कीजिये, आप उनकी दर्द की कहानियों को सुनिये । इस संशोधन में गरीबों को दो-चार रुपया मिलेगा ? उन को कभी नहीं मिलेगा । (व्यवधान) मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं । फन्डामेन्टल राइट्स खत्म कर रहे हैं । उसकी भी मैं वकालत कर रहा हूं । फन्डामेन्टल राइट्स की, डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स की । फन्डामेन्टल राइट्स को मत खत्म कीजिये । डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में हर बालक को काम, हर बूढ़े को पेंशन, हर बेघर को मकान आप प्रदान कर दीजिये । सीलिंग के अन्तर्गत जो भी करना हो करें, सीलिंग के अमेन्डमेन्ट के अन्तर्गत जमींनों पर जो उचित मुआविजा हो वह देने की कृपा करें, इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आप इन भावनाओं से प्रभावित होंगे और अपने दोस्तों को भी सन्देश भेज देंगे, कम से कम जनता के फन्डामेन्टल राइट्स के साथ ज्यादती न करें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, 25वें संशोधन के अनुमोदन के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं। जहां तक समाज को आर्थिक, न्यायिक, राजनैतिक न्याय देने की बात है वहां तक हम सहमत हैं जो कोई भी कदम सरकार उठाये लेकिन विरोध करने का कारण इसलिए हो जाता है कि जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया क्या वह सही है या उससे जो प्राप्त होगा उस से भी अधिक वह घातक बन जाता है।

मान्यवर, विरोध के कारण मेरे कई हैं। पहले तो हमारे मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात है। जो प्रजातांत्रिक ढांचा हमारी सरकार का बना है इस पर कुठाराघात है और जो अनुपूरक है, जो दरअस्ल प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर अनादर, अनास्था और सारे समाज में अनादर पैदा करने की प्रवृत्ति है। सब से पहले मैंने मौलिक अधिकार के बारे में कहा। वह इसलिए कि मौलिक अधिकार जैसे सारे शरीर का सब कुछ प्राण है वैसे मौलिक अधिकार समाज का है, ऐसे समाज का जो प्रजातंत्र में विश्वास रखता है। मौलिक अधिकार 1775 में अमेरिकन इन्डिपेंडेंस के बाद उनके संविधान में प्रतिस्थापित हुये। इसकी इतनी महानता थी कि इसके बाद आयरलैन्ड के संविधान में प्रतिस्थापित हुये। 1921 में जब भारतवर्ष म स्वतन्त्रता की लड़ाई चल रही थी और हमारे महात्मा गांधी जी ने अपने तरीके से लड़ाई चलायी तो उस वक्त घोषणा हुई कि मौलिक अधिकारों की मांग की जाय। मोतीलाल नेहरू कमीशन बना। उसमें भी इसकी चर्चा हुई। लेकिन यह क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करें। जब हमारा संविधान था तो हमारे आदि निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकारों का समावेश किया और मौलिक इसलिए कहा कि सरकारें बदलेंगी। लेकिन मौलिक अधिकार नहीं बदलेंगे। इसलिए जबरदस्त राय है कि इस को बदलने का अधिकार केवल संविधान सभा को ही हो सकता है।

अब इस हमारे मौलिक अधिकार पर क्या आघात है इस पर विचार करना है। कह देते हैं कि आर्थिक असमानता दूर करना है, जीवन स्तर ऊंचा उठायेंगे, सामाजिक न्याय देने की दृष्टि से हम यह सब कर रहे हैं। हम इन सब अभिप्रायों से सहमत हैं लेकिन जिस तरह से आप यह सब कर रहे हैं उसको देख कर मन में शंका उत्पन्न होती है। शंका क्यों होती है? एक देहाती मसल है 'कोई तेली लाही खरीदने गय' लेकिन हर वक्त भेली मांगता था। परखने वाले ने ताड़ लिया तेली है, मांग रहा है भेली और अभिप्राय है इसका खरीदने का सरसों। इसी तरह से सरकार की मंशा प्रतीत होती है जिससे हमको शंका होती है।

मैनिफेस्टों में आपने सब कुछ निकाल दिया लेकिन बनाने वाले कौन हैं? कुमार मंगलम, सिद्धार्थ शंकर रे, चन्द्रजीत यादव ये बनाने वाले हैं उस मैनिफेस्टों को जिन पर कल तक आप सदन में विश्वास नहीं करते थे। जिन्होंने समय-समय पर घोषणा की थी कि हम संविधान के अन्दर से तोड़ेंगे, अलग से हम उसे नहीं तोड़ सकते, आज उन्हीं के हवाले यह संविधान है। इसलिए हमारे मन में आशंका पैदा हो गयी है कि क्या स्थिति होगी? हम आर्थिक उन्नति के बलबूते पर, मनुष्य तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी स्वतंत्रता, प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का बलिदान नहीं करना चाहते।

हमें याद है कि हिटलर ने जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से बहुत ऊंचा उठाया था। लेकिन हुआ क्या? उन सब के व्यक्तिगत अधिकारों को छीन लिया था। डेमोक्रेसी उसके पास नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? आर्थिक दृष्टि से इतने उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद जर्मनी की जो किस्मत हुई वह हमसे आपसे छिपी नहीं है। आज वही डर है कहीं वही स्थिति तो नहीं होने जा रही है? कौन दल है जो यह चाहता है कि आर्थिक असमानता दूर न की जाय, गरीबी दूर न की जाय ऐसा कोई दल नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस 25वें संशोधन के दो प्रमुख अंग हैं। अनुच्छेद 31(1) यह कहता है कि किसी को उसकी सम्पत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जायगा और अगर किया गया तो उसके लिए उसको मुआविजा दिया जायगा। उन्होंने मुआविजे की जगह धनराशि शब्द रख दिया। इस को भी हम मानते हैं कि अगर कीमत बहुत बढ़ जाय और सरकार उसको दे न पाय तो धनराशि का रखना ठीक कहा जा सकता है लेकिन उन्होंने कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर इसे कर दिया इस कारण शंका उत्पन्न होने का यह यथेष्ट कारण है। अगर उनकी नीयत साफ थी और इस संशोधन को लाने का यही मतलब था कि आर्थिक असमानता दूर हो तो आज करोड़ों रुपये की सम्पत्ति रखने वालों के लिए उन्होंने क्या किया, मजदूरों के लिए, झोपड़ी में रखने वालों के लिए क्या किया? मामूली दूकानदारों के लिए क्या किया? कौन सा सेविंग क्लाज उनके लिए रखा? सर्विस वालों के लिए कौन सा सेविंग क्लाज रखा? गरीब लोगों के लिए कौन सा सेविंग क्लाज रखा? क्या कारण है कि बिरला तथा भगेलू एक यार्ड स्टिक से नाप दिया, एक माप दण्ड रख दिया। इन्डिकेट को वोट देने वाला है तो आप उसको 1 लाख मुआवजा देंगे और पुरानी कांग्रेस अथवा जन संघ को वोट देने वाला है तो 5 रुपये देंगे। इस भेदभाव के बारे में आप जरा सोचें (व्यवधान)।

जैसा चौधरी साहब ने कहा था आपके राज्य में करोड़पति तथा गरीब दोनों रहते रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आप ने उन की असामनता को दूर करने के लिए आज तक क्या प्राविधान किया? हमने 3 लाख की सीलिंग रखी और हम ने कहा कि सीलिंग के अन्दर की जो भूमि है उसको पूरा बाजार भाव दो। पांडेय जी ने कहा कि आर्थिक कारणों से एक सीमा रखी है। उसके पीछे एक आर्थिक वजह है जिसको कि मैं यहां पर नहीं कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जमीन की सीलिंग के सम्बन्ध में यदि आपकी नीयत साफ थी तो आप उस गरीब को उतना ही देते...

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं आपसे निवदन करूंगा कि इसका जिक्र संविधान में मौजूद है कि जो जमीन सीलिंग के अन्दर ली जायेगी उसका मुआवजा बाजार भाव से दिया जायगा। इसके लिए प्राविधान पहले 31(ए) में मौजूद है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, जो सीलिंग की बात ये कह रहे हैं वही है कांस्टीट्यूशन जो कि संविधान के प्राविजनों को ओवर राइट करेगा। इसलिए यह लेजिस्लेचर इस सम्बन्ध में बात नहीं कर सकता। किन्तु मैं दूसरी ही बात कर रहा हूं। उन्होंने पहले कहा था कि हम 24वां संशोधन विधेयक जो ला रहे हैं उसका मतलब यह नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें और हमने समझा कि अब इस 24वें संशोधन विधेयक के बाद विराम लग जायेगा किन्तु शीघ्र ही आपके सामने यह 25वां संशोधन विधेयक भी आ गया। मान्यवर हो सकता है कि इसके बाद भी ये लोग न मालूम कितने संविधान के संशोधन विधेयक यहां पर पास करवा लें यह कुछ नहीं कहा जा सकता है मान्यवर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी नीयत खराब है।

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि इसका इनके पास क्या जवाब है। महज इसलिए कि इलेक्शन में मन्त्री के हजारों मोटरें पहुंच जायें और अपने आदमी को जितवा लें। कहां पर है यह कानून और इसका क्या कारण है। तो मान्यवर यह है 31(1) और(2) के बारे में। मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने न्याय पालिका को अनादर दिखाया है और इसे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। मान्यवर यदि मैं भूलता नहीं हूं तो एक स्पीच में कुमार मंगलम ने कहा था कि जजों को राजनीतिक झमेले में नहीं पड़ना चाहिये किन्तु मैं आप से पूंछना चाहता हूं कि सिम्बोल के केस में जो राजनीतिक लड़ाई लड़ी गयी क्या आप उसमें राजनीतिक झमेले में उनके साथ नहीं पड़े। मान्यवर, एक बार नहीं अनेकों

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

बार अनकों केस लड़े गये किन्तु आपने इसके लिए कानून नहीं बनाया---बट यू हैव मेड दि जुडिशियरी कम्मिटेड। सिम्बल के केस में कांग्रस (ओ०) ने सिद्धान्त की लड़ाई लड़ी थी। इलेक्शन में आपने गाय-बछड़े को सिम्बल बनाया आप उस में जीत भी गये किन्तु फिर भी आपने उसे स्वीकार नहीं किया।

मैं कहता हूं कि आपने रूल आफ लाहटा दिया और बाई फोर्स उसे उठाकर फेंक दिया। यह सब किस के बल पर। क्या कारण है कि तब से अब तक एक भी क्रिमिनल का केस हमारे सामने नहीं आया। मान्यवर मैं मानता हूं कि यह विषय इस समय अप्रसांगिक है किन्तु मैं आप को एक मिसाल दे रहा हूं। मान्यवर अरब और अफ्रीकी देशों की हिस्ट्री आप उठाकर देख लीजिये। इस हिन्दुस्तान में भी आजादी हुये 20 वर्ष हो गए हैं यहां पर भी किसी न किसी रूप में डिमोक्रेसी चल रही है और उस में हमारी न्याय पालिका चल रही है यह उसकी अच्छाई है। न्यायपालिका में वेस्टेड इन्टरेस्ट कहना एक दोषपूर्ण और डिक्टेटरशिप का परिचायक है। अगर न्यायपालिका आप के रास्ते में बाधक होता है तो आन्ध्र में और बिहार में जमींदारी अबोलीशन के केस में हाई कोर्ट ने क्यों आपका फेवर किया।

मान्यवर, अब मैं डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल के सम्बन्ध में आता हूं। मैं कहता हूं कि आपने डिस्क्रिमिनेटरी रवैया क्यों अख्तियार किया है। आप इसे अपने पक्ष के हित के लिए करना चाहते हैं। मैंने तो इस 31(1) और (2) का अर्थ इस प्रकार लगाया। और निश्चित रूप से जो मैंने तेली का उदाहरण दिया वहीं करेंगे ये। मैं कह रहा था कि अगर इनका मतलब यही था कि हम कैसे सम्पत्ति लेकर के असमानता दूर करें। आपने आजतक इतने बड़े वेल्थ टैक्स या इन्कम टैक्स, दो बड़े क्रीशिंग टैक्स क्यों नहीं दबाय? आज तक कहां बैठे रहे, आज एक दम ले लेना चाहते हैं। आप ले लें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं तरीके का विरोध करता हूं। मैं मौलिक अधिकार के लिए डर रहा हूं डिमोक्रेसी के लिए रूल आफला के लिए डर रहा हूं---ये सब खतरे में पड़ेगा। बार-बार मैं उसी देहाती नजीर को दोहराऊंगा। आज जितने बड़े-बड़े विधि विशेषज्ञ हैं जिनका सरकार से कोई वास्ता नहीं है वह इसके पक्ष में अपनी राय क्यों नहीं प्रकट करते हैं? उन्होंने वही भय प्रकट किये हैं जो मैं कर रहा हूं और ये भी कहा है कि ये किधर जा रहे हैं?

दूसरा अंश जो इस संशोधन का है---आप कहते हैं कि बड़ी आसानी से कह कर पार हो जाते हैं कि हमारे जो निर्देशक सिद्धान्त हैं जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स कहते हैं, जो कि आपने संविधान के भाग 4 में लिख दिये हैं उसकी पूर्ति के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स को झुका दिया जो कि 19--14 और 13 इत्यादि में वर्णित हैं। तो इस से क्या बड़ा प्रमाण मिल सकता है कि हमारे मौलिक सिद्धांतों पर कुठाराघात किया जा रहा है? अभी हमारे चौधरी साहब ने उसका समर्थन किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स में एक सिद्धान्त की बात आती है। सारे समाज के सामने खड़े होकर उन लोगों को उसकी पूर्ति कराना अत्यन्त आवश्यक था लेकिन कहते हैं कि समाज में समानता आर्थिक न्याय लाने के लिए जिन कदमों का उठाया जाना आवश्यक था वह उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जज हमारे रास्ते में खड़े हो जाते थे। यानी इनका विश्वास नहीं है जजों में। जिसकी नेकनीयत होगी वह हमेशा विश्वास करेगा।

अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि हर राज्य में लागू होना चाहिए कि 10 वर्ष के अन्दर मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा कर दी जायगी। आपके रास्ते में कौन खड़ा था? 1950 से आज तक राज्य कर रहे हैं। अगर आप सैंक्टिटी डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को मानते ह तो उस पर अमल करते। अगर आप की नीयत साफ होती और वास्तव मे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते तो 10 के बजाय 25 वष हो गय तो क्यों नहीं अब तक किया?

कौन बांधक था ? इलाहाबाद से आ रहा था? गांधी जी का चित्र जगह-जगह लगा रहता है। वहां लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी का कथन है कि शराब पीना वैश्यावृत्ति से भी खराब है। आज आपके यहां डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स हैं मद्य निषध का। उसमें यह है कि ऐसे उपाय करेंगे जिससे राज्य में मद्य-निषेध हो, लेकिन इसके लिए कौन बीच में खड़ा हुआ है, क्यों नहीं बन्द किया ? कहा था कि 10 वर्ष में एजूकेशन फ्री कर देंगे, क्यों नहीं किया ? एक दूसरा है, जिसमें लिखा हुआ है कि कार्य प्राप्त कराया जायगा जो कार्य करना चाहता है और शिक्षा देंगे, काम देंगे और जो विकलांग हैं उनको पेंशन देंगे। लेकिन कितनों के लिए आपने किया ? कानून बना दिया लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा ?

समाज में कल्याण करने का कौन-सा ठोस कार्य आपने किया। एक चीज जरूर की। फैमिली प्लानिंग जो एक मखौल बन कर रह गयी। इसमें करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। हम कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स को पूरा करने में समाज खड़ा नहीं हुआ। आपने उन को पूरा क्यों नहीं किया ? इक्कीसवां संशोधन करके इन्होंने सोच लिया इस से सबका कल्याण हो जायेगा। लानत है सरकार की इस नीयत पर जिसने 20-22 सालों में भी इसको पूरा नहीं किया।

मैं यह कह रहा हूं कि आज यह स्थिति है कि उन्होंने आज तक इसको पूरा नहीं किया। लेकिन आज ये दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 31 में 31(सी) जोड़ दिया जाय। यह अकेला ही हमारे मौलिक अधिकारों का बंटाधार कर देता है। मौलिक अधिकारों की महानता के बारे में मैंने प्रारम्भ में ही निवेदन किया है। अब उनके 31(सी) को देखिये। पहले यह था कि फन्डामेन्टल राइट्स का जो प्राविजन है वह जस्टीसियेबिल है, अदालत में जा सकते हैं अगर किसी ने हमारे फन्डामेन्टल राइट्स पर आघात किया और हमें रिलीफ मिल सकता है। हमारे फन्डामेन्टल राइट्स ऊंचे रहेंगे। हमारा समाज नहीं रह सकता है अगर फन्डामेन्टल राइट्स हमारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें आपने क्या किया कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुये भी कोई विधि जो अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली हो, इस आधार पर शून्य न समझी जायेगी कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 अथवा अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत अथवा उसे छीनती है या न्यून करती है और किसी विधि पर जिसमें यह घोषणा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती। अगर वह नेकनीयत होते तो यह रखते कि जिस पब्लिक परपज के लिए आवश्यक हो। लेकिन इसको दूसरे कामों में वह इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए कोई क्वैश्चन नहीं कर सकता है, अदालत में भी नहीं जा सकते हैं। वह स्वयं अगर यह लिख दें कि भारतीय जन संघ बैन कर दिया जाय तो बैन कर देंगे। हम सवाल नहीं कर सकते हैं। अगर इनकी नेक नीयत होती तो कहते कि सरकार कोई घोषणा कर दे कि यह किसी अनुच्छेद की पूर्ति के लिए आवश्यक है तो वह यह रखते कि इसको अदालत देखे लेकिन इसकी गुंजाइश इन्होंने नहीं रखी है। पहले जो बादशाह घोषणा कर देते थे वही कानून बन जाता था। इसी तरह से यह सरकार घोषणा कर देगी वह कानून बन जायेगा। चाहे वह किसी चीज पर आग लगा दे। लेकिन यह कहेंगे कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स को पूरा करेंगे। 22 साल के अर्से में एक भी पूरा नहीं किया है।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने 13, 14 और 19 अनुच्छेदों को इसका सबार्डिनेट किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स को पूरा करने में जो सप्लीमेंटरी रोल प्ले करते हैं उनको अनुच्छेद 39-के सबार्डिनेट कर दिया। यह उनका कमाल है और हमारी सरकार का कमाल है। जो हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करते थे उसमें यह कर दिया कि उसको अनुच्छद 39 के सबार्डिनट कर दिया। इन्होंन वही किया जो एक डिक्टटर के लिये

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

निहायत जरूरी होता है। इसने हमारे प्राइम मिनिस्टर की मनोवृत्ति की और हमारी आंखें खोल दी हैं। उस मनोवृत्ति वाला व्यक्ति इसके अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। क्या किया है, जरा सुन लीजिये।

अनुच्छेद 13 में यह दिया हुआ है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से टक्कर खाते हों, वे नजायज हैं। इसको इन्होंने कर दिया कि वह नाजायज नहीं होगा बड़ा कमाल किया आपने।

मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देने के बाद तो अगर वे चाहें तो कोई पार्टी जिन्दा ही नहीं रह सकती। हमारे जैसे के लिये जिसमें भाषा भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद, अनेक प्रकार के भेद वर्तमान हैं, उसमें आर्टिकिल 14 को उसी प्रकार से रहना चाहिये था जिस प्रकार से वह अपने मूल रूप में था लेकिन उसको भी उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। 13 को भी इन्होंने समाप्त कर दिया जहां कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स का संघर्ष होता है तो उसका कोई असर नहीं होगा।

आर्टिकिल 14 में इस प्रकार से दिया हुआ है :—

The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

जिसको हम अपनी भाषा में धर्मराज कहते हैं यानी भंगेलू और राजा महाराजा कोई भी हो, सब कानून की निगाह में एक समान ही होंगे। लेकिन इसके बारे में भी जो किया गया उसके बारे में कुछ कहने में कानून के पंडित लज्जा महसूस करेंगे। हमारे पवित्र कांस्टीट्यूशन के निर्माताओं ने, जो बड़े-बड़े दिमाग वाले थे, दुनिया के कांस्टीट्यूशन्स को पढ़ कर, आगे आने वाली सरकारों के लिये, मौलिक अधिकारों की बात कही थी। लेकिन इस सरकार ने उस पर भी कुठाराघात कर दिया।

आर्टिकिल 19 में भी अब तक कोई असमानता नहीं थी, उसको भी आपने गड़बड़ कर दिया। 19वें क्लाज को भी आपने बेकार कर दिया था यह कहा जाय कि उसको नपुंसक कर दिया। इसमें लिखा है :—

19. (1) All citizens shall have the right—
(*a*) to freedom of speech and expression;
(*b*) to assemble peaceably and without arms;
(*c*) to form associations or unions ;
(*d*) to move freely throughout the territory of India;
(*e*) to reside and settle in any part of the territory of India;
(*f*) to acquire, hold and dispose of property;
(*J*) to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business.

इन सब को आपने गायब कर दिया। जीवन का यही महत्व था, यही नहीं रहेगा। अब तो आप मिसाल के तौर पर यह भी कह सकते हैं कि जनसंघ का ऐसा कहना है, इसलिये अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और यह सब आप डिफ्यूजन आफ ओनरशिप के नाम पर कर रहे हैं। वरना अगर ऐसी बात न होती, इसका ताल्लुक केवल प्रापर्टी से होता। तो केवल (एफ) क्लाज को ही आप लेते, और किसी को न छेड़ते। आपसे ला कमीशन ने कहा था कि मौलिक सिद्धान्तों पर आघात न करो और अगर आप प्रापर्टी की बात ही करना चाहते हैं तो (एफ) क्लाज पर विचार कर लें। बड़े-बड़े विचारकों की यही राय थी लेकिन आपको तो हर चीज पर प्रतिबन्ध लगाना था। यह सब इसलिये किया गया कि इसके द्वारा जो करना चाहेंगे कर लेंगे।

संघ के बारे में प्रतिबन्ध दे दिया, क्यों सारी चीजें खत्म कर दीं ? इसका उत्तर यही है कि उनकी डिक्टेटर की मनोवृत्ति है और आदत तेली की है कि मांगें भेली और खरीदे सरसों। हमें उनकी नेकनियती पर, उन पर विश्वास नहीं रह गया है। उन्होंने हमारे मौलिक जो अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया है। इन कारणों से जो मैंने बताये मैं इस संशोधन से सहमत नहीं हूं, मैं इसके प्राविजन्स से भी सहमत नहीं हूं और इसके उद्देश्य से सहमत होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुझे आज कहने का मौका मिला है तो मैं कह सकता हूं कि जिधर प्रधान मन्त्री को उनके लोग लिये जा रहे हैं उधर ही वह चली जा रही हैं। जब आपने सारे ही अधिकारों को ले लिया है तो सरकार का आगे डिक्टेटोरियल रोल तो रहेगा ही। मैं इसलिये विरोध कर रहा हूं कि आगे हम कह सकेंगे कि हमसे पूछा गया था तो हमने इसका विरोध किया था।

मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं कि अखबार ऐसा एक सोर्स है जो चाहे तो डेमोक्रेसी को समाप्त कर दे, वह बहुत बड़ा सोर्स है किसी को उठाने या गिराने का, वह चाहें तो किसी को उठा दें या नष्ट कर दें, प्रचार का, पब्लिक की एजूकेशन का, जनता को सही स्थिति का ज्ञान कराने का और स्वतन्त्र विचार समाज के सामने रखकर उनको सही कार्यों के लिए प्रेरित करने के वह साधन हैं लेकिन आज हालत क्या है कि अखबारों को इस तरह से काबू में किया गया है कि सारी पार्टियां आज सफर कर रही हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि चूहा हाथी ले गया तो देहात के गरीब लोग समझने लगते हैं कि जरूर चूहा हाथी ले गया होगा, इन्दिरा जी का रेडियो ऐसा कह रहा है तो ठीक ही होगा। इन्होंने अखबारों की तरफदारी की जो चीज की है, जो उनकी वकालत करते हैं केवल वही अखबार उनकी कृपा के पात्र होते हैं। कुछ अखबारों पर तो उन्होंने पहला हाथ इस तरह से साफ किया कि उनके खिलाफ डिफ्यूजन आफ ओनरशिप का आरोप लगा दिया और इस तरह से उनको उनकी बुनियाद ही खोदकर बेकार कर दिया। इस तरह से वाकस्वतन्त्रता कहां रहेगी ? अल्पसंख्यक कहते थे कि हमारे ऊपर आघात है, उन के हितों और रक्षा के तमाम विषय हैं जिनको हमें सुरक्षित रखना चाहिए था। यह इस बहाने डिक्टेटरशिप के सारे अधिकार ले रहे हैं।

संविधान के लागू होने के वाद इनकी नेकनियती होती तो मैं इन पर शंका न करता। उनकी नेकनीयती की बात मैं क्या कहूं, उनकी नेकनियती राजनैतिक जीवन में कितनी है वह आपने देखी यहां की सरकार चाहे कोई राज्य सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो आपको इनके कार्यों से उनकी नेकनियती का अन्दाजा हो सकता है, आप सब उसको जानते हैं, मैं आप हम सब जानते हैं कि आज दुनिया कराह रही है।

उस दिन पंडित जी ने कह दिया कि अगर विरोधी पक्ष के लोग चाहें तो चुनाव हो जायं। मैं उस दिन चुप रहा क्योंकि मैंने सोचा कि क्या इस बचकानी बात का उत्तर दिया जाय। मालूम हो रहा था कि हमारे कहने पर ही यह चलते हैं, यह सबको मालूम है कि इनको किसकी कितनी चिन्ता है और कितने कार्य वह हमारे हितों की रक्षा के लिये करते हैं। कई मेम्बरों ने कहा कि हमारे कहने की देर थी और कह देते तो एलेक्शन हो जाते। मैं इसका उत्तर जानता हूं लेकिन वह उत्तर बहुत कड़ा हो जायगा, और इसलिये मैं वह उत्तर नहीं दूंगा।

मैं यह कह रहा था कि एक मिसाल नेकनियती की यह है कि हमारे देश में हमारे सिपाहियों न जो संसार में हमारे भाल को ऊंचा किया दुनिया में भारतवर्ष का नाम आया और कौमिटी आफ नेंशन्स में, चाहें जिस क्षेत्र में लीजिए, भारतवर्ष का एक स्थान है लेकिन हमारी और उनकी इन्टीप्रिटेशन में फर्क है। आज अगर यहिया खां जीत गया होता तो वह शेरे पाकिस्तान होता, क्यों नहीं जीता क्योंकि उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं रह गये थे, उसके सिपाही बिल्कुल नालायक थे हमारी बहिन ने कहा था कि लड़ाई जीत गये। कौन जीता, सिपाही जीता वे ही जीते, जिनके कारण माताओं की गोद खाली हुई, जिनके

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कारण पिताओं को पुत्रों से हाथ धोना पड़ा। सोचना और समझना चाहिए कि उन्हें विजय प्राप्त करने के लिये अपने पुत्रों की बलि चढ़ानी पड़ी उन्होंने इसलिए नहीं चढ़ाई कि इन्दिरा जी के आदेश थे, भावना कुछ और ही थी। एक मेरे मित्र ने कहा कि माधो बाबू अगर हमारे पास अस्त्र-शस्त्र न भी रहे तो हम उन्हें अपने दांतों से काटेंगे, यह उनकी लड़ाई की भावना थी। यह नहीं थी कि कोई भी प्रधान मन्त्री हो चाहे वे बरकत उल्ला साहब ही हों, वे उसी प्रकार से कहते लेकिन आज हमारी बहिन सोने से तोली जा रही है, मानिकशा रूई से भी नहीं नापे जा रहे हैं।

माननीय जगजीवन राम जी का मैंने नाम ले लिया था तो मेरे दोस्त नाराज हो गये थे। मैं यह रिपीट कर रहा हूं कि जगह-जगह पर सोने से तोला जा रहा है जगह-जगह चांदी से तोला जा रहा है लेकिन जिसने चक्रव्यूह की रचना की थी, वे रूई से भी नहीं तोले जा रहे हैं, न तो एडमिरल नन्दा, न एयर मार्शल पी० सी० लाल और न हमारे मानिक शा जी को नापा जा रहा है। जग जीवन राम जी भी तोले जायेंगे। आप चर्चिल को देखिए। वह एक राष्ट्र है, वह एक नेशन है। एक बार चर्चिल से पूछा गया कि कितने लोग लड़ाई में मरे। उन्होंने कहा कि 420 मरे, 570 घायल हुए और 1082 बेड पर पड़े हुए हैं तो उनके सेक्रेट्री ने कहा कि इस प्रकार झूठ न बोलिए। चर्चिल ने यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने वार जीती। सारे विश्व में देख लीजिए किसी भी जीतने वाले ने यह नहीं कहा कि लड़ाई हमने जीती। सभी ने कहा कि हमारे देश और हमारे सिपाहियों ने जीती, हमारे किसानों ने जीती। हमने इसलिए लड़ाई नहीं जीती कि हमारी बहिन जी, हमारे प्रधान मन्त्री जी ने आदेश दिए, इसके लिए प्रेरणा कुछ और ही थी। उद्देश्य केवल यह था कि भारत मां का भाल ऊंचा रहे।

हम भी चाहते हैं कि भारतवर्ष एक हो। तो आज मैं उनका उदाहरण दे रहा हूं कि कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आज सरकारी सूत्र है तो वह कैसे इसका उपयोग करेंगी, मैं ठीक से कह नहीं सकता हूं। मुझे याद है कि यह जो संविधान को उनके हाथ में दे रहे हैं, उसकी मंशा से सहमत होते हुए भी रास्ता अलग हो रहा है। एक छुरा है अगर वह किसी कसाई के हाथ में चला जाय तो वह गर्दन काट सकता है और वह किसी सिविल सर्जन के पास चला जाय तो वह फोड़ा ठीक कर सकता है। तो जो ये संविधान के अधिकार हैं। ये ऐसे आदमी के अधिकार में जा रहे हैं, मान्यवर, मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अब तक आपकी ओर से कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया जिस पर हम भरोसा कर सकें। इन शब्दों के साथ में अपने विचार समाप्त करता हूं।

*श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, बंशीधर पांडेय जी ने कुछ बातें कहीं। उनके ऊपर तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन एक चीज को उनके जैसे स्ट्रेचर के आदमी को मुनासिब नहीं था कि दलबदलू का भाव गिर गया है। मेरी समझ में बात नहीं आई क्योंकि वे अपना भाव कम रखना चाहते हैं। हम कोशिश करें?

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप इस पर कह लें फिर भाव गिराइये।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इसमें सीधी सी चीज है। इस देश के सभी वर्ग के लोगों ने यह महसूस किया हमारी आर्थिक विषमता इस हद तक है और इस देश की पूंजी चन्द लोगों के हाथों में इस हद तक कन्सन्ट्रेटेड हो गई है। हम किसी तरीके से इसका विनियोजन करें ताकि पूंजी का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो कुछ लाभांश है वह इस देश के नागरिकों को मिल सके। मान्यवर, हमारे इस देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी रूप से देखेंगे। पैटर्न का शब्द सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी यानी नई सोशलिस्ट सोसायटी। इसका मतलब यह रहा कि हम जो अपनी आर्थिक व्यवस्था और इस समाजवाद की रचना को करेंगे, समाजवादी जो अर्थ व्यवस्था होगी वह समाजवादी ढांचे की होगी, मिश्रित अर्थ व्यवस्था नहीं होगी। वह जब भी होगी तो इसके माने हैं।

हम उन छोटे उद्योगों को जो सरकार चाहती है कि ये मुनासिब हैं---इस देश की रक्षा के लिये या उन चीजों के लिये जिससे कि देश के उन तमाम लोगों के जीवन पर असर पड़ता है उनको हाथ में रखें और वे उद्योग जिनको हम प्राइवेट सेक्टर और निजी सेक्टर में दे सकते हैं उनके हाथों में दें। इसकी वजह यह है कि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह इतनी डेवलपिंग स्टेज में थी इतनी प्रगतिशील हालत में थी कि पूंजी की कमी थी। सरकार सारी चीजों को हाथों में लेकर, सारे उत्पादनों को हाथों में नियन्त्रित करके इनका लाभ हर आदमी के पास पहुंचा नहीं सकती थी। इसलिये मजबूर होकर जिनके पास साधन थे, उत्पादन की शक्ति थी हमने उनको इस बात का मौका दिया कि वे इस देश की समृद्धि में अपना योगदान दें। और इसलिये मिश्रित अर्थ व्यवस्था की कल्पना करके प्राइवेट एन्टरप्राइज को मौका देकर जिनके पास उत्पादन की शक्ति थी जिनके पास और सामान थे वे इस देश के उत्पादन की ओर योगदान कर आगे बढ़ा सकें। तो हम उनके प्रति उत्तरदायित्व को निभाने को तैयार हैं।

इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जैसे बंशीधर जी ने कहा, चन्द लोग जो धनी थे तीसरी और चौथी योजना चल रही है इस धन का विनियोजन और विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये था उतना नहीं हुआ जितनी कल्पना की गई थी। चन्द ही लोगों के हाथों पूंजी बढ़ गई है और धन उनके हाथों में ही कान्सेन्ट्रेटेड हो गया है। हमने जब देखा कि इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है उनकी प्रोपर्टी बढ़ती जा रही है, उनके रिसोर्सेज बढ़त जा रहे हैं, उनकी जो फैक्टरियां हैं वे बढ़ती चली जा रही हैं हमने यह सोचा कि हम कोई ऐसा तरीका सोचें जिस तरीके से हम इस आर्थिक व्यवस्था में जो विषमता है---उसको दूर कर सके और उसी विषमता को दूर करने के लिये क्योंकि उसका प्रस्ताव 31(2) जो है वह हमारे सामने बता चुके थे, इसी हाउस में हमारे माननीय सदस्यों ने जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उन्हीं के ऊपर बैंकों के बारे में और चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात आई। उनका उतना हिस्सा कहां है जब से यह लगा होगा उतना वे पैदा कर चुके होंगे फिर भी हमारे कम्पेंसेशन देने का कोई समुचित कारण नहीं है जितना कि वे बीस-बीस और पच्चीस सालों में काम कर रहे थे उतना मुनाफा कमा लिया। जितनी उनकी चीनी मिलें हैं उन्होंने जितना खर्च करन में धन लगाया था उसका कई गुना उन्होंने पदा कर लिया। बिना किसी कम्पेंसेशन के ले लेना चाहिए था, विरोधी पक्ष से यह आर्गुमट दिया गया था।

यही बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए तर्क दिया गया कि उन्होंने जितनी पूंजी लगाई थी उससे 20-25 गुना कमा ली है इसलिए उन्हें कोई कम्पेंसेशन नहीं दिया जाना चाहिए था और ऐसे ही अधिग्रहण कर लेना चाहिए था। लेकिन जब 31(2) के अधीन सुप्रीम कोर्ट म गये तो उसने कहा कि सरकार कैश के अलावा बांड्स में जो कम्पेंसेशन देती है उसके अलावा यह विधि निर्धारित करनी पड़ेगी जिसमें रेट आफ इन्टरेस्ट तय करना पड़ेगा। अगर शयर का भाव गिरा हुआ हो तो उसी रेट से जो कम्पेंसेशन होगा, उससे बढ़े हुए को भी कम्पेंसेशन में शामिल करने की इजाजत दगे। जब एक तरफ हमारे देश में आर्थिक विषमता को मिटाने में हमारा कानून सक्षम नही हो सका तो यह मांग कर हर व्यक्ति की आने लगी कि इस कानून में संशोधन कर सके ताकि पूंजी का उपयोग हर किसान और मजदूर भी कर सकें। आप 39 (बी) में यह देखेंगे:-

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good ;

यह हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपुल में है लेकिन इसके होने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते थे जो 31 (2) में और 19 में हमारा फंडामेंटल राइट था। इसलिए मजबूर होकर देश की प्रगति में जो बाधाएं थीं उनको मिटाने के लिए यह संशोधन किया गया।

यह संशोधन 25वें एमेंडमेंट के माध्यम से ले आया गया। अब यह कि कौन ज्यादा समाजवादी है और कौन कम समाजवादी है, इसका सवाल नहीं। उधर से बंशीधर पांडे और उनके गोल वाले मिल गये। जब वे मेरे साथी थे तो समाजीकरण की बात करते थे। देसाई साहब जब वे फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने राष्ट्रीयकरण के पहले समाजीकरण की बात कही लेकिन आज तक यह साफ नहीं हो सका कि यह समाजीकरण है क्या। देसाई साहब भी उसको कोई डेफिनेशन नहीं दे सके लेकिन जब हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और जब कम्पेंसेशन की बात आई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कम्पेंसेशन दे रहे हैं वह मौजूदा मारकेट रेट पर...।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय पांडे जी यह बतला दें कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो क्या हमारे दल ने या नताओं ने विरोध किया ।

श्री राजमगल पाण्डेय—

मान्यवर मैंने विरोध शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने यह कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात आयी तो उस वक्त देसाई साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने समाजीकरण और सोशल कन्ट्रोल की बात कही लेकिन वे उनकी डेफोनीशन आज तक नहीं दे सके।

श्री धमवीर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय पांड जी ने कहा कि समाजीकरण की डेफिनेशन नहीं दे सके। समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। आपको राष्ट्रीयकरण में जो करोड़ों रुपया बैंकों के डायरेक्टर्स को देना पड़ा वह समाजीकरण म न देना पड़ता। समाजीकरण में भी बैंकों पर उसी तरह नियन्त्रण होता जिस तरह रास्ट्रीयकरण में है और समाजीकरण में भी ऋण आदि की सभी सुविधाएं उसी तरह होतीं जिस तरह राष्ट्रीयकरण करने के बाद हैं। लकिन समाजीकरण में आपका यह करोड़ों रुपया बच जाता जो कि राष्ट्रीयकरण में देना पड़ा ।

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं कैसे कहूं। मैं अपने लायक दोस्त की काबलियत की कद्र करता हूं लेकिन मुझे निराशा हुई है। समाजीकरण में अगर कम्पेंसेशन की बात नहीं हो सकती तो ...

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

समाजीकरण में सरकार के लेने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होगा जहां तक मुझे थोड़ी सी सोशल कन्ट्रोल की डेफीनीशन मालूम है। मान्यवर 31 (2) में कहा गया है :—

'No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of law.....'.

इस तरह की जो कठिनाई पड़ी उसी बाधा को मिटाने के लिये यह संशोधन लाया गया है इस देश की जनता क आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप और इस देश के गरीब किसानों, मजदूरों को जिन्ह उनके उत्पादन और इस देश के रिसोर्सेज का फायदा पहुंचना था,

जब वह नहीं पहुंचा तो मजबूर होकर यह संशोधन लाना पड़ा। अब सवाल यह नहीं है कि इससे हम अधिक समाजवादी हो गये और वह कम हो गये। यह तो उनकी भावना है जो उन्होंने व्यक्त की है।

मान्यवर, अगर समाजीकरण बेहतर है तो हमारे राष्ट्रीयकरण के बाद अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा कि इस देश में फारेन बैंक्स का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। यही नहीं मान्यवर, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के नेशनलाइजेशन होना चाहिये, ऐसी बात कही गई। इससे मान्यवर, साफ जाहिर होता है कि जो सोशल कन्ट्रोल की बात कही जा रही थी यह यह समझते थे यह केवल धोखा है और वह यह जानते थे कि उनके यह इरादे पूरे नहीं होने जा रहे हैं। मान्यवर, इसी माध्यम से म यह भी कहना चाहूंगा कि हर तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि अरबन सीलिंग हो रूरल सीलिंग हो।

बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं और उनकी देहातों और दूसरों शहरों में करोड़ों की प्रापर्टी पड़ी हुई है और जिन्होंने किराये के माध्यम से उसकी लागत से कई गुना कमा लिया, अगर कम्पेंसेशन बाजार भाव देते हैं तो फिर इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जायेगी उनकी सम्पत्ति को ग्रहण करने के लिये जो सरकार की क्षमता के बाहर की चीज है। उस कम्पेंसेशन की जगह पर ही एमाउन्ट रखना पड़ा। मान्यवर, अभी जनसंघ पार्टी की ओर से यह बात कही गई कि अगर सरकार जनसंघ के किसी पार्टी मेम्बर की प्रापर्टी लेती है तो उसको मुआवजा 5 रु0 देगी और किसी इन्डीकेट की प्रापर्टी लेगी तो 5 लाख रु० देगी। तो मैं तो यह कहूंगा कि वह निराश न हों। उनको शायद यह निराशा है कि उनकी पार्टी कभी पावर में नहीं आयेगी और मैं क्या कहूं।

मान्यवर, ऐसी चीज नहीं है। कोई भी सरकार हो, पार्टियां सभी रहेंगी और ऐसा सम्भव नहीं है कि विधान सभा की 425 सीटों में सभी इण्डीकेट के मेम्बर आ जायेंगे। यह असम्भव वाली बात है। ऐसी बात नहीं है कि जो चाहें वह किया जा सके। ऐसे बहुत से मसले आये हैं जिन मसलों पर अपोजीशन के विचार सुनने के बाद उनकी भावनाओं को देखने के बाद हमने यह मुनासिब समझा और उनकी भावनाओं का आदर करके उनको मान लिया। हमने यह दावा नहीं किया कि मैं बहुमत के बल पर उनकी भावनाओं का आदर न करें। चाहे किसी पार्टी की सरकार हो जो ट्रेडीशन इस हाउस में बना हुआ है वह माना जायेगा, जो परम्परा है उसको नहीं बदला जायेगा। चाहे जनसंघ की सरकार आवे चाहे एस0एस0पी0 की सरकार हो---जो ट्रेडीशन बना हुआ है उसको बदलने नहीं दिया जायगा। इसमें कोई सुबहा की बात नहीं है। अगर कम्पेंसेशन की जगह पर एमाउन्ट रख दिया तो किसी एक विशेष पार्टी पर एप्लाई नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि इस देश में उन लोगों की सम्पत्ति, जैसे डालमिया हैं, बिड़ला हैं, आज से 10 साल पहले 400 करोड़ रु0 की थी और आज 700 करोड़ रुपये की हो गई, और हमने इस प्रापर्टी को अगर लिया तो किसी ने कहा कि वह इथोपिया चले जायेंगे, मिडिल ईस्ट चल जायेंगे, तो मान्यवर आज प्रश्न यह है ।

आज से 5-6 साल पहले की याद दिलाना चाहता हूं जब आपके ई0एम0एस0 नम्बूद्रीपाद केरल के चीफ मिनिस्टर थ उन्होंन बिड़ला साहब को बुलाया और कहा कि हम आप को सारे केरल के बांसों का ठेका दे देंगे आप यहां पर इण्डस्ट्री लगायें और वह सब सुविधायें दूसरे सूबों के मुकाबले में ज्यादा सुविधायें देने को तैयार थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर ने भी यह महसूस किया कि अपने सूबे की अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिये पूंजीपतियों का सहयोग लिया जाय तो ठीक है और उनका साथ लेने में उनके धन का उपयोग करन में कोई एतराज नहीं है। जब तक इस सूबे की अर्थ व्यवस्था ठीक न हो जाय उसको ठीक करने के लिग हम इस बात की कोशिश करें कि पूंजीपतियों

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

की जो इस तरीके से कन्सेंट्रेटेड वेल्थ है, उन्होंने जो धन कमाया है या जो पूंजी उन्होंने संचय की है उसको कानून बना कर किस तरीके से ले सकें और उसका फायदा ले लें। जब तक हम यह नहीं कर सकते तो यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि हम उनकी पूंजी का उपयोग न करें।

आज अमेरिका और चाइना में इसलिये कैपिटल फ्लोट कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इडस्ट्रीज को इन्सेंटिव दे रही है। आज हर देश की अर्थ व्यवस्था जो पूंजीवादी देश हैं, उनकी अर्थ व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है और इसी वजह से चाइना और रूस खाने के लिए अमेरिका और आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात नहीं करता है। इसलिये यह साफ जाहिर है कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिये जो कानून हमारे फायदे के हैं उनको हम संशोधन के जरिय लायेंग और आपके दिल और दिमाग में जो भ्रांति पैदा हो गई है वह निराधार हैं। यह जनता के सामने टेस्ट हो चुका है और इसीलिय जनता ने हमें एक दो-तिहाई से ज्यादा का बहुमत हमें दिया क्योंकि उसे मालूम था कि कामन मैन को सबसे नीचे की सीढ़ी के आदमी को देश की दूषित प्रणाली का लाभ नहीं पहुच रहा है, उसको पहुंचाने के लिये ही हमें पार्लियामेंट में दो तिहाई से ज्यादा का बहुमत दिया। अतः हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम देश की अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिये उसको दुरुस्त करने के लिये तमाम संशोधनों के माध्यम से उद्योगों की पूंजी का विनियमन गरीब आदमी तक पहुंचा सकें।

मान्यवर, धारा 19 में दिया हुआ है टू एक्वायर होल्ड ऐंड डिसपोज आफ प्रापर्टी। चूंकि यह एक ऐसी चीज थी कि इसका विपरीत असर इस विधेयक पर नहीं पड़ा वह संशोधन हो रहा है। हमारे देश की प्रगति के लिये जो लक्ष्य हम ने बनाये हैं उनकी पूर्ति के लिए यह संशोधन बिलकुल मुनासिब है और देश के सभी लोगों ने इसे स्वीकार किया था इस हाउस ने भी इसे स्वीकार किया है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कोई दूसरी आवाज उठा सकें।

*श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

मान्यवर, शर्मा जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है इस पर बोलते हुये हमारा दिल भर हुआ है हम दुखी हैं वह इसलिये कि अगर इसमें समाजवाद लाने के लक्षण होते तो हम सब लोगों को बड़ी खुशी होती लेकिन मान्यवर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान्यवर समाजवाद के लिये यह आवश्यक है कि इस देश के अन्दर लोक भाषा, लोक भूषा, लोक-भोजन और लोक भजन इसकी बुनियाद और इसकी आधार शिला हो। इसका आधार, उसूल अगर हम रखें तो यह विश्वास किया जा सकता है कि यह संशोधन समाजवाद लाने की भावना से रखा गया है लेकिन ऐसा है नहीं। अपने को तो दृढ़ विश्वास है कि यह सरकार 100 साल में भी इस देश के अन्दर समाजवाद ला नहीं सकती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

100 साल तक इन्हीं को रखोगे।

श्री मोतीलाल देहलवी---

हमको तो दुनिया में ऐसा समाजवाद कहीं नजर नहीं आया जो अपने ही बेटे को मोटर के कारखाने का लाइसेन्स दे दें, ऐसा समाजवाद हमको दुनियां में कहीं नजर नहीं आया जिसका प्रधान मंत्री मिक कोट पहनता हो, जो दिल्ली की खेती की जमीन जो हजारों रुपयों की आमदनी की है अपने कब्जे में कर लें। हमको ऐसा समाजवादी कहीं नजर नहीं आया जिस प्रधान मंत्री पर 30 हजार रु० रोज खर्च हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं डा० लोहिया की इस बात पर संदेह करता था कि नेहरू जी पर 25 हजार रु० रोज खर्च होता है लेकिन जब हमको एक ड्राइवर से मालूम हुआ कि हमारी प्रधान मंत्री की एक-एक टेबलेट 200, 200 रु० की है तो उस समय मुझको यह मान लेना पड़ा कि उनके ऊपर 30 हजार रुपया रोज जरूर खर्च हो रहा होगा। अभी जब वे लखनऊ आई तो उस समय मैं रिक्शे से स्टेशन जा रहा था। रिक्शेवाले ने कहा कि प्रधान मंत्री लखनऊ आ रहीं है और उनकी सजावट पर डेढ़ करोड़ रुपया व्यय होगा। वह मामूली रिक्शेवाला है और यहीं दारुलसफा में रोज ही खड़ा रहता है। मैंने मन में सोचा कि यह तो डा० लोहिया की बातें कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि यह आंकड़े तुम लाये कहां से तो वह कहने लगा कि तमाम पुलिस बाहर से आयगी, आफिसर्स आयेंगे, तमाम सी०आई०डी० आयेगी बाहर से और उन सभी को तो टी० ए०, डी० ए० और तमाम भत्ता दिया जायगा। फिर सजवाट में कितना व्यय होगा। मैं यह मान सकता हूं कि उसके आंकड़े गलत हों परन्तु रिक्शेवाला के मन में यह भावना है कि प्रधान मंत्री के लखनऊ आगमन पर डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हो जायगा।

जितने भी लोग अपने को समाजवादी कहते हैं उनमें से हमको एक भी ऐसा नहीं मिला जो हमको यह बता दे कि किसी भी देश के प्रधान के ऊपर 30 हजार रुपया रोज खर्च किया जाता हो। आप यह देखें कि इस समाजवादी देश के पूंजीपतियों की आमदनी एक-एक दिन की 10, 10 लाख रुपया है और जिसमें प्रतिदिन यह बढ़ोत्तरी होती जा रही है। इस प्रकार से हम देखें कि जो पूंजीपति थे वे और बड़े पूंजीपति बन गये है। आज 22 साल के बाद भी अगर हम देखें तो मालूम होगा कि गांव के चौकीदार की आमदनी 5 रुपयों से बढ़कर 10 रुपया ही हो पाई है। ऐसा समाजवाद हमको दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई दिया। हम तो समझते हैं कि यहां समाजवाद को लाने का कोई लक्ष्य ही नहीं है।

उत्तर प्रदेश में समाजवाद शुरू हुआ कपूर होटल से। और अब जो समाजवाद शुरू हुआ है उसकी एक ही मिसाल मैं आपको दूंगा। मैं जहां से चुन कर आता हूं, बिल्हौर से, वहां एक महुआ बाबा का मेला लगने लगा। वहां एक महुआ का पेड़ था। वह बाई के मरीज को घसीटता था। किसी चरवा हे के बाई थी। उसको उसने घसीटा। उसकी बाई में कुछ फायदा हुआ। उसने गांव में शोहरत कर दी कि इस महुआ बाबा में बहुत असर है, इसने हमारे मर्ज को ठीक करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि सही में इसने तो बहुत इलाज किया, इसकी बाई ठीक नहीं हुई और इस महुवे से ठीक हुई। तो इतना बड़ा मेला लग गया। मोटर कार वाले, पढ़े लिखे लोग, सभी पहुंचने लगे। मंगल के दिन रेल के प्रथम क्लास के डिब्बे में भी स्थान नहीं मिलता था। इतनी भीड़ लग गयी। तपेदिक वाले भी, खांसी वाले भी, सब का इलाज महुआ बाबा में। आज जो कुछ थोड़े बहुत उधर दिखाई देने लगे हैं उनको भी कुछ अक्ल आयी लोक सभा के चुनाव के बाद। सहज बुद्धि की बात है कि लोक सभा के चुनाव के बाद जितने लोग इस तरफ के समाजवादी बने या तो उनको समाजवाद का ज्ञान नहीं था, वे बुद्धि के आदमी थे, उनको ज्ञान कब आया? जब लोक सभा के चुनाव हो गये। अब मैं संशोधन पर आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इतना तो समय आपने भूमिका में ले लिया। (हंसी)

श्री मोतीलाल देहलवी—

नहीं तो फिर आप कहेंगे कि जल्दी करो। अभी सीलिंग का मामला यहां पेश हुआ था। तो एक साहब इन्डीकेटी के मुझसे पूछने लगे कि कितनी जमीन रखें और कितनी अपने रिश्तेदारों को दे दें। यह तो हालत है जो नये समाजवादी बने हैं उनकी। हमको तो 22 साल हो गये डंड खाते हुये समाजवाद के लिये। तो हम तो हो गये नकली समाजवादी और ये असली समाजवादी हो गय। कब स? लोक सभा के चुनाव के बाद से और कपूर होटल स। ऐसे समाजवादी हमन कहीं नहीं दख।

श्री उपाध्यक्ष---

फिर आप समाजवाद की तरफ घूम गये। संशोधन पर आ जाइये।

श्री मोती लाल देहलवी---

अगर इस संशोधन में सिर्फ यह होता कि सम्पत्ति का मूल अधिकार खत्म कर दिया जाता तो इसे माना जा सकता था। लेकिन हो क्या रहा है? सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय यह महसूस करते हैं कि इन्दिरा गांधी के एहसान की वजह से वह राष्ट्रपति हो गये।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति के बारे में आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। संशोधन पर अगर बोलना है तो बोलिये।

श्री मोलीलाल देहलवी---

मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं आज दर्द भरी आवाज से कहना चाहता हूं कि यह देश अब रसातल को पहुंच गया है। और इसका अब भगवान ही मालिक है। यह देश अब तानाशाहियत की सीमा को पार करता चला जा रहा है और उस तानाशाहियत में मदद कर रहा है रेडियो जो आज प्रधान मंत्री का भोंपू बनकर रह गया है। इस तानाशाहियत में मदद कर रहा है अखबार, रेडियो, मंत्री लोग। जब रेडियो खोलो तब श्रीमती इंदिरा गांधी की बात। विजय किसकी हुई? इन्दिरा गांधी की। तो मान्यवर, आप अन्दाजा लगाएं कि यह देश कहां जा रहा है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं और दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यह संशोधन समाजवादी भावना से नहीं लाया गया है, तानाशाहियत की भावना से लाया गया है।

इस देश के अन्दर आज तानाशाहियत पैदा करने की जरूरत है? बिल्कुल भी इनका समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है। इनका एक रोयां भी समाजवादी नहीं है। श्रीमन्, एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी राजमंगल पांडेय जी बोल रहे थे। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं इसलिये कि जब यह राज्य श्रम मंत्री थे तो उन्होंने कानपुर के एक पूंजीपति राम रतन गुप्ता के विरुद्ध एक आदेश लिखा था और आपने लेबर कमिश्नर को बुलाकर हमार सामन कहा था कि इस पूंजीपति ने मजदूरों का करोड़ों रुपया गबन कर रखा है इसको जेल जाना चाहिये। कमिश्नर साहब ने कहा कि जेल तो यह नहीं जा सकता तो राजमंगल पांडेय जी ने तड़ाक से कहा कि गबन का मामला है, क्यों नहीं जेल जा सकता, जाना चाहिये, और उन्होंने मुख्य मंत्री जी के पास लिखकर भी भेजा कि जेल जाना चाहिये। लेकिन आज क्या है? समाजवादी मंत्री कौन बने हुए हैं? कानपुर के श्रीमान् गणेश दत्त जी बाजपेयी जो खुलकर कानपुर में कहते हैं कि हमको तो लाला राम रतन गुप्ता की मदद करनी है। आज अजीब समाजवाद है....

श्री उपाध्यक्ष---

वह समाजवादी है या नहीं है, यह सवाल नहीं है। आपके सामने संशोधन है। अगर संशोधन पर बोलने की क्षमता से आप शून्य हों तो....

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, अगर व्याख्या नहीं करेंगे तो कैसे स्पष्ट होगा। इनका कहना है कि समाजवाद लाने के लिए संशोधन किया है, गरीबी मिटाने के लिए किया है और बेकारी दूर करने के लिये किया है। तो समाजवाद के जो लक्षण दिखायी दे रहे हैं, जो नमूने पेश हो रहे हैं, उनका उदाहरण हमें देना ही पड़ेगा। अब मान्यवर, संशोधन को देख लीजिये। संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्र की भाषा हिन्दी होगी। और यह जो लोक सभा की कार्यवाही है संशोधन वाली, सबकी सब अंग्रजी में है।

श्री उपाध्यक्ष--
सबकी सब अंग्रेजी में है तो जो आपके एकाध सदस्य हैं वह क्या करते हैं ?

श्री मोती लाल देहलवी--
इस सदन में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं, मैं कहता हूं वह समाजवादी नहीं है। वह समाजवाद के विपरीत आचरण कर रहे हैं। इस देश के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर जिस दिन किसान की भाषा में हर मिल के मजदूर की भाषा में सरकारी कामकाज होगा उस दिन हम समझेंगे कि समाजवाद आने के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--
अब आप समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी--
अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष--
यह लिख लिया जाये कि आपने कुछ नहीं कहा है।

श्री मोती लाल देहलवी--
अभी तो हमने शुरू किया है, मान्यवर। अभी पूरा कहां कहा है।

श्री उपाध्यक्ष--
अगर आपको कोई भाषण देना है कि समाजवाद क्या है और समाजवाद क्या नहीं है, तो इसके लिये समय नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी--
अभी तो थोड़ा ही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष--
आज अब समय नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी--
हमारी बात सुन लीजिए, बड़ी दर्दभरी आवाज है।

श्री धर्मवीर--
अभी तो माननीय सदस्य लक्षण पर आए हैं, लक्षण प्रकट हो रहे हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--
हम देहाती इलाके से चुन कर आते हैं। यह हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि जो बात हम वोट लेने के समय कहते हैं उसी बात को हम यहां पर कहें।

श्री उपाध्यक्ष--
वोट लेकर जो आए हैं वह मामला तो घोषणा-पत्र का है। जब घोषणा-पत्र पर बहस हो तब आप उस पर कहें।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--
मान्यवर, आप लाल बत्ती बुझा दीजिए, इससे खतरा दिखाई देता है।

श्री उपाध्यक्ष--
खन्ना जी, मैं स्वयं आपकी मदद कर रहा हूं।

श्री मोती लाल देहलवी--

थोड़ा दिल का गुब्बार निकल जाए, 5 मिनट का अवसर दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

दिल का गुब्बार निकालने का बहुत अवसर मिलेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप समाजवादी हैं, मान्यवर, 5 मिनट दे दीजिए । कुछ तो रियायत कीजिए ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, अगर संविधान में परिवर्तन करना चाहते, संशोधन करना चाहते तो आप सिर्फ संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा देते, तो स्वागत होता उसका, लेकिन आप मौलिक अधिकार को हटाने जा रहे हैं, पता नहीं उसके बहाने आप क्या करने जा रहे हैं, आपकी क्या तबियत है ? जो लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनसे समझा जा सकता है कि आप क्या करने जा रहे हैं । अगर संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संविधान निर्मात्री परिषद् बुलानी चाहिये थी, जो जनता की चुनी हुई हैं । अगर आप जनतन्त्र के हामी हैं तो जनता द्वारा चुनी हुई सभा के द्वारा संशोधन करना चाहिये था लेकिन आपने तो अपने एकतन्त्र के लिये, जो चाहा, जो समझा, किया ।

जो समाजवाद आप बना रहे हैं उसका नमूना भी पेश कर दूं । समाजवाद तो आप ला नहीं सकेंगे । लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिये आपने कहा कि 35,000 रु० से अधिक कोई खर्च नहीं कर सकेगा । आपने कितना रुपया खर्च किया ? 10--10, 15--15 लाख रुपया खर्च किया गया लोक सभा के चुनाव में । मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया कहां से आया ? क्या नोट छापने का काम भी कर लिया है प्रधान मंत्री ने जो नोट छाप छाप कर दे दिये कि लो, खर्च करो ? उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र, राय बरेली में कितना धन खर्च किया ? 11 लाख रुपया खर्च किया, बता रहे हैं । यह रुपया कहां से आया ? अगर पूंजीपतियों से नहीं आया तो कहां से आया ? किसी मुल्क में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि कोई आदमी जल्लाद की तलवार दे दे कि लो हमारी गर्दन को हलाल करो । यह सारा पैसा पूंजीपतियों से आता है । पूंजीपति इनको पैसा क्यों देंगे ? क्या पूंजीपति इनको पैसा इसलिये देंगे कि उनकी ही गरदन काटो ? आज महुआ बाबा की तरह ही रेडियो द्वारा गलत खबरों का प्रचार करके गरीब लोगों की आंख में धूल झोकीं जा रही है । बंगला देश का आज इनको एक बहाना मिल गया है ...

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप ऐसी भ्रांति धारणा रखेंगे तो समाजवाद कैसे सम्भव होगा, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

भ्रांति आपको है, हमको नहीं । हम तो डा० लोहिया के समाजवाद को बता रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया अब बैठें । इस तरह से डा० लोहिया का नाम लेकर यदि असंगत बातों को आप कहेंगे तो मैं इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं संविधान के इस 25 वें संशोधन का हृदय से स्वागत करता हूं । उद्देश्य की दृष्टि से यह संशोधन कोई नया नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के चौथे संशोधन का यह एक आवश्यक दूसरा स्वरूप ही है । मैं इस संशोधन को सामयिक और वक्त के लिहाज से जरूरी समझता हूं ।

भारत की संवैधानिक और आर्थिक दृष्टि से इस प्रकार का संशोधन संविधान में करना बहुत जरूरी था क्योंकि भारत में, वर्तमान काल में, राजनीतिक जगत में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुये हैं जिसका श्रेय सभी राजनैतिक दलों को मैं विभिन्न मात्राओं में देने को तैयार हूं। और वह यह है कि संविधान के भाग 4 में जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व दिये हैं, आज उनके कार्यान्वयन की ओर सब का ध्यान गया है और वर्तमान सरकार ने उसके कार्यान्वियन का संकल्प लिया है। इस भाग में मान्यवर, 16 अनुच्छेद हैं और वे करीब करीब सभी पहलुओं के संबंध में राज्यों को निदेश देते हैं। इस संशोधन द्वारा उन 16 निर्देशक तत्वों में से केवल एक 39 (ख) के कार्यान्वयन करने का विचार है। हम सभी यह स्वीकार करते हैं कि आज देश के अन्दर गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। देश के नागरीय नागरिकों के बीच अगर आर्थिक असमानता के सही दर्शन करने हों तो महालनवीस की पुस्तक को पढ़ लिया जाय। ग्रामीण नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता स्टडी टीम आफ एग्रीकल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के देखने तथा अध्ययन से मालूम हो जायगी। इसके अनुसार आज भी भारत के अन्दर गावों की पर-कैपिटा आमदनी केवल प्रति दिन 60 पैसा है और आज भी भारत के अंदर एक करोड़ परिवार गांवों में ऐसे हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 27 पैसा प्रति दिन है।

मान्यवर, हम सब सहमत हैं इस प्रश्न पर, चाहे जिस दल में हम लोग बैठते हों, कि यह आर्थिक विषमता मिटाई जानी चाहिए। हमारे संविधान में नीति-निर्देशक तत्व अनुच्छेद के 39 (ख) और (ग) में स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ है कि राज्य का यह आवश्यक कर्त्तव्य है कि समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिस से सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, और आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो। किन्तु, मान्यवर, वर्तमान व्यवस्था आज यह है कि धन का संग्रह कुछ हाथों में केन्द्रित हो गया है और परिणाम स्वरूप गरीबी और अमीरी की खाई बहुत चौड़ी हो गई है। इस खाई को पाटने के लिए हमें निश्चित रूप से उत्पादन सभी क्षेत्रों में बढ़ाना होगा। जो कम वेतन पाते हैं उनका वेतन बढ़ाना होगा और हर तरह से इस खाई को पाटना होगा। साथ साथ जिन लोगों ने धन का अधिक संचय कर लिया है, उसका भी समाज के अन्य लोगों में वितरण के लिए अर्जन हमें करना पड़ेगा।

वर्त्तमान व्यवस्था यह है कि उसका अर्जन बिना मुआवजा नहीं हो सकता है। प्रश्न यह है कि उसका अर्जन मुआवजे से किया जाए या बिना मुआवजे के किया जाए। मुआवजे का अर्थ यह होगा कि आप उनको खरीद रहे हैं, जो कि राज्य की आर्थिक क्षमता से बाहर की बात होगी। राज्य के लिए ऐसा करना असम्भव होगा। उदाहरण के लिए हम चीनी मिलों का या शहर या गांव में भूमि की हदबन्दी करना चाहें, तो हम कम्पेंसेशन-मुआवजा बाजार भाव से दें। तो श्रीमन्, यह न तो उचित काम होगा और न इससे नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 39 (ख) व (ग) के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इसीलिए आज नहीं सन् 55 में ही चौथे संशोधन के माध्यम से यह संशोधन किया गया था कि जो भी कम्पेंसेशन राज्य देगा वह उचित होगा और उस कम्पेंसेशन के सम्बन्ध में न्यायालय को भी, कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उस प्रतिकर के संबंध में निषेध कर दिया गया था। उसमें उसका दखल करने का प्राविधान नहीं रखा गया था।

हम जानते हैं कि संविधान का इन्टरप्रेटेशन सुप्रीम कोर्ट का फायनल होता है, जिसको वह विभिन्न मुकदमों के माध्यम से अपना निर्णय देकर व्यक्त करता है। श्रीमन्, हमारे सामने एक केस है, शान्तिलाल मंगल दास के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चौथे संशोधन के अभिप्राय के स्वीकार किया गया था। उन्होंने यह माना है कि जो मात्रा किसी अर्जित सम्पत्ति के बारे में राज्य ने दी है वह उचित है या अनुचित, यह उनके विचार क्षेत्र के बाहर की बात है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। यह भी स्वीकार कर लिया था कि 31 (2) अनुच्छद के अनुसार कोई खंडन नहीं होती है 19 (एफ)

[श्री शिवराज सिंह]

की। तो वह भी उसमें बाधक नहीं होता। इन दोनों बातों को शांतिलाल मंगल दास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था--राज्यों के रास्ते में कोई बाधा नहीं थी। जिस सम्पत्ति को चाहें अर्जित कर लें और जो मुआवजा चाहें दे दें। लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना उपरोक्त फैसला बदल दिया। तो यह कलाबाजी उसने क्यों की? क्योंकि कम्पेंसेशन का शब्द या 31 (2) में, जिसके माने में यह बात निहित है कि कम्पन्सेशन उचित होना चाहिए। इस लिये न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, वे हर केस देखग, इस बात का परीक्षण कर सकेंग कि जो कम्पेंसेशन दिया जा रहा है वह उचित है या अनुचित है, वह किसी मानी में कम तो नहीं है, अन्याय संगत तो नहीं है।

इस प्रकार से उच्चतम न्यायालय ने चौथे संशोधन का जो उद्देश्य था उसको श्रीमन, खत्म कर दिया, खराब कर दिया। अब जरूरत यह पेश आई और सभी दलों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम को संविधान के अन्दर जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको विशष रूप से कार्यान्वित करना है, देश की आर्थिक अवस्था से सम्बन्धित जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको कार्यान्वित करना है, जहां जहं धन का ज्यादा संग्रह हो गया है, सम्पत्ति इकट्ठा हो गई है, उसका अजन करना है, वह भी बाजार भाव से मुआविजा न देकर, एक मुनासिब धनराशि देकर। इस लिये यह आवश्यक हो गया कि इस प्रकार का एक संशोधन लाकर स्पष्ट शब्दों में "प्रतिकर" शब्द हटा कर केवल "राशि" रख दिया जाय। और स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाय कि जब कोई राज्य संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के अनुसार सम्पत्ति का अर्जन करे तो उसके अन्दर कोर्ट को अधिकार नहीं होगा कि यह कह सके कि जो भी मुआवजा दे रहे हैं वह उचित है या नहीं, वह उनके परीक्षण क्षेत्र से बाहर की बात होगी। वह जस्टिशिबिल नहीं रहेगा।

साथ ही इस संशोधन का दूसरा अंग यह है और बहुत आवश्यक है, कि जब कोई कानून राज्य बनायेगा तो कोर्ट नहीं कह सकेंगे कि इस कानून के माध्यम से अनुच्छद 39 (ख) और (ग) का मंशा पूरा हो रहा है या नहीं। इस बात का भी निर्णय पार्लियामेंट, विधान मडल करेंगे जो कानून को ला रहे हैं कि उससे अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के अनुसार आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं। इस बात का परीक्षण भी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होगी। जिस दिशा में सब दल चल रहे हैं, सब दल चाहते हैं कि समाजीकरण हो, राष्ट्रीयकरण हो, सम्पत्ति की सीमा निर्धारित हो, उससे अधिक सम्पत्ति को समुदाय के लिए अर्जित किया जाना चाहिए इसको व्यावहारिक रूप देने के लिए आज के संविधान की वतमान अवस्था में उद्देश्य की पूर्ति करना किसी प्रकार सम्भव नहीं था एक बाधा पैदा हो गई थी बैंक नैशनलाइजेशन केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, उस बाधा को दूर करन के लिय इस पच्चीसवें संशोधन को लाया गया है।

कुछ दोस्तों ने कहा कि वर्तमान लोक सभा दुरुपयोग कर सकती है। मान्यवर, संशोधन एक सीमित काल के लिए नहीं है। सम्पूर्ण भविष्य के लिए है सम्पूर्ण भविष्य म विभिन्न प्रकार की सरकारें आयेंगी और जो भी सरकारें पदासीन होंगी वे उसका इस्तेमाल करेंगी। एक आपत्ति यह की गयी इसमें संविधान के अनुच्छद 14 जिसमें समता का अधिकार इस संशोधन से उसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। उसका उद्देश्य यह है जो भी सम्पत्ति का अर्जन किया जायगा वह एक वर्ग विशष का होगा दूसरे वर्गों से उसका डिफरेंसिएशन करना पड़ेगा। इसलिए उस हद तक अनुच्छेद 14 में जो समता का अधिकार है उस पर चोट आई है। केवल उद्देश्य यह है कि जब एक वर्ग विशेष की सम्पत्ति का अर्जन किया जाय तो उसमें किसी प्रकार की तमीज डिफरेंसिएशन की खुशबू उस कानून के अन्दर कोर्ट को नहीं आनी चाहिए। इसलिए इस दृष्टि से मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं इस राय का हूं कि हम खुल दिल से सभी दलों को इसका समर्थन करना

चाहिए क्योंकि जैसा कि सभी दल चाहते हैं आज आर्थिक नीति की पूर्ति के लिए उसको व्यावहारिक बनाने के लिये बहुत आवश्यक है अन्यथा इसमें बाधा पड़ सकती है, बैंक नैशनलाइजेशन के केस में निर्णय से ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी--

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन में सामने है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक इस संशोधन विधेयक का सवाल है बदकिस्मती से दोनों पक्ष की तरफ से, सरकारी पक्ष जो इसका समर्थन कर रहा है और विरोधी पक्ष जो इसका विरोध कर रहा है-यह कहा जा रहा है कि इस संशोधन के द्वारा संविधान के अन्दर कुछ मौलिक परिवर्तन किया जा रहा है, कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किया जा रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि इस संशोधन से विधेयक में संविधान में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया जा रहा है बल्कि संविधान की स्थिति बैंक नैशनलाएजेशन से पूर्व जो थी उसी स्थिति को कायम किया जा रहा है ।

मेरे मित्र, शिवराज सिंह ने अभी कहा कि 1954 के अन्दर बेला बनर्जी का केस आया था। कम्पेंसेशन के सवाल पर सुप्रीम कोट का फैसला हुआ और उस फैसले के बाद 55 में संविधान में चौथा संशोधन लाया गया और 55 से 69 तक लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुये उनमें इस बात को स्वीकार किया गया कि चौथा संशोधन जो है वह सही संशोधन है जिसके अनुसार किसी न्यायालय की जहां तक कम्पेंसेशन के क्वांटम का सवाल है उसमें जाने का अधिकार नहीं है लेकिन बदकिस्मती से कारण जो भी रहे हों सुप्रीम कोर्ट न इससे पूर्व जितने फैसले दिये थे मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में वे फैसले एक के बाद दूसरे रद्द होने लगे ।

हमने देखा कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली व्यवस्थाओं को बदल दिया और यह रूलिंग दे दी कि पार्लियामेंट को संविधान के अन्दर संशोधन करन का अधिकार नहीं है। इसी तरह से इससे पहले शांति लाल के मुकदमें में जो सुप्रीम कोर्ट चौथे संशोधन के अनुसार दिया था कि किसी न्यायालय को कम्पेंसेशन के क्वान्टम में जाने का अधिकार नहीं है, इसको बैंक नेशनलाइजेशन केस में रद्द कर दिया गया और मार्केट रेट का सवाल हमारे सामने रख दिया गया। मेरा निवेदन यह सब कहने से यही है कि कोई मौलिक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन संविधान के अन्दर नहीं किया जा रहा है।

सरकारी दल की तरफ से जो यह कहा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है तो वह भी दल की प्रशंसा के लिये कहा जा रहा है और विरोधी दल की तरफ से और कहा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी कदम है और यह संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन पर चोट करता है तो यह अपने निहित स्थार्थों की रक्षा के लिये कहा जा रहा है, मैं तो सरकारी पक्ष वालों से तथा विरोधी पक्ष वालों से भी जो कल तक सरकारी पक्ष में बैठते थे यह पूछना चाहता हूं कि...

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--
आप कहां बैठे हैं? आपकी क्या हैसियत है?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--
मेरी हैसियत बहुत ऊंची है।

श्री उपाध्यक्ष--
सबकी हैसियत बराबर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]—

सन् 1955 से 1969 तक लगातार यह स्थिति रही और कहा जाता है कि संविधान एक रोड़ा बन गया है जबकि सन् 55 से 69 तक यही संविधान हमारे सामने था और यही नीति के निर्देशक तत्व हमारे सामने थे। सुप्रीम कोर्ट ने तब से अब तक इसका विरोध क्यों नहीं किया और इन 14 वर्ष के अन्दर संविधान की इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? आज क्यों कर रहे हैं विरोध, क्योंकि आज देश का राजनीतिक नक्शा बदल चुका है। आज शासक दल का स्वरूप बदल गया है। 59 तक बातें कुछ कही जाती थीं और प्रस्ताव कुछ पास किये जाते थे लेकिन अमल में नहीं लाये जाते थे। आज राजनीतिक स्थिति ऐसी बदल गयी है और जनता आज आपको मजबूर कर रही है कि आप उन बातों को अमल में लाइये।

59 से पहले यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, प्रिवीपर्सेज को समाप्त किया जायगा। लेकिन आज जब यह अमल में आने लगा, देश की जनता ने शासन को मजबूर किया कि ये क्रांतिकारी कदम उठाये जायं और इन निहित स्वार्थों से यह विदित होगा कि जनता के दबाव से ही शासक दल ने इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है और तब आप इसका विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं, शासक दल के अन्दर परिवर्तन हुआ और जनता ने ही यह क्रांतिकारी कदम उभारा तो वह सन् 1969 के इलेक्शन में हुआ। शासक दल हिम्मत नहीं कर सकता था कि जो वायदे उसने मध्यावधि चुनाव में जनता के सामने रखे थे उन्हें आप हटा दें। मान्यवर, मैंने यह चीज देखी। अभी भी कोशिश की जा रही है।

मध्यावधि चुनाव में इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला और जनता ने उससे कहा कि यदि आप संविधान को संशोधित करना चाहते हैं तो करें किन्तु निहित स्वार्थों के लिये नहीं। क्योंकि जनता समझती थी कि कहीं वह स्थिति न पैदा हो जाय क्योंकि आप बुनियादी नीतियों को छोड़कर बाहर चले गये थे। आज आप फिर से चोर दरवाजे से कांग्रेस में शामिल हो रहे ह और निहित स्वार्थों के ऊपर हमला कर रहे हैं। मान्यवर, यह शंका कब पैदा हुई। यह शंका तब पैदा हुआ जब यह संशोधन पार्लियामेंट में पेश हुआ और उसमें निहित स्वार्थों के ऊपर दबाव पड़ा। इसके साथ ही कुछ और भी संशोधन सरकार की तरफ से पेश किये जाते हैं। मैं कांग्रेस के उन पार्लियामेंट के मेम्बरों को बधाई देता हूं जिन्होंने कि अपने नेतृत्व के ऊपर दबाव डाला और इसके लिये संघर्ष किया और फलतः जिस प्रकार के संशोधनों के स्वरूप रखे गये थे, उनको उन्हें वापस लेना पड़ा।

मैं कांग्रेस के उन दोस्तों को बधाई देता हूं जिन्होंने यह समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें निहित स्वार्थों के अन्दर आकर कोई नीति अपनाई जाय। मान्यवर, बहुत शोर यहां पर किया जाता है कि यह कौनसा क्रांतिकारी कदम है किन्तु इसके जरिये आप क्या करने जा रहे हैं पहले तो आप यह देखिये। इस संशोधन के जरिये आप केवल पार्लियामेंट को अधिकार दे रहे हैं और वह यह है कि जनहित में जिसे सम्पत्ति का अधिकार है, वह किया जाय और उसका प्रतिकर क्या दिया जाय। सिर्फ यही अधिकार आप पार्लियामेंट को दे रहे हैं। इसके जरिये कोई विदेशी वस्तु नहीं ला रहे हैं, राष्ट्रीयकरण की बात नहीं कही जा रही है, कोई समाजवादी व्यवस्था की बात नहीं कही जा रही है कोई इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया नहीं जा रहा है सिर्फ पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया जा रहा है।

मान्यवर, हम क्यों इसका समर्थन करते हैं। इसलिये नहीं करते हैं कि इससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं किन्तु इसलिये करते हैं कि इससे हम सरकार के शासक दल से कह सकते ह कि सुप्रीम कोर्ट में जो बाधा आपके मार्ग में लगाई थी और उसके फैसले से जो बाइंडिंग आपने

लगाई थीं और आपको बहाना मिल गया था वह आज हट चुका है । आज हम उनको इससे याद दिला सकते हैं कि जनता के सामने जो आपने वायदे किये उससे जनता का सम्बन्ध बन चुका है और वह जनता का हथियार हो चुका है इसको लेकर जनता आपको मजबूर करेगी और इसी को लेकर जनता ने आपको शक्ति प्रदान की है। मान्यवर, जो लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि सरकार का इसमें निहित स्वार्थ है और सरकार कम्युनिस्ट हो गई है तो ऐसी बात नहीं है। मैं भी अपने दल की तरफ से कहता हूं कि जहां तक सम्पत्ति के अधिकार का सवाल है, मैं समझता हूं कि कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो गरीब का साथ न दे और उसका लोटा छीनने की कोशिश करे, कोई पार्टी यह नहीं चाहेगी कि मजदूर की झोपड़ी और उसके खेत को ले लिया जाय और उसका मुआवजा उसे न दिया जाय।

मैं कहता हूं कि पिछले 25 वर्षों के अन्तर्गत हमारे देश में यह मसला बावजूद इसके कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल उस दिन भी मौजूदा था, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सामने नहीं था, जिस आधिपत्य को हमने जन्म दिया है उससे क्या स्थिति हमारे देश में पैदा हो गयी है? 60 प्रतिशत व्यक्ति हमारे देश में ऐसे हैं जो भुखमरी की हालत में हैं, अपना पेट नहीं भर सकते। 82 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके पास खर्च करने के लिये 1 दिन में 1 रुपया भी नहीं है और 20 प्रतिशत हमारे देहात के रहने वाले खेतिहर मजदूर हैं जो आज खेती के लिए तड़प रहे हैं, जो जोतना चाहते हैं लेकिन एक इंच भी धरती उनके पास नहीं है।

नेता विरोधी दल ने सही कहा था। सन् 47 के अन्दर देखें कि टाटा और बिड़ला दो खानदान के पास 500 करोड़ की पूंजी थी केवल, लेकिन जिस समय मोनोपोली कमीशन की रिपोर्ट आई उस समय यह पूंजी 500 करोड़ से बढ़ कर 700 करोड़ हो गयी और जब मोनोपोली कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी और महालोनोबीस कमीशन की रिपोर्ट आ गई, पार्लियामेंट को मिल गयी और सरकार ने ऐलान किया कि हम मोनोपोलीज को खत्म कर रहे हैं, उसके बाद क्या हालत होती है कि वह पूंजी 700 करोड़ से बढ़ करके 1300 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जबकि आपके सामने इस बात के तथ्य आ गये थे कि किस तरीके से देश के अन्दर मुट्ठी भर आदमियों के साथ में पूंजी सिमटती जा रही है। फिर भी वह पूंजी 700 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ तक हो जाती है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि जो सम्पत्ति के अधिकार के बारे में बात करते हैं तो आप किसके अधिकार की रक्षा करते हैं? क्या बिड़ला साहब की रक्षा करना चाहते हैं? क्या उन बैंक पतियों की रक्षा चाहते हैं? क्या जमींदारों की जमीन की रक्षा करना चाहते हैं? या उन लोगों की रक्षा करना चाहते हैं जिनके पास कोई दौलत नहीं है ? केवल एक सम्पत्ति है और उसको कहते हैं श्रमशक्ति, लेबर पावर। जिनकी सम्पत्ति लेबर पावर है, अगर उसको अर्जित करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सा कम्पेंसेशन देते हैं? क्या उसकी उचित कीमत देते हैं? एक मजदूर की मजदूरी की पूरी कीमत अदा नहीं कर सकते, उसको गारन्टी नहीं कर सकते। गारन्टी करना चाहते हैं बिड़ला को कि आपके कारखाने पर हाथ नहीं लगाया जा सकता जब तक कि पूरा मुआवजा नहीं दिया जायगा।

दूसरे, मैं पूछना चाहता हूं--बहुत से लोग मेरी विचारधारा को नहीं मानते जो लोग इससे विरोध करते हैं तो भी नहीं मानते, जो अपने को जनतंत्रीय कहते हैं, डेमोक्रेसी पर यकीन रखने वाले बताते हैं। तो जिन मुल्कों में डेमाक्रेसी है, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज कहलाते हैं ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके संविधान में अधिकार है, मौलिक अधिकार है सम्पत्ति का? किस संविधान के अन्दर ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर कोई सम्पत्ति जनहित के अन्दर आवश्यक हो अर्जित करना तो उसका अर्जन न किया जाय? हर संविधान में अधिकार है। यही नहीं, सन् 1915 की डेमोक्रेसी में भी जबकि पूंजीवाद का बोल बाला था, के अन्दर भी इस अधिकार को माना गया है कि जनता को जनहित के अन्दर कानून के जरिये सम्पत्ति को अर्जित करने का अधिकार है ।

[श्री गोबिन्द सिंह नेगी—]

एक अफसोस अवश्य है। इस संशोधन के अन्दर जो आखिरी पैरा है :—

"परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई जाय वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध उसे तब तक लागू न होंगे जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किये जाने के पश्चात्, उसकी अनुमति न मिल गई हो।"

इस संशोधन के बारे में कुछ शंकाएं पैदा होती हैं और होने के आधार हैं। हमने देखा, बिहार के अन्दर सरकार ने टाटा की जमींदारी को खत्म किया। टाटा की जमींदारी को खत्म करने का विधेयक बिहार की असेम्बली के अन्दर वांछित बहुमत से पास हुआ है। वह केन्द्र के अन्दर जाता है। केन्द्र के ऊपर दबाव पड़ता है और केन्द्रीय सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं।

मान्यवर, यही हालत केरल में है। ऐसे ही कुछ विधेयक वहां पास किये गये जो न केवल कम्यूनिस्ट पार्टी बल्कि शासक कांग्रेस की मर्जी के साथ पास किये गये। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनको भी केन्द्रीय सरकार की एडवाइस पर राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी। असेम्बलियों को क्यों नहीं यह अधिकार देते हो। राज्य के क्षेत्र में अगर विधान सभा कोई विधेयक पारित करे तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। हमारे प्रदेश में हम समझते हैं कि प्रैक्टीकल समस्या सामने आने वाली हैं। शासक दल और मुख्य मन्त्री जी दृढ़ हैं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है और विरोधी दलों की भी ऐसी इच्छा है कि सरकार चीनी मिलों को अपने हाथ में ले लें। लेकिन इन संशोधनों के द्वारा विधान सभा के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। जब पार्लियामेंट को अधिकार दे रहे हैं तो विधान सभाओं को देने में क्या आपत्ति है? जनता के नुमायंदे पार्लियामेंट में भी हैं और विधान सभाओं में भी हैं। अखिल भारतीय पार्टी के लोग दोनों में हैं।

श्रीमन, आज वास्तविकता यह है कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न परिस्थितियां हैं। किसी प्रदेश में किसी पार्टी का बहुमत है और वह कोई संशोधन करना चाहती है लेकिन आप उस पर अंकुश लगा देते हैं। अन्त में मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं इस आशा से कि इसके पारित होने के बाद शासक दल के लोगों ने जो नेता वायदे किये उनको पूरा करेंगे। हमारे प्रदेश में जो लाखों रुपया विदेशी कम्पनियों का लगा हुआ है वह बिना किसी मुआवजे के सरकार अपने हाथ में ले ले। इसलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूं कि कोयले की खानों को सरकार अपने हाथ में ले ले और 75 खानदान जो हमारे अर्थतन्त्र पर हावी है उनकी इजारेदारी खत्म की जायगी। हमारे प्रदेश में अरबन सीलिंग का बिल मुख्य मन्त्री जी लायेंगे और जो नया नक्शा जनता को दिखाया है उससे देश का नया निर्माण करेंगे।

इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिये सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को सूचित करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिये 5/5 सदस्यों के निर्वाचनार्थ निर्धारित समय के भीतर अतिरिक्त नाम वापस नहीं लिये गये। अतः अब मतदान 20 जनवरी, 72 को विधान मंडल पुस्तकालय में 12 बज से 4 बजे तक दिन में होगा।

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (क्रमागत)

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे यहां एक कहावत है कि "मुख में राम बगल में छूरी"। हमारे यहां एक गिरहकट राम राम-कहता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में त्रिपाठी जी उसको मिल गये। उन्होंने कहा कि यह गिरहकट राम-राम आज कैसे रट रहा है। तब तक और लोग भी चले आये और कहा कि गिरहकट को भी राम नाम कहते रोका नहीं जा सकता। इस तरह की एक अच्छी चीज हो सकती है लेकिन मुझे शंका है जो मैं बाद को व्यक्त करूंगा इसके मातहत गिरहकटी भी होगी। लेकिन एक अच्छी बात भी जरूर है और संपत्ति का जो मोह है उसको दूर करने के लिये संविधान के द्वारा कराया जा रहा है, एक अच्छी बात है। राजमंगल पांडेय जी बोल रहे थे, मैं इनका आभारी हूं उन्होंने और माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस चीज को कबूल किया कि पूंजी और संपत्ति का केंद्रीयकरण हो गया है, उसको हटाने के लिये इस संशोधन को लाया गया है। श्रीमन्, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह केंद्रीयकरण किसने कर दिया। भगवान ने तो पैदा किया नहीं जो भी केंद्रीयकरण हुआ है वह केंद्रीय सरकार की देन है और मैं यहां तक कहूंगा कि केवल एक परिवार की देन है, नेहरू परिवार की। संविधान के न जाने कितने संशोधन हुए हैं और इतना संशोधन संविधान में शायद कहीं न हुये हों। यह भी खेद का विषय है। अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने यह संविधान बनाया होता तो यह बात न होती। इसीलिये डाक्टर लोहिया मांग किया करते थे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संविधान बनाया जाय।

जब संपत्ति के मोह की बात आती है तो धारा 31, 19(च) और 14 में इसका जिक्र है। 31 में यह है कि सार्वजनिक उपयोग के लिये अगर किसी की संपत्ति को लिया जायगा तो उसको मुआवजा दिया जायगा। जैसा कि राजस्व मंत्री जी ने बताया कि बेला बनर्जी के केस में न्यायालय ने यह कहा कि पूरी कीमत मुआवजा होता है। यद्यपि उसके बाद चौथा संशोधन संविधान का हुआ लेकिन उसमें कम्पेंसेशन के बारे में निर्णय करने के अधिकार न्यायालय के क्षेत्र के बाहर किया गया। उसके बाद बजबल्लभ नाम के डिप्टी कलेक्टर का केस हुआ और उसमें भी यही फैसला हुआ। उसके बाद कपूर ब्रदर्स भारत सरकार वाले केस में ठीक यही बात आयी और अन्य में प्रिवीपर्स के मामले में भी यही हुआ कि पूरा मुआवजा देना ही प्रतिकर समझा जायगा। अगर ऐसी स्थिति मान ली जाय तो बिरला, टाटा, सिंहानिया की पूंजी और संपत्ति तो कभी ली ही नहीं जायगी। इसलिये यह ठीक ही किया गया कि कम्पेन्सेशन की जगह "राशि" रख दिया जाय। मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें एक दुविधा की बात है कि धारा 12(ख) में केवल 19(च) का जिक्र किया गया है, जब कि खंड 3 में पूरे अनुच्छेद 19 को ले लिया गया है।

इस में लिखा है कि वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 अथवा अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है लेकिन यह जो 14 है और 31 है वह तो मात्र सम्पत्ति से संबंधित है। लेकिन धारा 19 में सम्पत्ति के अलावा अन्य स्वतंत्रताओं का जिक्र है कि "सब नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का, शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संस्था या संघ बनाने का, भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार का या कारबार करने का, अधिकार होगा" इस संशोधन के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि प्रेस वालों का भी बड़ा सवाल उठता है और उन्होंने प्रस्ताव भी पास किया है कि इसका मतलब हमारी स्वतंत्रता का हनन होगा और मैं भी यह समझ रहा हूं कि अगर आप पूरा अनुच्छेद इन तमाम तरह की स्वतंत्रता के विषय में संशोधित

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

कर देंगे तो यह वाक् स्वतंत्रता और सम्मेलन संस्था की स्वतंत्रता सब खत्म हो जायगी। मैंने यह इसलिये कहा कि हम सम्पत्ति का विकेंद्रीकरण नहीं चाहते हैं, यह सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता कि न हो। कौन नहीं चाहता कि गरीबी मिटाई जाय? यह जरूर मिटाई जाय लेकिन उसको मिटाने का क्या यही तरीका है?

आप देखें कि आज अमरीका में 33 प्रतिशत और भारत में 8 प्रतिशत पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में हुई है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि आप इस कदम के द्वारा सार्वजनिक पूंजी लगाने की बात करते हैं। 33 प्रतिशत सार्वजनिक पूंजी लगाने वाला अमरीका पूंजीपति कहलाता है और आप 8 प्रतिशत में समाजवाद ला रहे हैं। इस तरह से तो आप भुट्टो का भी राष्ट्रीयकरण देखें, जितनी पाकिस्तान में विदेशी पूंजी थी वह जब्त कर ली गई और उसका कोई मुआवजा भी नहीं देना है। वह समाजवादी नहीं हैं और आप समाजवादी हैं। मैं आप के सामने केवल 2 ही साल के यह आंकड़े दूंगा। सन् 69-70 में सार्वजनिक क्षेत्र में जो पूंजी लगी वह 1990 करोड़ थी और निजी क्षेत्र में हमारे यहां 1750 करोड़ की पूंजी लगी। इस तरह से निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में 1969-70 में 240 करोड़ अधिक पूंजी लगी। आप इन के समाजवाद के रट को देखिये। 1970-71 में सार्वजनिक क्षेत्र में 2225 करोड़ पूंजी लगी और निजी क्षेत्र में 2115 करोड़ लगी, इसका मतलब यह हुआ कि निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 110 करोड़ रुपया अधिक लगी।

आप अपने को समाजवादी कहते हैं लेकिन आप का जो यह नकशा है, यह बताता है कि आप जनता में धन का वितरण नहीं करेंगे। सम्पत्ति के अधिकार में आपको केवल मूलाधिकार के अनुच्छेद से हटा देना चाहिये था। जितने भी हमारे राजनीतिक निर्देशक तत्व हैं। शिक्षा, निशुल्क शिक्षा, पौष्टिक आहार और अन्य जितने भी राजनीतिक निर्देशक तत्व हैं क्या इस सरकार ने एक का भी पालन किया है? यदि उनका पालन हो गया होता तो हिन्दुस्तान में कोई भी गरीब न होता। आपने क्यों केवल धारा 39 को ही लिया है? आप 38 को भी देखें, जो सबसे व्यापक है। इसमें लिखा है कि:—

"राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें, भरसक कार्य-साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा।"

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती) पीठासीन हुये।)

आज हिन्दुस्तान में न केवल आर्थिक विषमता है बल्कि सामाजिक विषमता भी है। यह सामाजिक विषमता किस कारण से बनी है, करोड़ों इंसानों पर मन की मार, पेट की मार इस जाति विषमताओं के कारण बनी है। अगर आज इसमें धारा 38 को भी लिया गया होता तो यह जाति विनाश का भी कारण बनता। समाज में शोषण करने वाली अन्य जातियों की इजारेदारी हो गयी है। आज इस इजारेदारी के कारण पिछड़ी जातियों के लोगों को 1/2 परसेंट भी जगह नहीं मिल पा रही है। आर्थिक इजारेदारी को समाप्त करने के साथ-साथ सामाजिक इजारेदारी को, जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, जो मेहनत नहीं करते हैं, मशक्कत नहीं करते हैं, श्रम करना पाप समझते हैं, जब कि महात्मा गांधी ने कहा था कि बालिक मताधिकार उनको नहीं मिलनी चाहिये जो श्रम नहीं करता है। मैं बहुत प्रसन्न होता अगर 39 धारा के साथ-साथ 38 को भी मिला दिया होता। आप उसे छोड़ रहे हैं। आप कुछ करने वाले नहीं हैं। याद रखिये कि अगर युग आ गया तो यह 38 धारा भी शामिल होगी।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

श्रीमन्, जब हिन्दुस्तान का संविधान बना था, उस समय सोशलिस्ट पार्टी ने इस संविधान को यह कहकर विरोध किया था कि इसमें ऐसी धारायें मौजूद हैं जो पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों का संरक्षण करती हैं । जिन कारणों से हमने संविधान का विरोध किया था उनमें एक धारा यह भी थी जिसको 25वां संशोधन विधेयक के नाम से संशोधन किया गया है । यह भी उसमें सम्मिलित थी । उस समय के लोकतंत्र समाजवाद के संस्थापक और महान सामाजिक आचार्य नरेंद्र देव ने इस धारा का क्यों विरोध किया था ? यह पूंजीपतियों को संरक्षण देती है और निहित स्वार्थों का संरक्षण करती है । इस धारा को तथा और धाराओं को लेकर सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि हिन्दुस्तान का संविधान पूंजीपतियों का संरक्षक है और किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोधी है । आज अगर समाजवादी आचार्य नरेंद्र देव होते तो इस धारा के संशोधन पर जितने खुश होते, उतनी खुशी शायद किसी को न होती ।

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इसका मतलब यह नहीं कि मैं समझता हूं कि इससे इस समाजवाद आ गया है । समाजवाद आने का प्रश्न नहीं है लेकिन प्रश्न इतना है कि जितनी भी धारायें पूंजीपतियों के स्वार्थों का संरक्षण करती हैं उनको हटाने का जितने भी दल हैं जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, समर्थन करना चाहिए । मान्यवर, संसद में मेरे दल संसोधा भे इस 25 वें संशोधन के पक्ष में मत दिया था जिसकी मुझे खुशी है । मैं भी इसका दिल से समर्थन करता हूं । संविधान में जब तक यह धारा थी तब तक कोई भी कदम समाजवाद की ओर नहीं उठाया जा सकता था । वैसे तो अविभाजित कांग्रेस ने समाजवाद को मान लिया था लेकिन केवल वह एक नारा ही रहा । लेकिन अब यह एक कदम उठाया गया है और इस कदम से इतना है कि जो धारा पूंजीपतियों के स्वार्थ को संरक्षण देती थी वह हटा दी गयी है । लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि केवल इस धारा के हटा देने से साजवाद नहीं आ जायेगा । समाजवाद को लाने के लिये इस धारा की जगह यह धारा भी जोड़नी पड़ेगी जो कि पूंजीपतियों पर चोट करे और जो खाई गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ती जा रही है पिछले 24,25 सालों में वह पट सके ।

मान्यवर, आज 25 साल आजादी प्राप्त किये हो गये लेकिन जहां तक एक तरफ अमीरी बढ़ रही है वहां दूसरी तरफ गरीबी बढ़ रही है । इसलिये जब तक अमीरों की सम्पत्ति, टाटा, बिड़ला की आमदनी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा तब तक समाजवाद आने वाला नहीं । हमारे देश में 70 या 75 ऐसे परिवार हैं जिनके पास देश की सम्पत्ति का आधा भाग है और बाकी आधा भाग देश की 56 करोड़ जनता के पास है । यह जो संशोधन हुआ है यह समाजवाद की ओर एक कदम है । यह धारा हटाना आवश्यक था और मैं तो कहता हूं कि कोई भी समाजवादी विचार धारा का व्यक्ति सत्ता में आता तो यह इस धारा को हटाता ।

आज जितने भी समाजवादी मुल्क दुनिया में हैं वह इससे भी आगे जाने की बात करते हैं । हिन्दुस्तान में भी हमें कई एक ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे । श्रीमन्, हमें एसा भी संशोधन करना पड़ेगा जिससे कि आमदनी पर प्रतिबन्ध लग सके । जितना हम आगे बढ़े हैं उसका तो हम सबको स्वागत करना ही चाहिये लेकिन साथ ही सरकार पर यह दबाव

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हुकुम सिंह परिहार]

डालना चाहिये कि वह आमदनी पर भी प्रविबन्ध लगाये । टाटा बिड़ला की आमदनी लाखों रुपया है जबकि एक किसान और मजदूर की आमदनी एक रुपया आठ आने के बीच में है। इसलिये इस आमदनी की बिषमता को दूर करना भी आवश्यक है ।

(उस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं इस 25वें संशोधन का समर्थन करता हूं और अपने उन भाइयों से जो अपने को समाजवादी कहते हैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह उसका जो विरोध कर रहे हैं वह न करें। इससे न तो समाजवाद की शोभा बढ़ती है और न उनके दल की शोभा बढ़ती है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी 4 वक्ता और हैं । समय बढ़ाना पड़ेगा ।

एक सदस्य---

बढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष --

ठीक है संक्षेप में कहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष जी, यह जो बहस चल रही है, इस बहस के सिलसिले में हमारे दल की तरफ से श्री पांडेय जी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अपनी कुछ जो मौलिक शंकायें हो सकती हैं, जो इस बहस के सिलसिले में पार्लियामेंट में भी और राज्य में भी जाहिर की गई हैं, उनका जिक्र भी किया । मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो 25 वां संशोधन बिधेयक है उसमें आप देखें कि जो दूसरा खंड है उसके अंतिम परन्तुक में कहा गया कि, "परन्तु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाई जाय वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध उसे तब तक लागू न होंगे जब तक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित किये जाने के पश्चात्, उसकी अनुमति न मिल गई हो ।"

एक तरफ तो श्रीमन्, इस 25 वें संशोधन बिधेयक के अन्तर्गत पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर देने की बात है और यहां जो हमारा मौलिक अधिकार है वह भी अगर कहीं कुंठित होता हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं रखी गई । अगर सम्पत्ति तक ही यह अधिकार सीमित रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ता है । एक बात की ओर मान्यवर, मैं और ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जैसे हर नागरिक को कोई कार्य करने की छूट है और कोई पेशा करने की छूट है तथा किसी भी तरह उसको अपनी आजीविका चलाने की छूट है । अगर किसी पेशे के सिलसिले में, या व्यापार आदि के सिलसिले में अगर उसको दिक्कत पैदा हो तो उसको मनाही की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के मामले में कैसे यह कहा जाता है कि चूंकि यह एक सुप्रीम बाडी है उसको यह अधिकार रहना चाहिये और लेजिस्लेचर के बारे में यह कहा जाता है कि तब प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति की स्वीकृति उस विधेयक को प्राप्त हो जाय । यह क्या मामला है ? मैं इसकी सफाई सरकारी पक्ष से जानना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है ।

लोक सभा को और राज्य सभा को या यूं कहिये संसद को पूरा अधिकार हो और विधान मंडल को यह अधिकार सुरक्षित रहे । अंतिम अधिकार सुरक्षित रखेगा राष्ट्रपति-क्यों और मान लीजिये श्रीमन्, अगर एक प्रदेश में एक दल की सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है और एक दल की सरकार वहां कोई क्रांतिकारी कदम उठाना चाहे तो राष्ट्रपति की सिफारिश का मतलब है केंद्रीय सरकार की सिफारिश और केंद्र सरकार को वह बात अगर मुनासिब न लगे तो विधान मंडल के अपने बनाये गये कायदे कानून प्रभावी नहीं होंगे। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा क्यों है । मेरे मित्र, नेगी जी बैठे हैं, उन्होंने बिहार का एक उदाहरण जीता जागता दिया और उनकी शंका हो सकती है

अभी नेगी जी ने एक उदाहरण दिया। श्रीमन्, इसी दल की सरकार वहां थी, चीफ मिनिस्टर उस के, नेगी जी और उन की पार्टी उस में पार्टनर और आपका कहना यह है कि जो भूमि सुधार का, कानून बिहार में बन गया उसको राष्ट्रपति साहब की स्वीकृति नहीं मिली। किन्तु क्या कारण है उसके पीछे ? और ठीक इसी तरह से मान लें श्रीमन्, कि आज की हालत में भी तामिलनाडू में या उड़ीसा में या केरल में दूसरी सरकारें हैं। अगर वे सरकार कोई इस प्रकार का कानून बनावें जो उस प्रदेश के जनहित में हो, कोई भी क्रान्तिकारी कदम उठायें जो जनहित में हो, लेकिन वह तब तक लागू नहीं होगा, माना जायगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार विचार करके राष्ट्रपति से उसकी सिफारिश न कर लें और राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति न मिल जाय।

मोटे तौर पर क्या हुआ ? मोटे तौर पर यह हुआ कि सारे माहौल में, सारी प्रदेशीय सरकारों के लेजिस्लेचर के अधिकार सीमित किये जाने की भी एक व्यवस्था इसमें हो रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या विधान मण्डलों के अधिकार सीमित करने का भी काम कोई क्रान्तिकारी कदम कहलाने की क्षमता कैसे रखता है,। यह बात मैं जानना चाहूंगा लेकिन यह कहूंगा न केन्द्रीय सरकार को उसको सारे हिन्दुस्तान भर के लोगों का बहुमत प्राप्त है न वह जनता की इच्छाओं के अनुरूप चुनी हुई सरकार है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेशीय सरकार को किसी दूसरे वोटरों ने चुना है ? वोटर लिस्ट एक ही है। वही जनता प्रदेश की सरकार को और वही जनता केन्द्र की सरकार को चुनती है। प्रदेश में चुने हुये व्यक्ति लेजिस्लेचर में जो आते हैं, वे अपने अपने मैनिफेस्टो के आधार पर ही चुने जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि उन बातों को राजनीति से अलग कैसे किया जा सकता है। सारी बातें राजनीति से ताल्लुक रखती हैं। जब सारी बातें राजनीतिक से ताल्लुक रखती हैं, ठीक हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि रोटी का सवाल राजनीति से भरा हुआ है। इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह बात है, तो किसी भी प्रदेश में राजनीतिक दल से जो पीपुल्स मैन्डेट मिलेगा अपने प्रदेश के पैमाने पर, उसको उसे कार्यान्वित करने का हक होगा या नहीं। अगर है तो इस क्लाज की कोई आवश्यकता मुझे नहीं दिखायी देती। श्रीमन्, मैं दूसरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष--

मान लीजिये कि तामिलनाडू की सरकार ऐसा कानून बनाये। राष्ट्रीय झन्डे के नीचे, शांतिपूर्ण ढंग से भी कोई असेम्बलेज नहीं हो सकता है, तब जनहित विरोधी भी हो सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, अगर केन्द्र की ही सरकार कानून बनादे तब ?

श्री उपाध्यक्ष--

सब के लिए है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने प्राइम मिनिस्टर साहिबा की स्पीच पढ़ी। इस सिलसिले में वक्त कम है। उस सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी सरकार या कोई भी पार्लियामेंट जो इस प्रकार का काम करेगी, वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती।

श्री उपाध्यक्ष--

यह जन जन की है। जन बनाम जन। हो सकता है जैसे एक प्रदेश की जनता वैसे दूसरे प्रदेश की जनता . . .

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप कहें।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे भी शंका हो गयी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने इसलिए कहा कि आखिर में एक ही प्रदेश की जनता का ही सवाल नहीं है। आपने उदाहरण भी दे दिया। मैं दूसरा पहलू लेता हूं। जो उदाहरण आप ने दिया। जो बात यहां कही जाती है वह यह कही जाती है कि केवल आर्थिक दृष्टिकोण से इस विधेयक को लाया गया है। जो सम्पत्ति इकट्ठा हो गयी है, भूमि अर्जन का सवाल है, प्रापर्टी अर्जन का सवाल है और दूसरे सवाल हैं। आपने जो उदाहरण दिया वह हमारी शंका को और बलवती बनाने वाली बात है। वह ऐसा करे या न करे। लेकिन दूसरी सरकारें ऐसा करना चाहती हैं जिन के हाथों में अधिकार सुरक्षित हैं। तो वे तो शायद कर सकते हैं। दूसरे कर पायें या न कर पायें। वे ऐसा कर पायेंगे। यह मैंने इसलिए बात कही।

श्री उपाध्यक्ष--

मान लीजिये देश की जो सरकार है वह देश की जनता द्वारा चुनी जाती है और जन-मत का अंकुश उस के ऊपर रहता है और प्रदेश की जनता जितनी है, वह प्रदेश की भावनाओं से अगर आग्रस्त हो जाय तो क्या उस को केन्द्र की एकरूपता के उपक्रम में लाने की चेष्टा को अनुचित कहेंगे ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

आर्थिक दृष्टिकोण से यह किया जा रहा है। आप इसके उद्देश्य और कारणों को देखें। जो गोखले साहब ने लिखा है उसमें केवल इसके उद्देश्य और कारणों का सवाल है। मैं यह मानता हूं कि इस म उन्होंने जो फन्डामेन्टल राइट्स वाले क्लाज को संशोधित करने की बात की है। वह बात उधर जाती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें इनका यह कहना है कि प्रति कर शब्द की जगह राशि शब्द रखने के लिए सारे संशोधन होने जा रहे हैं। प्रतिकर की जगह राशि।

अब श्रीमन्, एक बात और है। मैं फिर प्राइम मिनिस्टर साहिबा के भाषण का जिक्र करूंगा जिस में उन्होंने कहा है कि इस से गरीबी नहीं हटने वाली है, कोई चीज नहीं होने वाली है। यह बहुत मामूली बात है जो की जा रही है। इस सिलसिले में श्रीमन्, आप अगर चाहें तो देख लें कार्यवाही के पृष्ठ 108 पर "It is not removing poverty, it is not the whole of inequalities, it is not removing all the injusticels that exist, it is a very very small step that helps a little." यह समाजवाद का ढिंढोरा हम बहुत सुन रहे हैं। सारा समाजवाद समाजवाद गरीबी हटाइये, गरीबी हटाइये और प्राइम मिनिस्टर साहिबा का जो भाषण है वह मैंने आपको पढ़ कर सुना दिया। आप देखें कि क्या किस प्रसंग में यह बात कहीं है ? इसलिए कि प्रतिकर की जगह राशि शब्द इस्तेमाल करेंगे लेकिन हमारे पण्डित जी कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी धनराशि को राज्य सरकार नियत करेगी वह अधिकार द्वारा ले लेंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या यह पावर प्रतिनिहित विधायन के अन्तर्गत लेने का इरादा सरकार या मन्त्री जी का तो नहीं रखते ?

एक सदस्य--

राज्य सरकार नहीं विधान सभा नियत करेगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

चाहे विधान सभा हो या संसद् दोनों जगह इस प्रकार कानून बनाया जा सकता है कि जिस से राशि रख दें। वह अधिकार सरकार अपने हाथ में ले ले चाहे यह सरकार हो या वह सरकार हो। दोनों जगह प्रतिनिहित विधायन लागू होगा। मान्यवर, यहां पर रोडवेज के टैक्स में 15 फीसदी बढ़ गया और आप ने कह दिया कि आप सोते रहे और टैक्स बढ़ाने का अधिकार दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कहा था कि आप सोते नहीं थे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कुछ ऐसा ही आप ने कहा। आप ने कुछ ऐसी ही बात कही जिस से हम मजबूर हो गये। लगातार इस बात की कोशिश है। क्या हम लोग चाहते थे कि 15 परसेंट जनता के ऊपर कर भार आप बढ़ा दें। इसकी जानकारी इच्छा के अनुरूप हो?

मान्यवर, यह जो अधिकार सन् 52 या 57 में सरकार को दिया गया है उसका इस्तेमाल यह आज कर रही है। यह कहां तक मुनासिब है। ठीक इसी प्रकार से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर्स को लेना यह सरकार के अधिकार में है। मेजारिटी की सरकार होती है। एक वोट से भी मेजारिटी नियत हो जाती है और एक वोट से सारी पावर्स चली जायेंगी उधर। जब यह चली जायेंगी तो सरकार के हाथ में यह बात सीधे सीधे पहुंच जायेगी कि न कि जनता के चुने हुये समस्त प्रतिनिधियों के हाथ में। हो क्या रहा है? जो हालत है आज प्रदेश में, जो हालत है आज देश में, जिस प्रकार से कानूनों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस प्रकार से लोगों के मन में शंकायें पैदा हो रही हैं, कानून का राज्य समाप्त हो रहा है और व्यक्ति का राज्य आरम्भ हो रहा है। मान्यवर, इस सभी चीजों को देखते हुये बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। क्या आज कोई भी आदमी अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में सुनिश्चित है, क्या कोई ऐसा समझता है? मैं तो समझता हूं कि नहीं।

मैं श्रीमन्, आप से निवेदन करूंगा, इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जनता के बीच में असमानता को दूर करने का कोई कदम उठायें। सवाल है आर्थिक असमानता का। सवाल है गरीबों को काम देने का, और मैं तो यह भी कहूंगा कि सिर्फ यह भी क्लाज जोड़ दिया जाय कि हिन्दुस्तान के हर एक नागरिक को काम देने की सरकार की जिम्मेदारी होगी। जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स हैं उनके अन्तर्गत बट और इफ का शब्द नहीं होना चाहिये। अगर यह हो जाता है तो उनका समर्थन करूंगा परन्तु मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि जिन के हाथों अधिकार दिये जा रहे हैं वे पाक हैं। इसके बावजूद भी अगर समाजवाद के नाम पर इस देश की गरीबी के मिटाने के लिए, गरीब जनता के नाम पर भुखमरी और बेकारी हटाने के नाम पर आप कुछ करते हैं तो म इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं फिर आपका तहे दिल से समथन करूंगा अगर सरकार कोई दूसरा कदम उठाने के लिए तैयार हो लेकिन मैं जानता हूं कि यह सरकार कोई भी ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकेगी। मने आपको प्राइम मिनिस्टर का भाषण पढ़कर सुना दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

अब ऐसा मालूम होता है कि समय बढ़ाना पड़े अथवा इसको समाप्त किया जाय। सरकारी पक्ष के कुछ वक्ता बोलना चाहेंगे। अब अगर आप चाहें तो समय बढ़ा दिया जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, आप जितना समय चाहते हैं बढ़ा दें।

एक सदस्य---

कल इसको एक घंटे के लिए लिया जाय ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मान्यवर, इसको आज ही ले लीजिये । कल करे सो आज कर, आज करे सो अब्ब ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, चीनी मिलों के बारे में भी आज ही ले लिया जाय, हम लोग रात में 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि सदन की राय है कि यथोचित समय बढ़ा दिया जाय ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)---

नियम 51 के बारे में आपने क्या किया ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो बाद में सुना देंगे, अभी तो यह हुआ कि समय बढ़ जाय ।

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें हैं । एक माननीय पारसनाथ सिंह की सूचना है । बहराइच जिले के विभिन्न भागों में सरसों की फसल में कीड़े लग जाने के फलस्वरूप फसल की क्षति के बारे में । मैंने माननीय कृषि मन्त्री को अविलम्ब कार्रवाई कर के राहत पहुंचाने के लिए लिख दिया है जैसा कि आपने कहा भी था कि जहां तक छिड़काव करा कर यह फसल बचायी जा सके बचायी जाय ।

श्री पारसनाथ सिंह---

मान्यवर, मैनुअल लेबर से अगर छिड़काव किया जायगा तो बहुत समय लग जायगा । लाही की फसल तैयार है फूल घुट रहा है, सारी फसल खत्म हो जायगी । हवाई जहाज से स्प्रे करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मैं कैसे कह दूं, वहां पेड़ हों, जंगल हों ।

श्री पारसनाथ सिंह---

जंगल में थोड़े ही फसल लगा करती है ।

श्री उपाध्यक्ष---

छिड़काव के लिए जो भी उचित व्यवस्था होगी वह करेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

द्रुत कार्रवाई से आप को मन्त्रीजी अवगत करायें ताकि आपका अंकुश रहे शासन पर ।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी तो उनको पहुंचा भी नहीं होगा ।

दूसरा माननीय सूबेदार सिंह का है प्रदेश के अनेक रीजनों में बुकिंग क्लर्क के पदों पर नियुक्ति हेतु पुनः प्रतियोगात्मक परीक्षा लिया जाना । यह सुझाव है । सरकार को लिख कर भेज दीजिये ।

श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)---

यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। एक परीक्षा अभी कुछ समय पहले हो चुकी है। उसमें हजारों की संख्या में लोग बैठे। उस परीक्षाफल को रद्द कर दिया गया और फिर दोबारा नाम एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से मांगे गये और उन लोगों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है जो पहले परीक्षा में ऐपियर हो चुके हैं। तो यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। इस से हजारों की संख्या में परीक्षार्थी प्रभावित हो रहे हैं और सरकार की नीतियों के प्रति भी अविश्वास पैदा हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

परिवहन मन्त्री जी, आप कुछ कह सकते हैं, इस बारे में ?

परिवहन मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव)---

ऐसा था कि शिकायतें गोरखपुर रीजन के बारे में आयी थीं। अन्य रीजनों के बारे में अनियमितता की कोई शिकायत नहीं आयी है.... (व्यवधान)

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)---

कौन सा रीजन है जिसमें धांधले बाजी नहीं हुई है ? इम्तहान लेते गये और रिजल्ट नहीं आउट हुआ। तो इसे आप स्वीकार कर लें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो अस्थायी एजेन्डा आज की तारीख के लिए छपा हुआ था उसमें हमारा एक पहला सवाल 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न था उजियार घाट में ठेका देने से सम्बन्धित। आज 19 तारीख बीत गयी और वह सवाल आया नहीं...

श्री उपाध्यक्ष---

आप चले गये सवाल से हट कर दूसरे सवाल पर।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप इस को निपटा लीजिये, बाद में इसके लिए हम को मौका दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री सूबेदार प्रसाद का है कि राजकीय सीमेंट फैक्टरी, डाला, जिला मिर्जापुर के दो मजदूरों की सेवा से निवृत किये जाने के फलस्वरूप मजदूरों में असन्तोष। इस को मंजूर नहीं किया। इस पर प्रश्न कर लें।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)---

आये दिन मजदूरों को निकाला जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष---

आपने दो मजदूरों को सेवा निवृत किये जाने के बारे में दिया है...

श्री सूबेदार प्रसाद---

उन्हें निकाल दिया गया है और मजदूर भूख हड़ताल पर हैं...

श्री उपाध्यक्ष---

इस के बाद श्री मोहन लाल कपूर का है कि अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन भुगतान समय पर न किया जाना, के सम्बन्ध में। इस पर माननीय शिक्षा मन्त्री ने अपना दृष्टिकोण और नीति स्पष्ट कर दी है कि उनकी नीति है कि हम दिलायें। अब जहां नहीं हुआ उसके बारे में शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, सारे प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि सरकार पैसा नहीं दे रही है...

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो शिक्षा मन्त्री जी के जिले के ही हैं। माननीय शिक्षा मन्त्री जी कुछ कहना चाहें कह सकते हैं।

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, यह बात सरासर असत्य है कि कहीं भी पैसा नहीं भेजा है। कोई एक-दो जगह ऐसी हो सकती हैं, सब जगह ऐसा नहीं है।

श्री मोहन लाल कपूर—

अपनी जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ में ही देख लें...

श्री उपाध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात होगी तो वह देख लेंगे।

इसके बाद माननीय हिम्मत सिंह और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का है, प्रदेश में बिजली की सप्लाई ठीक तरह से न होने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का है। यह नियम 51 के अन्दर स्वीकार नहीं किया गया...

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

कार्यवाही के लिए मन्त्री जी के पास भेज दें।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, भेज देंगे।

माननीय नित्यानन्द स्वामी और श्री जगन्नाथ खन्ना का है कि प्रदेशीय सरकार की लाटरी के टिकटों के नम्बरों में गड़बड़ी। यह नियम 51 में स्वीकार करने लायक नहीं है...

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, सारे प्रदेश में लाटरी का टिकट बिक रहा है। कौन इनको खरीदेगा जब काउन्टर-फाइल में दूसरा नम्बर होगा और टिकट में दूसरा नम्बर। श्रीमन्, इसमें लाटरी के प्रति और सरकार के प्रति अविश्वास होगा। हमारा रेवन्यू घटेगा...

श्री उपाध्यक्ष—

अगर लाटरी के प्रति सब में अविश्वास हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, बयान करा दें इस में। आपने सभी खारिज कर दिये...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पारस नाथ सिंह का है इसको स्वीकार नहीं किया गया है। कल तक सब वक्तव्य हो जायं यह संभव नहीं है इसलिए जो अधिकतम कार्यवाही मैं कर सकता था वह मैंने करा दी है।

अब इसके बाद श्री त्रिवेणी सहाय का है, गोण्डा जिले में कत्ल एवं डकैतियों में वृद्धि के बारे में। यह भी अल्पसूचित प्रश्न का विषय है नियम 51 का नहीं है।

आखीर में माननीय कल्पनाथ सिंह, माननीय बंशीधर पांडेय, श्री राम बिलास पांडेय और श्री करन सिंह का है रोडवेज बसों के किराये में 15 प्रतिशत की वृद्धि के सम्बन्ध में। अभी माननीय कल्पनाथ सिंह जी का भाषण हुआ तो उन्होंने कहा कि अधिकार दे दिया था...

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने नहीं कहा। आपने कहा था, वह मैंने कोट कर दिया। इसमें बयान दिलवा दीजिये। तमाम जनता तबाह हो रही है। चाहे पंडित जी हों, चाहे बलराम सिंह जी हों दोनों ने तबाह कर दिया इस प्रदेश को। सारे प्रदेश की जनता रो रही है। इस पर बयान दिलवा दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, रोडवेज के किराये और बिजली के बारे में, इन दोनों में वक्तव्य होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

जब यह अधिकार आपने दे दिया...

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, यह तो सभी का कहना है...

श्री उपाध्यक्ष---

यह एक औजार है सदन की सामर्थ्य को बढ़ाने का---वह चाहे पक्ष में इस्तेमाल हो या विपक्ष में।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इस पर कल बयान करा दें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मेरा नियम 52 का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 52 का नहीं, नियम 56 व 51 की सूचना उसी दिन दी जानी चाहिये। नियम 52 को हम देखेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

बिजली वाला प्रश्न मैंने 12 तारीख को भेजा था। कल भी विचार नहीं हुआ और आज भी विचार नहीं हुआ। 2 घन्टे से बिजली नहीं आ रही है। बिजली विभाग के मन्त्री इस पर वक्तव्य दे दें।

श्री उपाध्यक्ष---

समयाभाव है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

नियम 56 वाले सिलसिले में यह कहा गया था कि उस पर फैसला दे देंगे। यहां पर मुख्य मन्त्री जी बठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

अभी मिला है, इस को हम देखेंगे।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)---

हमारा नियम 51 का प्रश्न कहां गायब हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत कोई सवाल नहीं है। समय के बाद आप देंगे तो कैसे लिया जा सकता है ?

श्री मोती लाल देहलवी---

मान्यवर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आया था।

श्री उपाध्यक्ष---

उसको हम दिखवा रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आज के अस्थायी एजेन्डे में, जसा कि मैंने पहले कहा, उनका प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष---

अस्थायी एजेन्डा क्या था ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

अस्थायी एजेन्डा वही है जो आपके विभाग द्वारा छपता है और जिसको प्रोविजनल कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आज के लिए जो भी है वह अन्तिम नहीं है। दफ्तर में दिखवा कर हम बता सकते हैं कि आपका सवाल कहां गया, इस वक्त हम यह नहीं बता सकते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इस सवाल को कल लगवा दीजिये।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर, सन् 1971 में जो हमारी संसद बनी उसमें एक प्रकार से जनता का विश्वास निहित हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---

या तो मेरी भूल हुई हो या हमारे कार्यालय की---वह प्रश्न लगा हुआ है।

श्री मोती लाल देहलवी---

इस पर आपने क्या फैसला किया ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप क्यों बोल रहे हैं, आप कृपया आसन ग्रहण करें। जब आप खड़े रहेंगे तो फैसला कैसे होगा।

आपका प्रश्न जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील बिल्लहौर की दुकानों में क्रूड आयल न मिलने और उसका ब्लैक मार्केटिंग होने से किसानों में बेचैनी के सम्बन्ध में है। इसे मैं सम्बन्धित मन्त्री को अविलम्ब कार्यवाही के हेतु प्रेषित कर रहा हूं।

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (क्रमागत)

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय, सन् 1971 का वर्ष, आप देखें, बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णयों का और एक क्रान्तिकारी कदम का था। पिछले लोक सभा के चुनावों के बाद देश में स्थिरता और स्टैबिलिटी कायम हुई। जो अस्थिरता की स्थिति थी वह समाप्त हो गयी। दूसरा कदम यह था कि इस संसद के निर्णयों से और खास तौर से हमारे प्रधान मन्त्री जी की वजह से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके कारण इस भू-भाग में— इस भौगोलिक क्षेत्र में एक नये देश—बंगला देश की रचना हो गयी।

इसी प्रकार संविधान में अभी 24वां संशोधन पिछले सत्र में किया गया जिसे हमने स्वीकार किया। इसी प्रकार अन्य बहुत से ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने लिये जिनके द्वारा क्रान्तिकारी कदम उठाये गये और वे सभी गरीब और अमीर की वर्तमान खाई को कम करने के लिए ही किये गये। माननीय, जब जब कोई कदम संसद् ने उठाये, तो कुछ ऐसी वैधानिक आपत्तियां हर वक्त आगे आती रहीं जैसे अभी गोलकनाथ का केस हुआ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का केस हुआ, प्रीवी पर्स के मामले में आपने देखा कि हर समय सुप्रीम कोर्ट में आपत्तियां उठायीं जाती रहीं। उनको दूर करने के लिए ही यह संशोधन लाये जा रहे हैं। आज जो यह 25वां, संशोधन है यह बहुत उचित और जरूरी है। समाजवाद की परिभाषा के बारे में कहा गया उसकी परिभाषा न तो डा० लोहिया ही कर पाये न इधर से ही कोई कर पाया. . . (व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी—

डा० लोहिया को पढ़ कर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया संशोधन पर ही बोलें।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बीच-बीच में जो वैधानिक आपत्तियां उठायी गयीं उन्हीं के निवारण के लिए संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। इस के पहले भी 1953 में जब बनर्जी का केस हुआ था तो चौथा अमेन्डमेन्ट किया गया था संविधान में। उसके बाद एक नहीं कई केस हुये जिनके कारण संविधान में संशोधन आते रहे। जब संसद् का जो स्वप्न था वह पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज यह संशोधन लाना पड़ा जो अत्यन्त आवश्यक है। इस में कम्पेन्सेशन के लिए एक समान धनराशि रखने की ही व्यवस्था की जा रही है।

यह तो बहुत छोटा सा संशोधन है जिस में कम्पेन्सेशन की जगह एक धनराशि रखने का प्राविधान है जिसे संसद् निश्चित करेगी। इस से एक लाभ यह होगा कि मान लीजिये आज शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण होता है और उस के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी मुआविजे के रूप में देनी है। तो वह या तो नोट छाप कर दी जा सकती है, जो सम्भव नहीं है, या टैक्स लगाकर उस की आय से दी जा सकती है। टैक्स अगर लगता है तो उस का बोझ गरीब पर पड़ता है। वह हो नहीं सकता।

तो अब इस एमाउन्ट की जगह पर यह हो गया कि कितनी बड़ी लम्पसम रकम क्यों न हो, सदन, धारा सभायें या विधान सभाएं जो तय कर देंगी उसके एवज में वह प्रतिकर माना जाएगा और यह आवश्यक नहीं रह गया है कि सुप्रीम कोर्ट आदि से उसकी राय ली जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चेतराम गंगवार]

दूसरी बात इस अमेन्डमेंट में यह है कि वह कैश में न दिया जा कर किसी 'काइन्ड' में भी दिया जा सकता है। जैसे जमींदारी एबालीशन हुआ तो सरकार ने बांड्स लोगों को दे दिए। तो यह संशोधन बहुत ही समयानुकूल किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मान लिया जाए धारा सभाएं या सदन कोई ऐसा कानून अपने पक्ष में बना सकता है, क्योंकि सरकार उनके पक्ष की है, तब भी मैं कहना चाहता हूं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुये हैं। जो सीनियर वकील होते हैं, और ये लोग पेशकार वगैरह को 10- 10 रूपये देकर क्या-क्या कराते ह यह हम सब समझते हैं और श्रीमन्, यह आप भी समझते हैं।

लेकिन उपाध्यक्ष जी, यहां तो धारा सभाओ में जो लोग चुनकर जाते हैं उन पर जनता का विश्वास होता है, उनको जनता का विश्वास प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज जनता में नहीं जायेंगे, जब कि धारा सभाओं के मेम्बर्स जनता में जायेंगे। वह कोई गलत काम करेंगे तो जनता के सामने पांच साल बाद वे किस मुंह से जाएंगे और वे जनता के सामने अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं बरेली की एच0 आर0 शुगर मिल के सम्बन्ध में। केन्द्र का एक कानून है कि 7 रुपये 37 पैसे की दर से गन्ने के दाम का भुगतान किया जाए और मिल वाले 3 रुपये कुछ पैसे की दर से पेड करते थे। होता यह है कि जिसका पैसा होता है जिसका नुकसान होता है वह कोर्ट में जाता है, लेकिन यहां दूसरे पक्ष वाला मिल मालिक कोर्ट में चले गये और उन्होंने निर्णय दे दिया कि बोर्ड आफ मेम्बर्स को कोई अधिकार नहीं है और जो मिल तीन रूपये का करीब रेट देती है वह उचित है और सात रुपये सैंतिस पैसे की दर से भुगतान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से किसानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ जबकि सरकार के आदेश ह। तो इस तरह से जो अन्यायपूर्ण और निरंकुश वह निर्णय दे देते हैं, उन पर रोक लगनी ही चाहिए। सदन को इन बातों का अधिकार होना चाहिए। ऐसे संशोधन समय-समय पर होते रहने चाहिए जो जन हित में हों और जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हों उन पर अंकुश लगना चाहिए।

श्री उमाशंकर शुक्ला (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन की पृष्ठ-भूमि के विषय में दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है।

मैं इसके सम्बन्ध में बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि संविधान की कितनी प्रतिष्ठा और सम्मान होता है चाहे वह लिखित हो या अलिखित हो। हम यह भी जानते हैं कि वह शासन का मूल आधार होता है उससे सरकार का सारा कारोबार चलता है हमारा संविधान लिखित है। उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनमें मौलिक अधिकार ह, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स हैं, न्यायालय का उच्च स्थान है। इसके अतिरिक्त संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया है। वह भी उसमें दी हुई है। इसमें एक विशेषता यह भी है कि हमारे मौलिक अधिकारों को अगर कम किया जायगा तो हमारी न्यायपालिका को अधिकार होगा कि वह उसमें हस्तक्षेप कर सके। यह हैं हमारे संविधान की विशेषताएं।

मैं आपके सम्मुख यह कहना उचित समझता हूं कि इस संविधान को बनाने वाले कौन लोग थे। उस समय के देश के जितने विधि विशेषज्ञ, बड़े-बड़े राष्ट्रवादी नेता, सब दलों का सहयोग उसको प्राप्त है। इस प्रकार का जो हमारा संविधान है उसकी मंशा भी यही थी कि हमारे मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार हस्तक्षेप न किया जाय किन्तु हमारी सरकार जो तानाशाही की ओर बढ़ रही है, जब उसने यह देखा कि सुप्रीम कोर्ट उसमें दस्तअंदाजी कर रही है हमारे अधिकारों में कमी हो रही है तब से उसने जनता के सामने अपना यह मन्तव्य रखा कि हम चाहते हैं कि हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपिल्स हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर आ जायं। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान कांग्रेस की नीति की ओर दिलाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि सबसे पहले यह प्रश्न 1928 में मदरास कांग्रेस में आया। उस समय एक समिति नियुक्त की गयी जिसके अध्यक्ष माननीय मोतीलाल नेहरू थे। यदि आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो उन्हीं के शब्दों को दोहरा दूं।

It is obvious that our first care should be to have fundamental rights guaranteed in a manner which will not permit their withdrawal under any circumstances. Another reason why great importance attached to the Declration of Rights is the unfortunate exstance of communal differences in the history. Certain safefuards are necessary to create and establish a sense of security among those who look upon each other with distrrust and suspicion. We coould not better secure the full enjoymentof Religious and Communal Rights to all commun it e than by including the among the basic principles of Constitution.

यह ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ कोई बात नहीं कह सकता, विधि विशेषज्ञ, त्यागमूर्ति, दूरदर्शी नेता थे। उसके बाद यह प्रश्न बाद को 1947 में मौलिक अधिकारों के सम्ब ध में एक कमेटी बनी तो मोतीलाल नेहरू ने अप्रैल 1947 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था (व्यवधान) आई एम सारी, जवाहरलाल नेहरू। ऊपर का मोतीलाल नेहरू ने कहा है।

"A fundamental right should belooked upon, not frcm the point of view of any particular difficulty of the moment, but something you want to make permanent in the constitution The. other matters shouldbe looked upon however important it might be not from this permanent and fundamental point of view, but frcm the temporary point of view.

ये ऐसे लोग हैं जो कांग्रेसी के कर्णधार थे जिन्हें आप पूंजीपति नहीं कह सकते। इसी प्रकार डा0 अम्बेदकर ने कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में इस तरह की राय जाहिर की थी। यह निश्चित बात थी अगर फंडामेन्टल राइट्स का किसी तरह से हनन किया जा रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार होगा उसमें दखल देने का लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार आजकल तानाशाही की ओर बढ़ रही है, उसने संविधान को बिल्कुल खिलौना बना दिया है। 25 वर्ष के अन्दर यहां संविधान के अन्दर इतने संशोधन हुए हैं जितने अमेरिकन कांस्टीट्यूशन में पौने दो सौ वर्ष में नहीं हुए जिस पर कि हमारा संविधान आधारित है।

और एक विशेष बात मैं यह बतलाऊं कि जो भी अमेरिकन कांस्टीट्यूशन में संशोधन हुए हैं वे मौलिक अधिकारों को बढ़ाने के लिये हुए ह।

दूसरे हमारे यहां संविधान को संशोधन करने का तरीका भी बड़ा सरल बना दिया गया है। केन्द्र में दो तिहाई बहुमत से तथा राज्यों में केवल बहुमत से यह हो जाता है लेकिन किसी अन्य देश में ऐसा प्राविधान नहीं है। आप देखेंगे कि कैनाडा में जबसे संविधान बना तब से कोई संशोधन नहीं हुआ। अमेरिकन कांस्टीट्यूशन में जिस पर आपका संविधान बेस्ड है उसमें संशोधन करने की शर्त यह है कि केन्द्र तथा राज्यों में दो तिहाई बहुमत से वह संशोधन पास होना चाहिये तब वह संशोधन हो सकता है। अन्य देशों में अधिकांश में ऐसा प्राविधान है कि केन्द्र तथा प्रान्त में पास होने के बाद भी उसे रिफरेंडम के लिये भेजा जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यहां भी रिफरेंडम होना चाहिये।

कहा जाता यह है कि हम जनता की सरकार है और जनता के हित के लिये ऐसा कर रहे है लेकिन यहां सरकार 30, 40 प्रतिशत जनता के वोट से सरकार बन जाती है और वह सरकार अपने को सर्व शक्तिमान मान कर सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आप जनता के हितों का हनन करते जा रहे हैं और उसकी राय भी नहीं ली जाती है 25 वें संशोधन के जरिये से जो अधिकार आप लेने जा रहे हैं वह जनता के लिये दंड होगा। हो सकता है कि आपकी नियत साफ हो लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसे कौन जानता है? अगर भविष्य में कोई ऐसी सरकार आगई जिसके विचार आपसे भिन्न हो और वह इसका दुरुपयोग करने लगे तब क्या होगा? आप देखें कि बहुमत तो सत्ता से मिलता है। उसकी कई मिसाले आपके सामने ह। हिटलर, यहियां खां घाना क एन्कूमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो को कैसे

[श्री उमाशंकर शुक्ल]

बहुमत मिला ? तो बहुमत का दुरुपयोग भी हो सकता है। ऐसी सूरत में मैं यह कहूंगा कि यह संशोधन जनहित के बिल्कुल विपरीत है और मैं यह देख रहा हूं कि आपकी प्रवृत्ति यह है कि आप न्यायपालिका के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं।

मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां से जनता के अधिकारों को खत्म करने के लिये न्याय-पालिका का दमन होता है। वहीं से तानाशाही शुरू होती है और तानाशाही का क्या परिणाम होता है उसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। शायद ये शब्द आपको कटु लगें किन्तु यह वास्त-विकता है। वे आपसे एक बात यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आपके जो डाइरेक्टिव प्रिसि-पल्स हैं मैं महज एक बहाना हैं। जब कोई चीज आपको करनी होती है तो उसे आप कर डालते है। जैसे कि अन्य लोगों ने भी कहा डाइरक्टिव प्रिंसिपल्स जो आर्टिकिल 43 से 48 तक हैं उनमें आपने क्या किया। उसमें तो आपके मौलिक अधिकार किसी तरह से बाधक नहीं थे और कोई भी कठिनाई आपके सामने नहीं थी।

मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूं कि आपने अभी तक एक यूनीफाइड कोड क्यों नहीं लागू किया। उसम कोई बाधा आपके सामने नहीं थी। मद्य-निषेध आपने अभीतक नहीं किया, क्यों नहीं किया ? मैं देख रहा ह कि नये नये लाइसेन्स दिये जा रहे हैं,नई- नई दुकाने खोली जा रही हैं और यह सब हो रहा है। दूध देने वाल जानवरों को काटन का सवाल था किन्तु जब-जब गौ बध रोकने का सवाल आया तब-तब आपने बाधा डाली और कोई न कोई बहाना बनाकर उसको समाप्त कर दिया।

मैं कहता हूं कि जब आपके डाइरेक्टिव प्रिंसिपल हैं तो उन्हें आप लागू क्यों नहीं करते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि आपके अन्दर एकाधिकार की भावना पैदा हो गई है उसमें चाहे मौलिक अधिकार हों या डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हों चाहे न्यायपालिका हो कुछ भी हो उसे आप समाप्त करना चाहते हैं और उसके लिये कोई बहाना ढूंढ़ते हैं। ऐसी सूरत में मेरा तो निश्चित मत है कि संविधान में जबतक कि ऐसा परिवर्तन नहीं होता जब आप यह मानते हैं और आपको अधिकार है कि आप जब चाहें और जो चाहें वह कर लें रोक नहीं सकते जैसे कि आपने 24 वां संशोधन विधेयक पास कर दिया, तो मैं तो कहना चाहता हूं कि यह कि यह प्रदेश और देश के भविष्य उसके हित के लिये आप कोई ध्यान नहीं रखते हैं। इसी समय उसमें यह संशोधन हो जाना चाहिए कि बगैर रिफरेन्डम के उसमें आगे चलकर कोई अमेन्डमेंट न हो वरना हो सकता है कि आगे चलकर कितनी ही सरकारें आयेंगे जो कि इसका विरोध करें। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, आज हम एक ऐतिहासिक अवसर पर बैठे हैं और यह सदन इस संशोधन क रूप और उसकी गरिमा पर विचार कर रहा है मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। लोक सभा में यह कदम उठा दिया गया है और 368 के अन्तर्गत अब हम इसको एक प्रकार अनुबंधित करने की प्रक्रिया में आ गये हैं। मेरे मित्र माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और अभी एक मेरे मित्र कह रहे थे और मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा कर रहे थे कुछ वर्ष पहले जब कि संविधान का चतुर्थ संशोधन लोक सभा के सामने था तो उस समय पंडित जवाहरलाल जी ने उसकी चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि जैसे-जैसे समय बीतता जायगा निरन्तर हमारे नीति निर्देशक तत्व और हमारे मौलिक अधिकार इन दोनों का संघर्ष हमारी आंख के सामने आता चला जायगा।

मान्यवर, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में एक तरह से वह नीतियां है जिन्हें राज्यों से पूर्ण करने के लिये कहा गया है। राज्यों और हमारी केन्द्रीय सरकार की क्या नीति हो, उसकी

ओर निश्चित इशारा है। मौलिक अधिकार निश्चित रूप से बीच में आते हैं। मौलिक अधिकारों की जब चर्चा होती है तो मुझे बहुत सब चीजों का स्मरण आता है और यदि मैं आज उस सदन से यह कहूं कि किसी समय मान्यवर, इतिहास में 'वीर भोग्या वसुंधरा' भी एक मौलिक अधिकार था, यदि 4 आदमी जाकर कहीं पर कब्जा कर लें तो वह उनका अधिकार हो जाता था। एक राजा अपनी फौज लेकर किसी दूसरे राज्य पर अधिकार कर ले तो वह उसका हो जाता था। आज हम क्या कहते हैं इस प्रकार के कार्य को ? क्या कोरे धीरे हम इसको डाका नहीं कहने लगे हैं तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की परिभाषा निरन्तर बदलती रही है।

हमारे सामने प्रश्न यह है सीधा-सीधा कि बहुत चर्चा हुई है, सारे सदन के अन्दर प्रत्येक राजनीतिक दल की और निरन्तर यह चर्चा रही है और कलंक हमारे माथे पर रहा है कि 20-22, 24-25 वर्ष से नहीं बल्कि उससे बहुत बहुत वर्ष पूर्व से जब कि हम जनता के सामने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जाते थे कि इस देश की गरीबी को दूर करेंगे, बराबर कहते थे और यह भी कहते थे कि गरीब-अमीर के भेद-भाव को मिटायेंगे। हम निरंतर कहते थे कि आमदनी में जो रेशियो है, एक आदमी का एक और दूसरे का 1 हजार का, हम इसको निश्चित रूप स खत्म करेंगे और हम कहते थे कि हम इस देश की दौलत का न्याय पूर्ण बटवारा करेंगे। कितनी ही चर्चा हुई और कलंक हमारे माथे चढ़ा है और आलोचना हुई है कि हम इसको नहीं कर पाये। क्या आज हम इस चीज की चर्चा करें और यह कहें कि हम आज कृत संकल्प हैं इन कामों को पूरा करने के लिए तो क्या हमको यदि अपने संविधान में संशोधन आवश्यक हो तो क्या वह परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा? दुर्भाग्यवश सारे देश के सम्मुख गोलकनाथ का मुकदमा आ गया और उसमें यह रूलिंग हो गयी कि किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन नहीं हो सकता तो यह चौबीसवां संवैधानिक संशोधन की व्यवस्था हमने तय की और उस गोलकनाथ के निर्णय को हमने निरस्त किया और कहा कि हम अपने संविधान में संशोधन करने के लिए सक्षम हैं।

हमारे एक मित्र ने कहा कि संविधान में संशोधन होता ही नहीं है और वह उस सिलसिले में अमेरिका की चर्चा कर रहे थे। अमेरिका के संविधान में तो संविधान के संशोधन की विधि दी हुई है और इसी प्रकार और दूसरे देशों के संविधान में संविधान को संशोधित करने की विधि है। हम लोगों के यहां कुछ कठिनाई थी, हमने उसको दूर किया और 24 वां संशोधन किया। यह क्यों किया? और कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए कि हमको कोई शौक नहीं था संशोधन करने का बल्कि इसलिए किया जिससे 25वां संशोधन हम कर सकें। उसके द्वारा संवैधानिक इतिहास में इस देश के एक अत्यन्त, बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कार्य हुआ है। जो हमारे नीति-निर्देशक तत्व हैं जिनका समावेश अनुच्छेद 39 में है उनको मूर्त रूप देकर हमने यह तय किया कि चाहे अनुच्छेद 14-15 या 19 के किसी खंड के विषय के विरुद्ध हो लेकिन जो 39 में निर्धारित तत्व हैं उनका अवश्य पालन किया जायगा। मान्यवर, हमारे मित्र राजस्व मंत्री जी ने उसकी चर्चा कर दी, लेकिन मैं जरा सा यह 39 को फिर पढ़ दूं--उसके जो (ख) और (ग) हैं उनको आप देख।

"(ख) समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो", अर्थात् इस देश की दौलत का न्यायपूर्वक बटवारा इस प्रकार से हो जिससे कि इसके आर्थिक जीवन में समता लायी जा सके और आगे से "आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण हो।" इसमें "केन्द्रण" शब्द है डिसेंट्रलाइजेशन है। यानी दौलत का केन्द्रण न हो, एक जगह इकट्ठी न हो। यह नहीं कि 10, 12 परिवारों में सारी दौलत इकट्ठा हो बल्कि दौलत को पैदा करने वाले साधन उनको किसी भी रूप में।

(व्यवधान)

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

किसी भी रूप में केन्द्रीकरण न हो, किसी भी रूप में दौलत केन्द्रीभूत न हो जाय जिससे सारा देश भूखों मरे और देश के थोड़े से आदमियों के हाथ में पूरी दौलत पहुंच जाय। राष्ट्र अपनी नीति का ऐसा संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से यह कार्य हो। पहली मतबा संवधानिक इतिहास में इन संशोधनों को स्वीकार करके तय किया गया कि अनुच्छेद 19 का वह अंग जिससे दौलत पर अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का हो। यह भी अंकुश लगाया गया है वह है 19 (च) सम्पत्ति का अर्जन धारण और व्यय का सब नागरिकों को अधिकार होगा। सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्यय इस प्रकार से होगा जिससे देश में आर्थिक समता का रूप किसी न किसी प्रकार से आ सकें।

दूसरा संशोधन संक्षेप में रखना चाहता हूं अनुच्छेद का जो रूप है उसको न रख कर सरल भाषा में केवल 2/4 वाक्यों में रखना चाहता हूं। कम्पेंसेशन के संबंध में जो चतुर्थ संशोधन हुआ और उसके द्वारा तय हुआ कि जो कम्पेंसेशन दिया जाय वह जस्टिसेबिल न हो वह न्यायिक परिधि के बाहर हो, कोई भी न्यायाधीश उस पर अपना निर्णय न दे सके, उसके सामने न आ सके। यह तय हो गया लेकिन इसके बावजूद जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आया तो दूसरा फैसला हुआ कि जब तक शब्द कम्पेंसेशन यानी प्रतिकर है तब तक यह स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसका अर्थ है कि बराबर का रुपया दिया जाय इस सारे एक्वीजीशन के लिये चाहे वह सब साधारण के लिये किया जाय। अनुच्छेद 31 (सी) बनाया गया है। इसमें तीन चीजें तय हुई हैं। पहली चीज यह कि कम्पेंसेशन के स्थान पर शब्द एमाउंट यानी राशि कर दिया गया। मुआवजे का अर्थ है कि बाजार भाव से दिया जाय। एमाउन्ट दिया जाय तो वह कानून द्वारा दिया जाय जो सिद्धान्तों पर आधारित हो जिसको विधान सभा या पार्लियामेंट तय करे। यही नहीं, इसके संबंध में तय किया गया कि जितनी राशि दी जाती है वह किसी कानून के जरिये से दी जाती ह, किन्हीं सिद्धान्तों पर दी जाती है, यह भी स्टीलेबिल नहीं है और यह भी न्यायिक परिधि के बाहर होगा।

तीसरी चीज और कर दी गई है। कम्पेंसेशन निश्चित रूप से धन होता था। पर अब कैश या काइंड किसी में भी ये दिया जाय। यह भी न्यायिक परिधि के बाहर कर दिया गया ह। मोटे तौर पर यही संशोधन हैं जो सदन में आये हैं। मैं याद दिलाऊं कि कुछ साल पहले राउंट टेबिल कांफ्रेंस में जहां राष्ट्रपिता का जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि यदि इस सारे कार्य के लिये हमें प्रतिकर देना पड़े जो बाजार भाव से होगा।

"that would be robbing rail for playing peter"

अर्थात् यह कि हम गरीब जनता से संपत्ति लेकर पीटर साहब (अमीर आदमियों) को दे देंगे। लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। पं0 जवाहरलाल नेहरू ने चौथे संशोधन के समय जब लोक सभा में इसकी चर्चा हुई तो कहा था कि यह देश वह प्रतिकर कभी नहीं दे सकता जो बाजार भाव के मूल्य के बराबर हो। उन्होंने कहा कि वह और दे भी सकेगा तो भी नहीं देगा क्योंकि वह किसी भी रूप से न्यायिक नहीं होगा। आखिर यह क्यों किया गया?

मैं एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको दीवारों में पढ़ा जा सकता है। आज हम चर्चा करते हैं चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की। उनका तो राष्ट्रीयकरण होगा ही लेकिन क्या आज भी इस देश में सड़कों पर चिथड़े पहने हुए अथवा नंगे लोग दिखायी नहीं देते। भूखे लोगों की भीड़ नजर नहीं जाती? आज इस देश में न जाने कितने लोग श्रम करके जीवित रहना चाहते ह लेकिन जीवित नहीं रह पाते। इस देश के अखबारों में और कहानियों में क्या हम यह नहीं पढ़ते कि बेकारी के कारण लोगों को आत्म हत्या करनी पड़ती है? क्या इस देश म कभी कभी माता पिता को अपनी बालिकाओं को वेश्या वृत्ति के लिये नहीं बेंच देना पड़ता? आये दिन इस प्रकार की अनेक बातें हमें सुनाई पड़ती

हैं। फिर आप इस समय केवल चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात क्यों करते हैं ? चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण होना ही चाहिये क्या इस संशोधन के बिना आप कभी किसी सम्पत्ति को ले सकेंगे। आपको यहीं नहीं रहना होगा, आपको शहरी और गांवों की संपत्ति की सीमा को भी बांधना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रख कर मुझे आप यह कहने की इजाजत दीजिये कि यह हमारी लंबी यात्रा का एक छोटा सा सीमा चिह्न है।

जिस दिन आप ग्रामीण संपत्ति के सीमा को बांध देंगें, भूखों की तादाद और भी बढ़ेगी, यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आज सभी लोगों को जिनकी जमीन छीनी जायेगी, जैसे-जैस जमीन की सीमा कम होती जायगी, उस सीमा क कम होन का क्या परिणाम होगा ? मुझे यह कहने में संकोच नहीं है क्या आपका शहरी संपत्ति की सीमा के बांधने से काम चल जायगा ? उसके बाद औद्योगिक प्रतिष्ठानों बड़ी-बड़ी फर्मों, बड़े-बड़े कारोबार, को भी आपको देखना होगा। माननीय नेगी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि अभी तो हमने मिक्ज्ड अर्थ व्यवस्था को स्वीकार कर रखा है, लेकिन उन चीजों के बारे में भी हमें अपने आगे आने वाली यात्रा के संदर्भ में विचार करना होगा। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा। कि सब लोगों की आमदनियों में समानता किस प्रकार से लायी जाय। उन आमदनियों में समानता लाने के लिये बड़े-बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हमें किसी न किसी रूप में लेना ही पड़ेगा। यदि हमें लना पड़ेगा तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हमारा यह जो संशोधन है वह एक ऐतिहासिक संशोधन है।

क्रान्ति की ओर हमारा पग बढ़ा है वह पग कभी पीछ आने वाला नहीं है। सदा आगे ही बढ़ता जायेगा। अब तो समाजवाद को जनसंघ ने भी किसी न किसी रूप में स्वीकार कर ही लिया है लकिन आज उनके नेता साहब ने कुछ दूसरा ही भाषण दे दिया। आज समाज वाद को स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो केवल उसके कार्यन्वयन का है। दुनिया में उसको तो स्वीकार कर ही लिया गया है लेकिन हमने उसके लिये जो रास्ता चुना है वह प्रजातन्त्र का चुना है। क्योंकि वह बहुत दुष्कर है। यह हमारा परीक्षण चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिये उस पर आगे बढ़ने के लिये उस को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये यह आवश्यक है और इससे भी आगे आने वाले और कितने संशोधन अभी हमें लाने होंगे।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष जी, अभी मैंने माननीय आचार्य जी के भाषण को सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस संशोधन के जो मूल प्रश्न थे उन को उन्होंने सफाई से टालकर दूसरी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। यह प्रश्न नहीं है कि यह संशोधन जिस में कि जायदाद लेने का अधिकार संसद को दिया जा रहा है इसका कोई विरोध नहीं है, हम इसका समर्थन और स्वागत करते हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि 24 साल की बनी हुई संविधान की वह धारायें जो अभी तक मौजूद थीं उन पर आपने ईमानदारी से, उन पर विश्वास के साथ आपने कोई काम नहीं किया।

आप ने धारा 13 को खत्म करने के लिये 31 और 2 (ग) में जो किया है, उसकी ओर तो मैं अलग से आप को ध्यान दिलाऊंगा लेकिन जो वहां समता के जो फंडामेंटल राइट्स पहले थे उन के बारे में राज्य सरकारों ने और केंद्रीय सरकारों ने कौन से समाजवादी कदम उठाये हैं, वह हमें बता दें। जब उनकी नियत इतनी अच्छी है और देश में वह बराबरी और समता लाना चाहते हैं तो वह कार्यरूप में कोई काम क्यों नहीं कर के दिखाते। यहां सारा कार्य प्रचार के लिये हो रहा है, देश की करोड़ों जो गरीब, नंगी भूखी जनता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

और जो बेघर हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है । न यह इस संशोधन से ही हो रहा है । धारा 15 में जहां मूल अधिकार दिये हैं वहां उस के भाग (3) में दिया है कि "इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालक के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी ।"

इसके साथ ही आप देखें कि उपखंड (4) में एक अपवाद है और वह यह है कि "इस अनुच्छेद 29 के खंड (2) में की कोई बात राज्य को नागरिकों के ऐसे वर्ग के लिय जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये हैं अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने में रुकावट न डालेगी ।" यह आर्टिकिल 15(4) शुरू से मौजूद है जो मेनडेटरी है अनिवार्य है लेकिन राज्य सरकारों ने इसके मातहत कोई काम किया ? 24 साल में कोई काम नहीं किया । जब आगे कोई ऐलक्शन होने वाला हो तो थोड़ा सा लेमनजूस की तरह जनता के आंसू पोछने के लिये आप ऐसी चीज लाकर रख देते हैं ताकि गरीब लोग आप के भ्रम में फंस जायं और वह समझने लगे कि सामाजिक काम हो रहा है । आज गरीब हरिजनों, आदिवासियों के और पिछड़ी जातियों के अनपढ़ रह गये जब कि यह सरकार का कर्त्तव्य था कि वह इनको शिक्षित करते । उन की नीयत साफ हो जाती है कि वह काम करने की नहीं है बल्कि प्रचार मात्र की है ।

इसी तरह से आप देखें कि 16 में प्राविजन है कि "राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी।" जो लोग पिछड़े हैं और अनपढ़ हैं वे समान अवसर से आगे नहीं लाये जा सकेंगे जबकि विशेष अवसर और सुविधा उनको न दी जाय। इसी अनुच्छेद में आगे दिया है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान निवास अथवा इन में से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न आपात्रता होगी और न विभेद किया जायगा । "जहां यह 25 वां संशोधन आ रहा था उसमें संशोधन इस अनुच्छेद में भी किया जाता। इसको अनिवार्य किया जाता । यह राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है, अनिवार्य नहीं है और इसीलिये उन्होंने कह दिया कि 16 (4) के मातहत नागरिकों जिनका कि आरक्षण नहीं है।

मैं मान्यवर, मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि इसलिये तामिल नाडू, सरकार, केरल सरकार और मैसूर सरकार ने एक कानून बना दिया है और उसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुयी लेकिन उन्होंने उसको बहाल रखा । सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग 1963 को ए0 आई0 आर0 चार के पृष्ठ 642 पर है और 1967 की पृष्ठ 1283 पर है वहां उन्होंने कहा है कि हर राज्य सरकारें सक्षम हैं कि वे कानून बना सकती हैं वाई एक्जीक्यूटिव आर्डर कि जिस राज्य में नौकरियों में हरिजनों या पिछड़ी जातियों की कम संख्या है, उनके लिये 50–60 प्रतिशत रिजरवेशन कर सकती हैं । इस प्रकार की राजाज्ञा मद्रास, मैसूर, गुजरात और केरल में हो गयी है लेकिन उत्तर प्रदेश में, बार-बार मांग करने पर भी नहीं हो रही है ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रधान मंत्री तक इस बात को पहुंचा दें कि इस धारा को भी एमेंड कर दें उसको मैनडेटरी और आब्लीगेटरी कर दें ताकि सरकार मजबूर हो जाय निर्बलों को उठाने के लिये और उनके लिये कुछ करने के लिये । आज हमारे देश के नेताओं के कारण यह प्रदेश पिछड़ गया है । इनमें कमी यही है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । इनकी कथनी और करनी में फर्क है । लोक सभा में जब माननीय प्रधान मंत्री से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि

"tiller of the soil should be the owner. If you accept this principle then what right you have got to their property"

अभी दिल्ली में 22 बीघे जमीन दिल्ली में खरीदी गयी । किसी हरिजन की या हलवाहे की जमीन खरीदी गयी तो धारा 31 (ग) ने कहां रोक रखा है कि उसको न दें । आज टिलर आफ दि स्वायल को जमीन नहीं दी जायेगी लेकिन जो देश के प्रधान मंत्री हैं, उनकी यह इच्छा हुई कि सम्पत्ति को हम बढ़ाते चले जायं और गरीबों को न देकर अमीरों दिलवाते रहें । जो उद्योगपति पहले 30 करोड़ की हैसियत रखता था आज वह 24 वर्षों के बाद 300 करोड़ का हो गया है । 39(ग) में कहां रोक थी कि आप उद्योगपतियों के धन को कलैक्ट न होने दें । आपने गोलक नाथ के केस का बहाना लेकर यह सब किया । इस संशोधन के करने से कोई भी क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है । हम चाहते हैं कि जो आवश्यक संशोधन हैं वे किये जायं । इसके लिये हमारी पार्लियामेंट सक्षम है, वह सुप्रीम है और वह एमेंड कर सकती है ।

अगर आपको गरीब को उठाना है तो संबंधित धाराओं में परिवर्तन करना पड़ेगा । मैं यह भी चाहूंगा कि यदि ऐसा करना है तो किसी हरिजन की, किसी छोटे-मोटे की जमीन न ली जाय लेकिन आज उनकी प्रापर्टी को भी आप एक्वायर कर लेंगे । अगर बिर्ला को देना होता तो काफी मुआविजा दिया जाता है लेकिन अगर वह एक हरिजन को दिया जाता है तो वह बहुत कम होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पूर्व के अकार्यान्वयन और भविष्य की दुष्कल्पना या आशंका से हम इतने आबद्ध हो जायं कि वर्तमान के अपने कर्त्तव्य से विरत हों. . . .

श्री रूपनाथसिंह यादव—

श्रीमन्, इनके कर्मों से और व्यवहार से जो सिद्ध हुआ है, 24 सालों के दौरान हम देख रहे हैं कि इनकी कथनी और करनी में बहुत भेद है । सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही है । चाहे आर्थिक हो या सामाजिक हो । कहीं न्याय मिले । जबकि हमारे संविधान में लिखा है कि छुआछूत खत्म हो जायेगा । प्रदेश के मुख्य मंत्री के जिले में हरिजन मारे गये, फूंके गये । क्या कार्यवाही हुई । हमको यह निवेदन करना था कि जब संविधान की धाराओं में है उसके बावजूद भी देश की तरक्की या हरिजनों की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं । बड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं । सम्पत्ति इकट्ठी होती जा रही है तो कैसे यह उम्मीद की जाय कि आप बाद में भी करेंगे । चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण टाला जा रहा है । इसी सत्र में उसको लेने में क्या कठिनाई थी । वह श्रेय तो आपको ही मिलता । हम चाहते हैं देश में कल्याण हो ।

आप उस काम को करें जिससे गरीब और पिछड़े लोग ऊंचे उठें । पूरी बराबरी नहीं आई सही कुछ तो आये । सीलिंग किस पर हो । खर्चे पर और आमदनी पर । 1500 रुपये तक खर्चा की सीलिंग कर दी जाय तो जो आपके पास आर्थिक साधनों की जो कठिनाईयां हुई हैं, आप हमेशा कहते हैं कि कहां से पानी हर खेत में दे तो यह फिजूल खर्ची ही है देश भर में जो नहीं होने दे रही है । और केंद्रीय सरकार जो खर्चा करती है । इस सीलिंग से ही आपकी समस्या हल होगी । हम क्या समाजवाद दे रहे हैं । न समान स्कूल हो पाय 'न रेल के डिब्बे ही समान कर पाये, आपने बीस वर्षों में फिर क्या तरक्की की है । आप हर देश से पीछे हैं । जापान, आस्ट्रेलिया और जर्मनी सबसे पीछे है । बजाय इसके कि आगे जायं हमारी चाल वही है जो चौबीस सालों से चींटी वाली चाल कहलाती है । जब कि शेख मुजीबुर्रहमान दस जनवरी को पैदा हुआ उनकी रफ्तार अरबी घोड़ की तरह है और वह उसी तरह भाग रहे हैं । जब कि आप चींटी की तरह चल रहे है । इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी सम्पत्ति होते हुए भी आपका समाजवाद जरूर बना परन्तु रफ्तार चींटी की की ही तरह रही ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर इस प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा हुयी उसकी एक विशेषता यह है कि इस प्रस्ताव का समर्थन विरोधी पक्ष के दल के सभी नेताओं ने किया। इसलिये उस लिहाज से तो उत्तर देने में मेरा कार्य बहुत ही हल्का हो गया है। कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। श्रीमन्, एक विशेष बात यह रही कि माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस प्रस्ताव का समर्थन किया और यह माना और कहा कि जिन लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति हम करना चाहते हैं सामाजिक और आर्थिक समानता बिना इन संशोधनों के हम नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ताज्जुब यह हुआ कि इतना अच्छा पार्लियामेंटेरियन होते हुये भी उन्होंने इस अवसर का उपयोग करना चाहा उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि बीस वर्षों से यह नीति निर्देशक तत्व जिनकी वजह से जिनको आधार बनाकर ये संशोधन किये जा रहे हैं अपनी जगह पर मौजूद थे लेकिन सरकारों ने आज तक क्या किया।

श्रीमन् किया या नहीं किया यह इस सन्दर्भ में कहीं पर भी कोई अर्थ या माने नहीं रखते हैं कि जो प्रस्ताव और प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है उसमें जो कुछ दिया हुआ है उसके लिहाज से देखें कि वह कहां तक ठीक है। उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। उसको मानना चाहिये या नहीं मानना चाहिये। श्रीमन्, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सरकार यहां बीस साल से जरूर चल रही है लेकिन और कोई कहता तो कहता लेकिन मैं माननीय चौधरी साहब से पूछूं कि वे मुझे बतायें कि बीस सालों में ये नीति निर्देशक तत्व क्यों चुपचाप पड़े रहे तो इसका दायित्व उन पर भी है। अपने बहुत बड़े जीवन के हिस्से में वे उस शासन के अंग रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे है। उसका अगर जवाब देना है तो उसका कम बोझा उनके ऊपर नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता था कि यह बिल्कुल इररेलेवेंट है।

इस प्रस्ताव के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो किसी भी जगह इन बातों को देखने की गुंजाइश नहीं होती। मैं इसके औचित्य के ऊपर नहीं कहूंगा कि कंपेन्सेशन दिया जाना चाहिये या नहीं हमारे सभी मित्रों ने कहा कि हम तो इसके लिये भी तैयार हैं कि सम्पत्ति के बारे में जो मूल आधार दिये गये हैं सारे का सारा अध्याय निकाल दिया जाय, सारे अनुच्छेद निकाल दिये जायं लेकिन ताज्जुब यह होता है कि सबको निकालने के लिये तो तैयार हैं लेकिन जब सुधार भी करना चाहते हैं तो उसके ऊपर इतने जोर के हमले होते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जिनसे ऐसा मालूम पड़े कि इस संशोधन को पेश करके कोई बड़ा गुनाह किया जा रहा है। हमारे श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी और बंशीधर जी का भाषण हुआ। श्री बंशोधर जी को ऐतराज था मान भी लें लेकिन क्या मानें। गोखले साहब ने बना दिया जो कभी कांग्रेस में नहीं रहे। श्रीमन्, कांग्रेस में चाहे न रहे हों लेकिन अगर कानून अच्छा है। . . .

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने नहीं कहा कि गोखले ने बना दिया। बनाने वाली तो पार्लियामेंट है। मैंने कहा था कि हाथों में है वह है।

श्री उदितनारायण शर्मा—

आपने कहा था कि बनाने वाले कौन थे और समर्थन करने वाले कौन थे। आपने उनके भी नाम गिनाये और गोखले का भी नाम लिया। आपने धारा को पढ़कर, उसके एक्सप्रेशन को पढ़कर नहीं बताया कि इसका क्या औचित्य है, इसको क्यों रखा गया।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने धारा 31, 14, 19 पर भी कहा है। आप मेरा भाषण निकाल कर पढ़ लें।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जब हमारे पास कोई बात कहने को नहीं होती इधर उधर की बातें कहने लगते हैं जिनके सन्दर्भ में कोई औचित्य नहीं होता गांधी जी ने जवाहर लाल जी ने कहा, एक मत से कहा कि जब इस प्रकार का सुधार करने जायेंगे, अपनी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने जायेंगे तो कंपेनसेशन का प्रश्न नहीं उठना चाहिये कंपेन्सेशन का सिद्धांत ही गलत है । मैं इस समय उनके लेख या वक्तव्य पढ़कर सुनाऊं उसकी आवश्यकता नहीं है । मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी ने यह माना बंशीधर जी ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 14,15 और 19 के बारे में कहा । मैंने आरम्भ में ही ही कहा था कि इसमें 14,15,19 का जिक्र आ गया है, इसको ही ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लायट किया जायेगा । मैंने कहा था कि अनुच्छेद 14,15 19 संशोधित किये जा रहे हैं या संकुचित किये जा रहे हैं या संकीर्ण किये जा रहे हैं तो किस सन्दर्भ में और किस मतलब के लिये किये जा रहे हैं इसको यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो ऐसी तस्वीर देने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मूल अधिकार थे उन्हें छीनने का प्रयास किया जा रहा है । यह तयशुदा बात है कि अनुच्छेद 14,15 19 का मूल अधिकार तब तक संकीर्ण नहीं किये जायेंगे, जब तक 39 के (ख), (ग) के पालन करने में उन्हें अलग नहीं कर देंगे, तब तक एक कठिनाई को दूर करेंगे तो इसरी विधि की कठिनाई उपस्थिति होती रहेगी ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सवाल को उठाया । उसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर 31 की अड़चन दूर भी हो जाय, कंपेन्सेशन की अड़चन दूर भी हो जाय तो 19(एच) की अड़चन कहां जायेगी । वह भी दूर हो जाय तो 13 में दिया गया है कि उनका अपहरण नहीं हो सकेगा तो वह कहां जायगा । इसलिये यह जरूरी था कि हम अब की बारे जो संशोधन करें, जो हमारे लक्ष्य हैं, जैसे हम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, हम समानता लाने जा रहे हैं, हम गरीबी मिटाने जा रहे हैं, उनकी पूर्ति हो सके । श्रीमन् कहा जाता है कि आज तक हमने कोई काम नहीं किया है । क्या इसका अर्थ यह होता है कि जो हम संशोधन लाये हैं, उसकी मुखालफत की जाय । जनसंघ के माननीय सदस्य ने इसकी खिलाफत इसलिये की क्योंकि आज तक हमने कुछ करके नहीं दिखाया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यह सब चीज आये मान्यवर, यह दोनों अलग चीज हैं ।

हमने कुछ किया है अथवा नहीं, यह दूसरी बात है । लेकिन अगर हम अपने वांछित लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं तो यह जो रास्ते के रोड़े हैं अगर उनको हम नहीं हटायेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकते और हमने आज तक अगर कुछ करने की कोशिश भी की तो यह रास्ते में हायल हुये । आज की बहस इस लिहाज से हुई मानों हम कोई नया काम करने जा रहे हैं । इस चीज को जानता था इसलिये मैंने आरम्भ में थोड़ा सा जो कुछ आपके सम्मुख निवेदन किया था, उसमें यह कहा था कि हम कोई नई बात नहीं करने जा रहे हैं ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जब इस पर पहली बार बोल रही थीं तो उन्होंने यह कहा था कि इससे गरीबी हटने वाली नहीं है हम कोई एक बड़ा क्रांतिकारी कदम नहीं उठाने जा रहे हैं । मान्यवर, जिस संसद में उन्होंने यह बात कही थी कि हम कोई बड़ा काम करने नहीं जा रहे हैं उसके पढ़ने से मालूम होगा कि उन्होंने यह कहा था कि हम जो यह काम करने जा रहे हैं यह बहुत छोटा सा काम है जो हमें आगे बढ़ने में सहायक होगा जो मार्ग अब तक अवरुद्ध था । साफ हो होगा । जब किसी काम को किया जाता है तो अपनी क्षमता के बारे में कोई बात अगर कही जाती है तो जिस तरीके से कही जाती है और जो तरीका होता है उन शब्दों का यही अर्थ होता है कि हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं और बहुत कुछ करना अभी बाकी है और हमने इसकी शुरूआत की है जब तक शुरूआत नहीं होगी, हम अपने काम में आगे नहीं बढ़ सकते है ।

[श्री उदित नारायण शर्मा]

मैंने शुरू में ही यह कह दिया था कि इससे वाक स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी, समानता के अधिकारों पर कोई आंच नहीं आयेगी। मान्यवर, हमारे नीति निर्देशक तत्व जो 39 क और ख में दिये हुये है जो हमें अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर इंगित करते हैं, वह आज भी कायम हैं। चूंकि मौलिक अधिकार की बात आई है, और उन शब्दों का प्रयोग हुआ है, कुछ कहने को था ही नहीं, इसलिये उन्होंने इन शब्दों को लेकर एक्सलाइट करना शुरू कर दिया और 14, 15 और 19 को लेकर कहना शुरू कर दिया है। यह नहीं मालूम कि किसलिये इन संशोधनों का प्रयोग होगा उनका प्रयोग केवल सम्पत्ति के संदर्भ में जहां तक उचित है, वहीं उनको संकीर्ण किया जा रहा है।

श्रीमन्, हमारे मित्र श्री कल्पनाथ सिंह ने एक बात कही और श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने तो बड़ा गजब ढ़ा दिया। उनने इस संशोधन का एक बेकार और बड़ा जनता का अहित करने वाला और न्यायालय के ऊपर हमारा यह आघात करने वाला बताया है, मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया था कि संविधान की मंशा, जिस तारीख को संविधान बना था, उस तारीख को यह थी कि इस प्रकार के जो कम्पेन्सेशन दिये जायेंगे, उसका निर्णय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की परिधि से बाहर होगा और यह जो आपका अरोजनल अनुच्छेद 31 है उसका मंशा यही था। उनकी मंशा यह थी कि हम इस प्रकार के जो निर्णय होंगे उनको लेजिस्लेचर पर छोड़ देंगे।

लेजिस्लेचर के ऊपर छोड़ेंगे, संसद उनको तय करेगी, विधान सभा उनको तय करेगी अदालत नहीं करेगी। लेकिन श्रीमन् मैंने प्रारम्भ में ही कहा था चूंकि इसके ऊपर माननीय दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया इसलिये मुझे दोहराना पड़ रहा है वरना जरूरत नहीं पड़नी चाहिये थी। मैंने यह निवेदन किया था कि यह बात पहले ही से मानी हुई थी और अनुच्छेद 31 को लिखने की आवश्यकता नहीं थी अगर कोर्ट में यह तय होना था। तो अनुच्छेद 31में यह दिया हुआ है कि संसद इस बात को तय करेगी, और वहां यह निर्धारित करेगी कि उसका क्या कम्पेनसेशन दिया जायगा। कम्पेनसेशन निर्धारित कर देगी या उसका मूल्य निर्धारित कर देंगी, या उसका आधार निर्धारित कर देंगी, यह तीनों बातें कही गई थीं। लेकिन आगे चल कर जिस तरह से आप जानते हैं कि कानून बनाये जाते हैं, उनका इन्टरप्रिटेशन न्यायालय के हाथ में होता है। न्यायालय में जो पहले केस था उसमें जिक्र किया था पहले केस में वस्ट बंगाल बर्सेस बाला बनर्जी के केस में यह निर्णय दिया गया कि यह काफी नहीं है। कि वह जिस प्रकार से अनुच्छेद 31 बना हुआ है, जिस तरह से वह लिखा हुआ है उससे ही यह निर्णय निकला है कि कम्पनसशन जो दिया जा रहा है, उसका औचित्य करना है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। तब यह चौथा अमेंडमेंट आया और उसके जरिये संसद ने साफ शब्दों में लिख दिया कि इस प्रकार जो कम्पेनसेशन के निर्धारित किया जाय वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की परिधि से बाहर होगा, यह साफ लिखा हुआ है।

आप यह जानते हैं कि यह चौथे अमेंडमेंट में जोड़ा गया था उससे पहले नहीं। उसके बाद शान्ति लाल का केस हुआ और उसी सर्वोच्च न्यायालय ने उसी अमेंडमेंट को पर्याप्त समझा और यह कहा कि अब यह उन लोगों के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। उसी न्यायालय की दूसरी बेंच ने यह कहा कि यह काफी नहीं है। उनके अनुसार यह लिख देना कि यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होगा काफी नहीं और इसके बावजूद जब तक शब्द प्रतिकर लिखा रहेगा, कम्पेन्सेशन लिखा रहेगा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्दर होगा। कम्पेनसेशन लिखा रहेगा, तब तक जो दिया जा रहा है वह वास्तव में प्रतिकर है भी या नहीं इसे करना है मैंने निवेदन किया था कि बैंक राष्ट्रीयकरण के केस में कहा गया कि प्रतिकर के अर्थ है जस्ट इक्विवलेंट। जस्ट इक्विवलेंट नहीं होगा जब तक आप कंपेंनसेशन न दें और अनुच्छेद 31 की अवहेलना होगी। इसलिये यह जस्टिसबिल होता है। इतनी बात है जिसको लेकर इस बात की जरूरत पड़ी कि अनुच्छेद

31 में संशोधन किया जाय। उसी तरह से दूसरी चीज इसलिये है कि उसी बैंक नेशनलाइजेशन के केस में उन्होंने यह कहा कि जब तक 19-एफ है, सम्पत्ति अर्जन का प्रश्न जस्टिसेबल रहेगा। मैं 39-सी के बारे में भी निवेदन कर दूं। आप ने यह कहा ।

श्री बंशीधर पांडेय---

ठीक है आप इसे पास कर दीजिये।

श्री उदित नारायण शर्मा---

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा था कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा कि एक बात तय है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह जस्टीसिबिल नहीं हैं और नीति निर्देशक तत्व जस्टीसेबिल नहीं हैं और नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये अगर हम कोई काम करते हैं और उनको जस्टिसेबल कर देते हैं तो फिर हमारे कहने का कोई मतलब नहीं रहता है कि नीति निर्देशक तत्व जस्टीसेबिल नहीं हैं।

इसी तरह से दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक बात उठाई थी कि प्रसीडेंट की कंसेंट की क्या जरूरत थी, क्यों उसे भेजा प्रेसीडेंट की कंसेन्ट के लिये। श्रीमन्, प्रेसीडेंट की कंसेंट के लिये भेजने की इसलिये जरूरत है कि आखिर संविधान का जो संशोधन है उसकी संसद के मातहत ही सारी कार्यवाही होगी। संविधान में संशोधन का अधिकार केवल संसद को ही है विधान सभा को नहीं। संशोधन माना जाय पूरी तरह से, उसको कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं यह सब संसद की सहमति से ही होगा । इसलिये संसद के मातहत जो भी निर्णय लिया जायगा उसको यह मुनासिब है कि उसे प्रेसीडेंट की कंसेंट के लिये उनके सामने जाना चाहिये। श्रीमन्, इसमें माननीय सभी सदस्यों ने हमको जो समर्थन दिया है उसके लिये आभारी हूं। आज करीब करीब सर्वसम्मति से पास होने की स्थिति में यह है । मैं सभी सदस्यों का इसके लिये अनुग्रहीत हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 द्वारा 'भारत का संविधान' में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हों, अनुसमर्थन करता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, १९७२ को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संबंध में प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)---

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं यह सदन विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव से सहमत है कि "उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन विधान परिषद् के आगामी अधिवेशन के प्रथम उपवेशन में प्रस्तुत करे।"

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव से सहमत है कि "उत्तराखड विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान परिषद् के आगामी अधिवेशन के प्रथम उपवेशन में प्रस्तुत करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राम जी लाल सहायक—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 पर दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किये जायं :

1—श्री शिवानन्द नौटियाल

2— ,, किशन सिंह

3— ,, डूंगर सिंह विष्ट

4— श्रीमती सरस्वती टम्टा

5—श्री गोपाल दत्त ओझा

6— ,, इन्द्र लाल

7— ,, हर प्रसाद शाही

8— ,, प्रकाश नारायण गुप्त

9— ,, शान्ति प्रपन्न शर्मा

10— ,, दीप नारायण मणि त्रिपाठी

11— ,, जगवीर सिंह

12— ,, इन्द्रमणि बड़ोनी

13— ,, चन्द्र मोहन सिंह नेगी

14— ,, नित्यानन्द स्वामी

15— ,, रामधारी शास्त्री

16— ,, गोविन्द सिंह नेगी ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह पहाड़ों की एक स्पेशल कमेटी है इस लिये इसमें पहाड़ के जितने सदस्य हैं उनको ही रखा जाना चाहिये। एक बार पंडित जी ने भी यह कहा था यह करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें करीब करीब सभी पहाड़ के सदस्य हैं एक या दो को छोड़कर श्री हर प्रसाद शाही, श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी, श्री रामधारी शास्त्री को छोड़ कर। इसके अलावा सभी पहाड़ के हैं ।

श्री इन्द्र मणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, इसमें जो दो एक पहाड़ के सदस्य छूट गये हैं उनको भी रख दें तो अच्छा होगा।

डाक्टर राम जी लाल सहायक—

ऐसा करने में हमको बड़ी दिक्कत हो जायेगी। जो नाम मैंने दिये हैं वे यथोचित हैं और उनको स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय विधेयक, 1972 पर दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति में कार्य करने के लिये विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य निर्वाचित किये जायं :

1--श्री शिवानन्द नौटियाल
2-- ,, किशन सिंह
3-- ,, डूंगर सिंह विष्ट
4-- श्रीमती सरस्वती टम्टा
5--श्री गोपाल दत्त ओझा
6-- ,, इन्द्र लाल
7-- ,, हर प्रसाद शास्त्री
8-- ,, प्रकाश नारायण गुप्त
9-- ,, शान्ति प्रपन्न शर्मा
10-- ,, दीपनारायण मणि त्रिपाठी
11-- ,, जगवीर सिंह
12-- ,, इन्द्रमणि बड़ोनी
13-- ,, चन्द्रमोहन सिंह नेगी
14-- ,, नित्यानन्द स्वामी
15-- ,, रामधारी शास्त्री
16-- ,, गोविन्द सिंह नेगी ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष--

अब एक प्रश्न रह गया है और वह यह कि यहां आज जो पर्चे फेंके गये थे उसके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जाय। सर्वश्री राम कुमार त्यागी और गणेशदत्त त्रिपाठी ने पर्चे फेंके थे। जहां तक सदन के काम की बात है उसमें कोई अवरोध नहीं हुआ और उसकी कोई नोटिस भी नहीं ली गई बल्कि पर्चे फेंकने वालों से अधिक यहां के माननीय सदस्य के हस्तक्षेप से जो कुछ रुकावट पड़ी हो। तो इनको अब छोड़ दिया जाय, यह आपकी राय है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

अब यहां हर वक्त कोई न कोई पच फेंके जाते हैं। हम 20 साल से हाउस में हैं लेकिन ऐसी अव्यवस्था नहीं देखी थी। चाहे किसी पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से यह कराया जाता हो, लोगों पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसी घटनाओं से हमारी प्रतिष्ठा घटती है और हमारा मनोबल गिरता है। इसलिये म चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य ने ठीक बात कही।

श्री गोविन्दसिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)...

हम देख रहे हैं कि रोज इस तरह की घटनायें होती हैं और इसके पीछे केवल एक मन्तव्य होता है कि पर्चे फेंकने वालों के नाम अखबारों में आ जायं। ठीक है, आप उनको छोड़ दीजिये। लेकिन यह व्यवस्था जरूर हो जाय कि इस तरह का जो काम करते हैं, उनके नाम प्रकाशित न किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

मूल तो मैंने बता दिया कि अगर आपका सहयोग हो तो पर्चे नहीं फेंके जा सकते हैं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैं सहमत हूं अपने मित्र से कि इस प्रकार की घटना अत्यन्त अशोभनीय है और यह सही है कि कुछ समय से यह घटनायें बहुत ज्यादा हो गई हैं। मैं कुछ और अधिक कहूं तो यह कहूंगा कि दिल्ली में जब इस प्रकार की घटनायें बहुत अधिक होने लगीं तो अन्त में किसी न किसी प्रकार का दण्ड देना पड़ा और सात-सात दिन का कारावास का दण्ड भी देना पड़ा। मैं जानता भी नहीं कि किसने फेंका और किस दल से उनका सम्बन्ध है लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जो लोग इस तरह की घटनाओं में सम्मिलित हों उनको दण्ड दिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

जैसा अभी सभी नेताओं ने कहा, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे मनोवैज्ञानिक बात क्या है, क्या टेम्पटेशन होता है, यह भी जान लिया जाय। यह तो आपने सुना होगा कि भगत सिंह ने जब बम फेंका था तो उनका रीजन क्या दिया था कि जब सरकार की आंख, नाक, कान सब बन्द हो जाते हैं तब ऐसा करना पड़ता है। उस बात को तो मैं कहना नहीं चाहता...

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आप चाहते हैं कि बम फेंके जायं?

श्री बंशीधर पांडेय--

आपके मुकाबले का बम है। आपके पास कम्युनिस्टों का बम है, इधर गांधी जी का है। इस तरह का कार्य तो भद्दा होता ही है। इस पर तो आप स्वयं ही निर्णय लेकर अपनी पावर से जो करना हो कर दीजिये। मैं तो कहता हूं कि सदन में इस प्रकार की घटनायें न घटें इसके लिये जो आप आदेश देंगे उसको सदन स्वीकार करेगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

इसमें दो रायें नहीं है कि इस प्रकार की घटनायें नहीं होनी चाहिये। इससे सदन के काम म कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर होती है। यह एक बात है कि श्रीमन् उस आसन पर विराजमान हों और पर्चे फेंके जायं और आपकी नजर में कोई गड़बड़ी न मालूम हो। तो यह तो आपका नजरिया है, हम उसको बदल नहीं देंगे। लेकिन जो यह कहा गया कि जो माननीय सदस्य इस मामले को यहां लाए उनकी वजह से हस्तक्षेप हुआ, मैं कहता हूं कि अगर पर्चे न गिरते तो यहां उस मामले को लाने का सवाल ही नहीं था। तो मूल कारण तो पर्चों का गिरना ही है। कारण उसका कुछ भी रहा हो। हो सकता है वह अपनी कुछ बात रखना चाहते हों।

श्रीमन्, तमाम प्रश्न आते हैं नियम 51, 52 56 के। तो श्रीमन्, आपकी उदार दृष्टि इधर भी रहे। पर्चे गिरने से कोई खास हस्तक्षेप श्रीमन् की नजर में नहीं हुआ। श्रीमन् ने यह भी कहा कि सदस्यों का सहयोग हो तो यह पर्चे नहीं गिरेंगे। मैं नहीं जानता

कि कौन सदस्य इन कामों में सहयोग देते हैं। लेकिन श्रीमन् का दृष्टिकोण अगर हमारी तरफ भी इतना ही उदार रहे तो बड़ा अच्छा है। श्रीमन्, इस पूरे सत्र का अवलोकन करें तो शायद एक-दो दिन ही केवल नियम 51, 52 या 56 की बातों पर विचार हुआ है और इसी के मुकाबले में दूसरे अधिवेशनों में नित्य ही एक या दो वक्तव्य आपको मिलेंगे और 51, 52, 56 में भी कोई न कोई चर्चा जरूर मिलेगी। तो श्रीमन, इस तरह की घटनाओं को रोकने की बात आप करें। मैं नहीं जानता कि आपका क्या दृष्टिकोण होगा, लेकिन इनको आप रोकें।

*मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, शास्त्री जी महाराज ने तो पर्चेबाजी की बात कहते-कहते कुछ आपके कार्य करने के ढंग की ही टीका कर डाली जो मैं समझता हूं असंगत है और मुनासिब नहीं है। उसका प्रश्न भी नहीं था।

पर्चे का फेंकना बड़ी बुरी बात है और नियमों में भी है कि इस तरह की गड़बड़ी न हो। मान्यवर ने सदस्यों के सहयोग के बारे में भी कहा और शास्त्री जी ने कहा कि कौन-सा सहयोग हम दे सकते हैं। तो इन गैलरीज में जो लोग आते हैं वह सब आते हैं माननीय सदस्यों के द्वारा दिये हुए पासों की बुनियाद पर। आपके यहां नियम है कि पांच पास तक आप किसी माननीय सदस्य की संस्तुति पर देते हैं। तब वह लोग यहां आते हैं। माननीय सदस्यों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि गैलरीज में जाने के लिये किसी को पास के लिए वह संस्तुति करें तो यह देख लें कि किस तरह के व्यक्ति को वह वहां भेज रहे हैं। जब तक पूरी तरह परिचय न हो, संस्तुति न करें। जो कोई आया उसको दे दिया, वह आ गए यहां, पर्चे फेंक दिये, आवाज भी लगा दी, फिर गार्ड ने पकड़ा और आपके सामने आया। यह सब प्रक्रिया होती है। अगर जाने बूझे लोगों को ही संस्तुति करें पास के लिए तो बहुत रुकावट हो जाएगी।

तो मेरा सुझाव है कि जो विभिन्न दल हैं, उनके नेताओं से अनुरोध किया जाय कि वह अपने सदस्यों को इस बात का कम से कम आदेश दें कि जब आप इस प्रकार के पास इश्यू कराते हैं तो इस बात की जिम्मेदारी आपकी है कि किस तरह का आदमी वहां जा रहा है। जिन लोगों ने भी पर्चे फेंके उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। अब यह आपके ऊपर है कि अधिक कुछ हस्तक्षेप न हुआ हो तो आप क्षमा कर दें। लेकिन यह देखा जाय कि किस सदस्य के द्वारा दिय ग ए पास के ये सज्जन रहे और कम से कम उन माननीय सदस्य से यह प्रार्थना की जाय कि इस तरह के पास अगर आप इश्यू करायेंगे तो वह कुछ बहुत उचित नहीं है, क्योंकि उसकी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो जाती है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं। आप पहले कहते। अब मुख्य मन्त्री जी बोल चुके हैं। आप सुन लें।

एक घटना और हुई इसके पहले। उस घटना में दो व्यक्ति पकड़े गय थे। छुट्टी हो गई पांच दिन की। अगर हम उनको रोकते तो इस तरह से सात दिन की उनको जेल हो जाती। इसलिए उनको डांट कर मैंने हटा दिया और उसमें पता लगाया तो एक माननीय सदस्य के दो पास जो दूसरों के नाम के थे उनके पास मिले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उपाध्यक्ष]

उन कार्डों को लेकर वे आये। मैंने उनको कहा कि अगर हम पुलिस में दे देंगे तो वे चोरी में फसेंगे। वे बच्चे थे। उनके नेता भी हमारे कमरे में आये। अगर वे नेता जी पर्चे फेंकनें में होते तो मेरा रुख दूसरा होता। वे जानते भी नहीं थे यहां की प्रक्रिया को, ऐसा लगा। देहात के लड़के थे। उनको बुला लिया गया और उन्होंने पर्चे फेंक दिये। तो मैंने उन्हें छोड़ दिया।

इलाहाबाद सदर बाजार के 2 क्षात्र हैं जिन्होंने 4 साइक्लोस्टाइल्ड पर्चे फेंके। अगर माननीय सदस्य को यह जानकारी है कि यह व्यक्ति जिसको वह पास दे रहे हैं पर्चे फेंकेगा तो उसको वे कार्ड न दें, इसी में उनका सहयोग चाहता हूं। वैसे जिस नियम के हिसाब से आप कार्ड देते हैं आप दें। हमारी यह सूचना है, हमारे मार्शल ने बताया, कि तार के जरिये यह मालूम हो जाता है कि यहां लड़के आ रहे हैं और वे पर्चे फेंकेंगे और यहां तक हमको पता चल जाता है कि वे किस माननीय सदस्य के पास लेंगे। तो आप जानते हुए कि वह पर्चे फेंकेंगे पास न दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

यह कैसे मालूम हो जायगा कि जो आदमी कार्ड लिये जा रहा है वह पर्चे फेंकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कहता हूं कि कोई रुकावट न डालें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं एक दूसरी बात कह रहा था, आप सुन लें। हमारे सामने बड़ी दिक्कत है। मैं स्वयं भी भुक्तभोगी हूं। इसलिए कह रहा हूं। एक सज्जन मेरे पास आये थे और मुझसे ही स्वयं उन्होंने चुनाव लड़ा था। वे आए और कहा कि मुझे पास दे दो। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वे क्या करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपके लिए नहीं कहता, मैंने यह कहा कि जिसकी जानकारी है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं जो कह रहा हूं वह सुन लीजिए। जब वह सूचना मिली होगी तो मेरे मन के ऊपर उसका क्या असर हुआ होगा? जो असर हुआ उसको मैं वर्णन नहीं करना चाहता। उसके पूर्व मुझे उसकी जानकारी नहीं थी कि वे सज्जन यहां वह काम करेंगे। अगर वे चुनाव जीत गये होते तो वे यहां होते और शायद आपकी कुर्सी पर या मुख्य मन्त्री जी की कुर्सी पर होते, मैं कह नहीं सकता। लेकिन, श्रीमन्, एक बात है जो सदस्यों के बारे में कही और मुख्य मन्त्री जी ने यह बात कही। आपने भी माननीय सदस्यों के बारे में कहा और मुख्य मन्त्री जी के लिये भी कहा। इसका मतलब यह है कि इस पर्चेबाजी में कुछ न कुछ हाथ सदस्यों का होता है और उन्हें उसकी जानकारी पहले से होती है। अगर सदस्यों को उसकी जानकारी पहले से है तब तो यह बात सही है और अगर यह बात नहीं है तब फिर इसका मतलब कैसे निकाला गया कि सदस्यों के बारे में क्या किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की विभिन्न दीर्घाओं में प्रवेश के सम्बन्ध में नियम 7 इस प्रकार है :---

"जिस व्यक्ति द्वारा प्रवेश-पत्र जारी किया गया हो वह विधान भवन तथा दर्शक दीर्घ में प्रवेश-पत्र रखने वाले व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए उत्तरदायी होगा।"

इसीलिये मैंने बार-बार कहा है वर्ना मैं नहीं कहता। आप भविष्य जानते हैं, यह मैं नहीं कहता।

श्री बंशीधर पांडेय---

क्या यहां पर सदस्यों के अलावा और कोई पास नहीं देते हैं? जब और एजेंसियों के द्वारा भी पास दिये जाते हैं यहां दर्शक दीर्घाओं में बैठने के लिये तब फिर सदस्यों पर जिम्मेदारी कैसे थोप दी? अगर किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा भी पास दिये जाते हैं तो फिर सदस्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो बहस को दूसरी ओर ले जा रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

अगर सदस्यों द्वारा ही जारी किये जायें तो मैं आश्वासन दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर सदस्यों के नाम से पास नहीं दिया गया है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं आती है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप ऐसी व्यवस्था करा दें कि जब वे यहां अन्दर आयें तो जो अधिकारी या कर्मचारी वहां हों वह देख लें कि वह कोई ऐसी घटना तो नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको बताऊं कि समस्त रक्षकों एवं अन्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों की सतर्कता के कारण कई घटनायें यहां पर होने से रोकी जा सकी हैं। 12 जनवरी, 1972 को मुरादाबाद के श्री जयशंकर व श्री रईस अहमद जो दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने के प्रयास में थे प्रवेश द्वार पर अन्दर आने से रोक लिया गया था। फिर 19 जनवरी, 1972 को भी सुरक्षा विभाग की सूचना के आधार पर निम्नलिखित चार व्यक्तियों को जो अलीगढ़ से आये और जिनके पास श्री जगदीश गांधी सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रवेश-पत्र उपलब्ध था, उनको भी श्री गांधी से बात करके उनका प्रवेश भी दर्शक दीर्घाओं में जाने से रोक दिया गया।

तो कहने का मतलब यह है कि सतर्कता तो बरती जाती है। अब जैसा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सुझाव दिया, सभी दलों के नेताओं से बात कर ली जायेगी। अब इस पर और आगे बहस की जाय, इसमें कोई औचित्य नहीं है।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे तक के लिये।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
19 जनवरी, 1972।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

तालिका

क्रमांक	नाम विधान सभा	कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल सिंचित क्षेत्रफल (एकड़ में)	कुल असिंचित क्षेत्रफल (एकड़ में)	सिंचित क्षेत्रफल का विवरण (एकड़ में)			
					राजकीय नलकूपों से	नहर से	निजी नलकूपों से	अन्य साधनों से
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अलीगंज ..	1,02,201	52,695	49,506	14,393	9,273	7,935	21,094
2	पटियाली ..	1,16,952	39,048	77,904	1,879	12,827	1,546	22,796
3	कासगंज ..	79,821	55,261	24,560	8,340	15,985	30,135	801
4	सकीट ..	1,02,595	75,534	27,061	2,485	29,036	21,807	22,206
5	सोरों ..	1,00,425	58,372	42,053	1,257	28,338	28,086	691
6	एटा ..	83,701	63,931	19,770	3,631	19,526	16,315	24,459
7	निधौली कलां ..	90,730	67,333	23,397	2,060	28,754	15,531	20,988
8	जलसर ..	58,704	44,023	14,681	1,246	19,220	15,748	7,809

नत्थी 'ख'

(देखिय नियम (38) (2) क अन्तर्गत तारांकित प्रश्न 9 क। उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

क्रम संख्या	बस संख्या		दुर्घटना की तारीख	जिले का नाम जहां दुर्घटना हुई	रोडवेज का क्षेत्र जिससे बस सम्बन्धित है	मजिस्ट्रीरियल जांच संबधी विवरण
1	2		3	4	5	6
1	यू०एस०आर०—3113	..	11-7-71	नैनीताल	कुमायूं	रिपोट प्राप्त हो गई है
2	यू० पी०आई०--8440	..	14-7-71	अल्मोड़ा	टनकपुर	जांच हो रही है
3	यू०एस०आर० --6592	..	15-7-71	नैनीताल	कुमायूं	,,
4	यू०एस०आर०--3656	..	2-8-71	नैनीताल	कुमायूं	,,
5	यू०एस०आर०--3305	..	8-8-71	नैनीताल	कुमायूं	,,
6	यू०एस०आर०--6491	..	9-8-71	नैनीताल	कुमायूं	,,
7	यू०एस०आर०--7360	..	20-8-71	ननीताल	टनकपुर	—
8	यू०एस०आर०--2413	..	21-8 71	अल्मोड़ा	टनकपुर	—
9	यू०एस०आर०--4271	..	24 8-71	नैनीताल	कुमायूं	जांच हो रही है
10	यू०एस०आर०--3898	..	25-8-71	पिथौरागढ़	टनकपुर	,,
11	यू०एस०आर०—6527	..	26-8-71	नैनीताल	टनकपुर	,,
12	यू०एस०आर०--6469	..	4-9-71	नैनीताल	कुमायूं	जांच हो रही है
13	यू०पी०एम०--7252	..	17-9-71	अल्मोड़ा	बरेली	,,
14	यू०एस०आर०—2008	..	27-9-71	नैनीताल	कुमायूं	,,
15	यू०एस०आर०--3313	..	7-10-71	नैनीताल	कुमायूं	,,
16	यू०पी०एम०—3283	..	18-10-71	नैनीताल	बरेली	..
17	यू०एस०आर०--3771	..	27-10-71	पिथौरागढ़	टनकपुर	जांच हो रही है

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23....पर)

१ जनवरी, १९६९ से ३१ दिसम्बर, १९६९ तक कार्य स्थल पर की गई यात्रा तथा उससे संबंधित यात्रा का प्रकरण-पत्र

क्रम-संख्या	माह	कार्य अधीक्षक: कुल दिन	कार्य अधीक्षक: कार्य-स्थल पर यात्रा की तिथियां	कार्य अधीक्षक: भत्ता की धनराशि	स्थानीय अभियन्ता: कुल दिन	स्थानीय अभियन्ता: कार्य-स्थल पर यात्रा की तिथि	स्थानीय अभियन्ता: भत्ता की धनराशि	सहायक अभियन्ता: कुल दिन	सहायक अभियन्ता: कार्य स्थल पर यात्रा की तिथियां	सहायक अभियन्ता: भत्ता की धनराशि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				रु० पै०			रु० पै०			रु० पै०	
1	जनवरी 1969	5 दिन	9, 10, 24, 25, 28,	61.55	19 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता,	2, 3, 15, 27, 6 16, 17, 18, 19, 27, 10, 16, 17, 18, 5, 6, 7, 16, 17	227.30	..	..	..	स्थान रिक्त रहा
2	फरवरी, 1969	8 दिन	4, 5, 6, 7, 8, 22, 25, 26,	42.00	15 दिन 2 स्थानिक अभियन्ता।	4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 16, 27, 28	429.70	..	..	..	
3	मार्च, 1969	5 दिन	14, 16, 17, 18, 27,	35.00	34 दिन 4 स्थानिक	7, 15, 16, 17, 22, 25, 2, 8, 9, 10, 14, 15,	291.65	..	..	..	

					अभियन्ता	16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 14, 16, 17, 18, 23, 26, 29, 6, 8, 9, 11, 18, 22, 29, 30,					
4	अप्रैल, 1969	6 दिन	2, 5, 26, 28, 29, 30,	38.20	24 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	8, 17, 24, 28, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 30, 7, 17, 18, 21, 13, 24, 25, 26, 28, 1, 15, 16, 22।	386.75	..	..	..		
5	मई, 1969	6 दिन	1, 2, 3, 4, 19, 28,	70.45	20 दिन 3 स्थानिक अभियन्ता	11, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 2, 6, 14, 17, 22, 24, 25, 1, 4, 12, 22, 31।	413.45	..	..	..		
6	जून, 1969	4 दिन	16, 17, 18, 23,	60.00	16 दिन 2 स्थानिक अभियन्ता	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 24, 4, 5, 19, 26, 28,	196.25	..	..	..		

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम-संख्या	माह	कार्य अधीक्षक			स्थानिक अभियन्ता			सहायक अभियन्ता			विवरण
		कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ते की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ते की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	जुलाई, 1969	4 दिन	22, 24, 27, 31,	35.25	6 दिन 3 स्थानिक अभियन्ता	26, 2, 12, 31, 16, 17,	134.95	..	..	..	
8	अगस्त, 1969	2 दिन	5, 3,	15.00	7 दिन 3 स्थानिक अभियन्ता	14, 15, 23, 26, 14, 30, 13,	247.15	..	..	..	
9	सितम्बर, 1969	2 दिन	2, 28,	15.00	1 दिन 1 स्थानिक अभियन्ता	18,	38.00	..	..	..	
10	अक्तूबर, 1969	5 दिन	6, 7, 13, 22, 23,	35.00	15 दिन 3 स्थानिक अभियन्ता	16, 22, 23, 24, 1, 7, 8, 9, 10, 22, 25, 30, 22, 23, 24,	73.00	..	..	..	

11	नवम्बर, 1969	6 दिन	11, 23, 25, 26, 27, 30,	35.00	18 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	24, 26, 28, 30, 6, 8, 22, 30, 7, 24, 26, 30, 6, 7, 9, 16, 29, 30,	240.00	..	..	..		
12	दिसम्बर, 1969	4 दिन	1, 2, 20, 22	25.00	21 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	1, 10, 21, 27, 31, 1, 11, 27, 28, 29, 31, 17, 30, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22,	208.50	..	..	.		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक कार्यस्थल पर की गयी यात्रा तथा उससे संबंधित यात्रा व्यय का प्रकरण-पत्र

		कार्य अधीक्षक			स्थानिक अभियन्ता			सहायक अभियन्ता			विवरण
क्रम० संख्या	माह	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	
				रु० पै०			रु० पै०			रु० पै०	
1	जनवरी, 1970	4 दिन	2, 3, 16, 18,	30.00	22 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	2, 10, 17, 31, 1, 2, 3, 10, 19, 20, 22, 24, 28, 7, 31, 1, 4, 12, 1, 13, 14, 18, 23,	323.70	स्थान रिक्त रहा			
2	फरवरी, 1970	9 दिन	5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 20, 25,	51.00	20 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	10, 11, 31, 20, 28, 22, 21, 22, 23, 9, 13, 15, 18, 28, 7, 10, 12, 28, 4,	313.85	..	..	..	
3	मार्च, 1970	7 दिन	1, 2, 15, 18, 26, 27, 31,	40—00	25 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	2, 12, 14, 18, 24, 26, 27, 20, 21, 22, 26, 15, 20, 3, 6, 15, 16, 17,	186.45	..	..	..	

						18, 26, 27, 29, 15, 20, 29,				
4	अप्रैल, 1970	6 दिन	13, 18, 20, 21, 22, 23,	35.00	37 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	6, 7, 9, 18, 19, 21, 23, 26, 29, 7, 8, 9, 10, 16 17, 18, 19, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 23, 27, 30,	312.50	..	.	..
5	मई, 1970	9 दिन	1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 29,	45.00	22 दिन 3 स्थानिक अभियन्ता	3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28, 1, 15, 20 31, 3, 9, 10, 27,	439.90	2 दिन	8, 20,	10.00
6	जून, 1970	4 दिन	2, 3, 6, 7,	30.00	22 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 11, 12, 2, 1, 20, 21, 9, 16, 19, 18, 23, 14,	434.35	2 दिन	2, 18,	10.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	माह	कार्य अधीक्षक			स्थानिक अभियन्ता			सहायक अभियन्ता			विवरण
		कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	जुलाई, 1970	..	..	..	16 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	1, 17, 22, 14, 15, 17, 18, 1, 7, 6, 21, 31, 12,	214.20	1 दिन	12	5.00	
8	अगस्त, 1970	2 दिन	19, 24,	60.00	12 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	14, 15, 29, 30, 12, 5, 15, 6, 3, 24, 27, 28,	257.30	2 दिन	8, 26,	10.00	
9	सितम्बर 1970	..	..	..	9 दिन 3 स्थानिक अभियन्ता	1, 11, 24, 2, 3, 1, 5, 18, 25,	150.10	..	..	..	
10	अक्तूबर, 1970	3 दिन	21, 26, 27,	18.00	10 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	27, 28, 12, 21, 15, 27, 28, 8, 26, 8,	174.50	2 दिन	8, 26,	10.00	
11	नवम्बर, 1970	8 दिन	3, 13 14, 16, 17, 18, 19, 23,	36.00	23 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	5, 16, 17, 18, 19, 10, 17, 21, 24, 3, 7,	217.30	3 दिन	14, 16, 17,	15.00	

						14, 21 26,					
						11, 17, 26,					
						27, 11, 12,					
						17, 26, 27,					
12	दिसम्बर, 1970	3 दिन	16, 17, 18,	18.00	24 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	13, 17, 19, 31, 9, 11, 14, 27, 29, 15, 16,23, 25, 26, 31, 1, 8, 12, 16, 29, 14, 18, 28, 31,	281.6	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1 जनवरी, 1971 से 31 दिसम्बर, 1971 तक कार्यस्थल पर की गयी यात्रा तथा उससे संबंधित यात्रा व्यय का प्रकरण-पत्र

		कार्य अधीक्षक			स्थानिक अभियंता			सहायक अभियंता				
क्रम-सं०	मास	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	विवरण	
1	जनवरी, 1971	7 दिन	1, 2, 3, 4, 5, 8, 29,	48.00	19 दिन 5 स्थानिक अभियंता	11, 20, 21, 22, 23, 24, 8, 16, 29, 7, 14, 16, 9, 13, 22, 25, 11, 19, 29,	265.10	..	..	..	..	
2	फरवरी, 1971	9 दिन	6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 23	45.00	18 दिन 4 स्थानिक अभियंता	4, 5, 9, 10, 13, 23, 2, 13, 19, 2, 4, 11, 16, 23, 8, 12, 26, 27,	205.25	2 दिन	22, 25,	10.00	..	
3	मार्च, 1971	8 दिन	15, 16, 17, 19 20, 21, 23, 31,	36.00	22 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	10, 11, 18, 26, 21, 22, 4, 10, 18, 20, 23, 29, 8, 14, 15, 16, 18, 23,	346.15	6 दिन	11, 16, 22 27, 29, 30	30.00	..	

						14, 21, 27, 28,					
4	अप्रैल, 1971	4 दिन	4, 8, 9, 22,	21–00	22 दिन 4 स्थानिक अभियंता	7, 9, 8, 12, 13, 17, 20, 3, 6, 10, 12, 22, 29, 9, 10, 11, 23, 25, 13, 16, 24, 25,	411.00	7 दिन	15, 17, 17 18, 20, 22, 25,	35.00	
5	मई, 1971	8 दिन	4, 5, 6, 7, 20, 22, 23, 24,	51–00	22 दिन 4 स्थानिक अभियन्ता	5, 6, 1, 7, 12, 13, 16, 17, 27, 12, 26, 27, 5, 13, 17, 20, 27, 4, 7, 11, 14, 24, 27,	482–30	4 दिन	6, 12, 14, 21,	20–00	
6	जून, 1971	4 दिन	9, 10, 15, 17,	27–00	18 दिन 5 स्थानिक अभियन्ता	4, 5, 10, 17, 12, 23, 26, 2, 5, 9, 10, 8, 9, 15, 18, 22, 15, 19,	365–80	8 दिन	3, 4, 5, 12, 15, 18, 22 24,	40–00	
7	जुलाई, 1971	3 दिन	6, 7, 11,	15–00	18 दिन 3 स्थानिक	8, 17, 18, 24, 27, 28, 30, 31, 7, 8, 11,	276–10	7 दिन	1, 6, 10, 14, 18, 24, 29,	35.00	

		कार्य अधीक्षक			स्थानिक अभियंता			सहायक अभियंता वि/यां			विवरण
क्रम सं०	माह	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	कुल दिन	कार्यस्थल पर यात्रा की तिथियां	भत्ता की धनराशि	
					अभियंता	17, 24, 27, 6, 7, 26, 30,					
8	अगस्त, 1971	—	—	—	13 दिन 3 स्थानिक अभियंता	1, 2, 4, 6, 11, 12, 16, 3, 9, 2. 3. 20. 21.	110–50	8 दिन	2, 3, 4, 5, 6, 16, 24, 25.	40.00	
9	सितम्बर, 1971	4 दिन	9, 11, 14, 15,	51–05	16 दिन 4 स्थानिक अभियंता	15, 7, 14, 20, 22, 24, 25, 26, 9, 11, 16, 27, 7, 8, 23, 25,	59–60	1 दिन	27	5.00	
	कुल यात्रा-व्यय			1070–50			8714–95			275–00	

वर्ष 1969 से 30 सितम्बर, 71 तक का कुल खर्चा—10060.45

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

प्रधान प्रबन्धक, कार्यालय

क्र० सं०	नाम	पद	कितने वर्षों से तैनात हैं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1—सर्वश्री बी० एस० शुक्ला	..	मुख्य लिपिक	2 वर्ष से	
2—,, आर० एस० गुप्ता	..	,,	2 वर्ष से	
3—,, एस० बी० सिंह	..	का० म० प्रथम	23 वर्ष से	
4—,, के० एस० दुबे	..		23 वर्ष से	
5—,, आर० एस० खन्ना	..		22 वर्ष से	
6—,, जी० पी० तिवारी	..	,,	17 वर्ष से	
7—,, जी० आर० चतुर्वेदी	..	,,	20 वर्ष से	
8—,, सी० एस० भटनागर	..	,,	22 वर्ष से	
9—,, डी० पी० माथुर	..	,,	22 वर्ष से	
10—,, आर० एन० श्रीवास्तव	..	,,	23 वर्ष से	
11—,, गोमती प्रसाद निगम	..	,,	20 वर्ष से	
12—,, पी0 एन0 त्रिपाठी	..	,,	7 वर्ष से	
13—,, डी0 लायल	..	,,	1 वर्ष से	
14—,, राम स्वरण धेनेजा	..	,,	4 मास से	
15—,, एम0 एच0 सिद्दीकी	..	का०स० द्वितीय	7 वर्ष से	
16—,, बी0 एन0 श्रीवास्तव	..	,,	9 वर्ष से	
17—,, टी0 एन0 मिश्र	..	,,	12 वर्ष से	
18—,, एम0पी0 सक्सेना	.	,,	9 वर्ष से	
19—,, आर0 पी0 अवस्थी	..	,,	16 वर्ष से	
20—,, बी0 के बाजपेई	..	,,	2 वर्ष से	
21—,, डी0 पी0 अवस्थी	..	,,	2 माह से	
22—,, एस0 पी0 मिश्रा	..	,,	16 वर्ष से	
23—,, ओ0 पी0 शर्मा	..	,,	4 वर्ष से	
24—,, ए0 टी0 डे	..	,,	12 वर्ष से	
25—,, एन0 जेड0 अन्सारी	..	,,	13 वर्ष से	
26—,, मोहम्मद आरिफ	..	,,	र्ष8 से	
27—,, हरी शंकर शुक्ला	..	,,	13 वर्ष से	
28—,, आर0 एस0 दीक्षित	..	,,	4 वर्ष से	
29—,, आर0 जे0 तिवारी	..	,,	10 वर्ष से	
30— सर्वश्री मोहम्मद समी	..	का० स0 द्वितीय	9 वर्ष से	
31—,, एच0 सी0 मिश्रा	..	,,	8 वर्ष से	
32—,, एम0 एल0 बनर्जी	..	,,	5 वर्ष से	
33—,, एस0 के0 तिवारी	..	,,	3 वर्ष से	
34—,, ए0 एन0 तिवारी	..	,,	2 वर्ष से	

1	2		3	4	5
35—	श्री एस0 एस0 लाल मिश्रा	..	का0 स0	8 वर्ष से	
36—	,, एस0 के0 श्रीवास्तव	..	द्वितीय	16 वर्ष से	
37—	,, पी0 बी0 सक्सेना	..	,,	9 वर्ष से	इनके स्थानान्तरण के आदेश पारित हो चुके हैं।
38—	,, बाई0 क 0 तिवारी	..	,,	9 वर्ष से	
39—	,, आई0 डी0 वर्मा	..	,,	9 वर्ष से	
40—	,, मदन सिंह यादव	..	,,	3 वर्ष से	
41—	,, पी0 पी0 राय	..	,,	3 वर्ष से	
42—	,, एस0 एन0 गुप्ता	..	,,	12 वर्ष से	
43—	,, श्री अब्दुल लतीफ	..	,,	2 वर्ष से	
44—	,, जे0 पी0 राठौर	..	,,	8 वर्ष से	
45—	,, एम0 एस0 सिन्हा	..	,,	13 वर्ष से	
46—	,, एस0 एम0 यादव	..	,,	2 वर्ष से	
47—	,, एस0 एन0 दुबे	..	,,	2 मास से	
48—	,, योगेश नारायण मिश्र	..	,,	4 मास से	
59—	,, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह	..	,,	12 वर्ष से	
50—	,, श्रीनारायण श्रीवास्तव	..	,,	13 वर्ष से	
51—	,, गंगा विष्णु	..	,,	23 वर्ष से	
52—	,, विश्वनाथ अधिकारी	..	,,	18 वर्ष से	
53—	,, बी0 एम0 खरे	..	,,	16 वर्ष से	
54—	,, के0 सी0 त्रिपाठी	..	,,	16 वर्ष से	
55—	,, ई0 डेविड	..	,,	16 वर्ष से	
56—	,, आर0 के० दीक्षित	..	,,	16 वर्ष से	
57—	,, आर0 के0 मायें	..	,,	14 वर्ष से	
58—	,, राम बाबू सक्सेना	..	,,	12 वर्ष से	
59—	,, सन्त कुमार मिश्रा	..	,,	9 वर्ष से	
60—	,, आर0 सी0 द्विवेदी	..	,,	14 वर्ष से	
61—	सर्वश्री निसार अहमद	..	,,	10 वर्ष से	
62—	बी0 के0 त्रिपाठी	..	,,	8 वर्ष से	
63—	,, आर0 के0 मिश्रा	..	,,	7 वर्ष से	
64—	,, आर0 पी0 गुप्ता	..	,,	7 वर्ष से	
65—	प्रेम बिहारी धूरिया	..	,,	7 वर्ष से	
66—	,, सी0 बी0 दीक्षित	..	,,	14 वर्ष से	
67—	,, ए0 पी0 द्विवेदी	..	,,	8 वर्ष से	
68—	,, टी0 एस0 रावत	..	,,	4 वर्ष से	
69—	ए0 के0 भटनागर	..	,,	7 वर्ष से	
70—	बी0 बी0 लाल	..	,,	8 वर्ष से	
71—	कुसेहर लाल	..	,,	7 वर्ष से	
72—	,, आर0 ए0 त्रिपाठी	..	,,	7 वर्ष से	
73—	,, आर0 बी0 सिंह	..	,,	7 वर्ष से	
74—	,, सी0 पी0 अवस्थी	..	,,	7 वर्ष से	

1	2	3	4	5
75—श्री आर० पी० सिंह	..	का0स0	3 वर्ष से	
76—,, एच० एस० त्रिपाठी	..	द्वितीय	12 वर्ष से	
77—,, एच० एस० शर्मा	..	,,	5 वर्ष से	
78—,, दिनेश कुमार तिवारी	..	,,	9 वर्ष से	
79—,, के० पी० सिंह	..	,,	2 वर्ष से	
80—,, एस० पी० शुक्ला	..	,,	12 वर्ष से	
81—,, फज मुहम्मद	..	,,	7 वर्ष से	
82—,, आर० बी० सिंह चौहान	..	,,	1 वर्ष से	
83—,, सी० पी० सिंह	..	,,	5 वर्ष से	
84—,, के० सी० श्रीवास्तव	..	,,	5 वर्ष से	
85—,, पी० एस० शर्मा	..	,,	2 वष से	
86 ,, आर० सी० अवस्थी	..	,,	2 वर्ष से	
87—,, गोपाल चन्द्र घोष	..	,,	2 वर्ष से	
88—,, सैय्यद इरशाद अली	..	,,	12 वर्ष से	इनके स्थानान्तरण के आदेश हुए परन्तु ऊपर के आदेशों से निरस्त करने पड़े।
89—श्री प्रेम चन्द्र	..	,,	8 वर्ष से	
90—श्री आर० के० दीक्षित	..	,,	7 वर्ष से	
91—श्री शर सिंह	..	,,	1 वष से	
92—श्री गोपाल चन्द्र निगम	..	,,	4 माह से	
93—श्री बलराम शर्मा	..	,,	2 माह से	
94—श्री के० डी० दुबे	..	,,	1 माह से	
95—श्री एस० एन० मिश्रा	..	,,	1 माह से	
96—श्री डी० के0 तिवारी	..	,,	15 दिन से	
97—श्रीमती एफ० आई० वैलिन्टाइन		,,	6 वर्ष से	
98—कुमारी पवित्री आर्या	..	,,	1 माह से	
99—श्री एन० पी० चड्ढा	..	सीनियर एकाउन्टन्ट	5 माह से	
100—श्री जी० सी० श्रीवास्तव	..	एकाउन्टेन्ट	3 वर्ष से	
101—श्री एफ० आई० तिरखा	..	,,	2 वर्ष से	
102—श्री एस० के० मित्रा	..	,,	23 वर्ष से	
103—श्री वी० के० शर्मा	..	,,	3 वर्ष से	
104—श्री एस० के० शर्मा	..	कोषाध्यक्ष	16 वर्ष से	
105—श्री टी० राम	..	सहायक कोषाध्यक्ष	10 वर्ष से	
106—श्री एच० पी० अवस्थी	..	का0स0 द्वितीय	7 वर्ष से	

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

		मिर्जापुर	वाराणसी
1—भवनों एवं अन्य सम्पत्ति तथा फसलों की अनुमानित क्षति	..	रु० 1,52,07,000	4,11,67,563
2—तकावी, गृह अनुदान तथा नकद दी गई निःशुल्क सहायता आदि	..	5,45,110	17,98,461,50
3—वितरित की गई वस्तुयें:—			
(1) आटा	..		— 2177 क्वीन्टल
(2) चना	..	184 क्वीन्टल 77 किलोग्राम	
(3) नमक	..	147 बोरा	14 क्वीन्टल
(4) मिट्टी का तेल	..	6459 लीटर	21,236 लीटर
(5) दियासलाई	..	8,784	8,732
4—सिंचाई विभाग के संबंधित प्रखंड द्वारा दी गई सिंचाई कर की छूट	..	रु० 1,92,000.29	रु० 58,000.71

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

तालिका

वर्ष 1968–69

खण्ड का नाम			नलकूपों की संख्या
1—नलकूप खण्ड (घ), बुलन्दशहर	..	..	457
2—नलकूप खण्ड (प्रथम) अलीगढ़	..	..	433
3—नलकूप खण्ड मनपुरी	..	..	316
4—नलकूप खण्ड, फर्रुखाबाद	..	..	309
	योग	..	1515

वर्ष 1969–70

1—नलकूप खण्ड (ब), बुलन्दशहर	..	..	467
2—नलकूप खण्ड (प्रथम) अलीगढ़	..	..	461
3—नलकूप खण्ड मनपुरी	..	..	346
4—नलकूप खण्ड फर्रुखाबाद	..	..	318
	योग	..	1592

रामलखन
सिंचाई मंत्री।

जी० एस० यू० पी०—ए० पी० 266 एल० ए०–1972–845–(मैग०)